खण्ड-276, अंक-7
गुरूवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1891
(25 मार्च, 1969 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 276 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

**मंगलवार, २५ मार्च, १९६९**

---

**विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।**

---

## उपस्थित सदस्य—४१३

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रतापसिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदबलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमित नारायण, श्री

उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० आइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री

केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुख लाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीप नरायन बन, श्री
दीपनारायण, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराज, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री

निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक , श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल , श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा , श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी , श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
मही लाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)

रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चन्द्र आजाद, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राम, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राम मूर्ति 'प्रचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन शुक्ल, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम बिलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राम अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती

विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिव लाल, श्री
शिव वक्ष सिंह, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सिया राम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबी , श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवा राम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बक्श सिंह, राजा
हरीदत्त, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)

नोट--खाद्य मंत्री, श्री मंगला प्रसाद भी उपस्थित थे ।

## प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २५ मार्च, १९६९

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### प्रशासन का सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किये जाने के आदेश

**१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कोई ऐसा आदेश प्रसारित करने की कृपा करेगी कि सभी स्तरों पर प्रशासन का सम्पूर्ण कार्य केवल हिन्दी में ही हो तथा अंग्रेजी का प्रयोग बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

राज्य में सभी स्तरों पर सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किये जाने के आदेश पहले ही से मौजूद हैं और अभी हाल ही में उन आदेशों की ओर सभी सरकारी कार्यालयों का ध्यान आकर्षित करते हुये फिर इस बात पर जोर दिया गया है कि सब काम हिन्दी में ही होना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह जानते हुये कि ऐसे आदेश अनेक बार जारी किये गये हैं लेकिन उनका उल्लंघन होता है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आपके इन आदेशों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कोई दंड का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो भविष्य में क्या ऐसे व्यक्तियों की चरित्रावली में एन्ट्री करने का प्राविजन करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

जो काम भरत के जमाने में हो गया वह राम के आने के बाद इन तमाम बातों पर विचार करने और देखने की जरूरत नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

भविष्य में भी कदाचित् कुछ लोग इन आदेशों का पालन न करें इसको ध्यान में रख कर क्या ऐसे लोगों के लिये किसी प्रकार का प्रतिबन्ध या दंड मुख्य मंत्री जी निर्धारित करेंगे कि अगर वह पालन न करें तो उनके विरुद्ध एन्ट्री हो या कोई कार्यवाही हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अवश्य ही, अगर आदेशों का उल्लंघन होगा तो ऐसे अधिकारियों के प्रति वह कार्यवाही की जायगी जो ऐसे आदेशों को न मानने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध होनी चाहिये ।

श्री बीरेन्द्र शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २६ जनवरी, सन् १९६८ से एस० बी० डी० गवर्नमेंट के जमाने में जब यह आदेश जारी हुये थे उसके बाद किन कारणों से यह आदेश फिर से दोबारा जारी करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह तो मैंने बता दिया कि यह तो भरत के जमाने की बातें हैं, उस जमाने की बातों को राम को खोज करने की जरूरत नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तक इन आदेशों का उल्लंघन हुआ और पालन नहीं हुआ तो क्या जो अधिकारी उनका पालन करते उनको किसी प्रकार की सजा मिल सके इसके लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इसका उत्तर तो दे दिया कि कोई अधिकारी अगर इनका उल्लंघन करेंगे तो इस तरह के आदेशों का जो उल्लंघन करते हैं और उनके प्रति जो कार्यवाही होती है वह सभी प्रकार की कार्यवाही उनके प्रति की जायगी ।

श्री अंग बहादुर (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी कार्यालय हैं जैसे इनकम टैक्स या एलेक्शन आफिसेज हैं जहां पर अब भी तमाम कार्य और फार्म्स अंग्रेजी में आते हैं और सब काम अंग्रेजी में होता है, इसको देखते हुये क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेगी कि भविष्य में वह हिन्दी में ही सब काम करने की सुविधा दे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वह सब कार्य तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय के आदेशों के अनुसार होते हैं और उसमें प्रादेशिक सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया है कि हिन्दी की प्रगति इसलिये नहीं हो रही है कि टाइपराइटर्स की कमी है और क्या सरकार इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कुछ कमी तो थी लेकिन अब रेमिन्गटन टाइपराइटर कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि वह यहां की टाइपराइटर्स की मांग को पूरा करने की पूरी मात्रा में चेष्टा करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एकाउन्टेन्ट जनरल, इलाहाबाद, ने अपने कार्यालय में आदेश दिये हैं कि सब कार्य हिन्दी में हो, इंगलिश में न हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

एकाउन्टेन्ट जनरल केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य करता है और वहां पर केन्द्रीय सरकार की ही आज्ञा चलती है ।

## गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा आमरण अनशन का अल्टीमेटम

**२—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि २१ मार्च, १९६९ से उत्तर प्रदेश गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा आमरण अनशन का कोई एल्टिमेटम सरकार को प्राप्त हुआ ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय कृषि मंत्री बतायेंगे कि जो गन्ना ग्राम सेवकों द्वारा आमरण अनशन का अल्टीमेटम उनको प्राप्त हुआ है, उसमें क्या-क्या मुख्य मांगें थीं ? और उन पर क्या कार्यवाही हुयी ?

डाक्टर सीताराम—

उनकी मुख्य ४ मांगें थीं । सबसे पहले मांग यह है कि उनका वेतन क्रम १२०–२२० रुपया कर दिया जाय, दूसरी उनकी मांग यह है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट पेड कामदारों में कोई भेदभाव न रखा जाय । तीसरी उनकी मांग यह है कि टी०ए० १५ रु० कर दिया जाय और चौथी उनकी मांग यह है कि सेवा नियमावली प्रकाशित की जाय ।

जहां तक कार्यवाही करने का प्रश्न है, सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया । उनको केवल यह कहा गया कि उन्होंने जो हड़ताल की है, उसको वे वापस लें और हमें मौका दें कि हम उनकी मांगों पर विचार कर सकें ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि गन्ना ग्राम सेवकों और उस क्षेत्र में, जो स्थानीय कामदार कार्य करते हैं, उनके वेतन-क्रम में भिन्नता के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—

सोसाइटी पेड कामदार जो हैं, वे यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के अन्तर्गत आते हैं और उनकी पे निर्धारण यू० पी० केन फैडरेशन करता है ।

जहां तक गन्ना ग्राम सेवकों का प्रश्न है उनकी पे डिपार्टमेंट निर्धारित करता है । इसलिये उन दोनों कर्मचारियों के वेतन-क्रम में फर्क है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १ अगस्त, १९६८ से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है, वह इन गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन में भी हुयी ?

डाक्टर सीताराम—

इसका तो पता नहीं है लेकिन उनको वेतन १९६५ की पी० आर० सी० के मुताबिक ही मिलता है । १९६८ में क्या हुआ, इसकी इस समय मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्ष पूर्व इसी प्रकार की हड़ताल उन्होंने की थी, तब भी उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जायगा ? तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

उस समय उनकी ६ मांगें थीं । उन ६ में से तीन मांगों की पूर्ति हो गयी थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जायगा लेकिन मेरी सूचना है कि माननीय मंत्री जी ने गन्ना ग्राम सेवकों के निश्चित वेतन निर्धारण के लिये आश्वासन दिया था ?

डाक्टर सीताराम—

इस प्रकार कोई भी आश्वासन गन्ना ग्राम सेवकों को नहीं दिया गया । पहले उनसे यह कहा गया था कि चूंकि उनका वेतन पी०आर० सी० १९६५ के अनुसार निर्धारित किया गया था इसलिये उस पर फिर से विचार करने के लिये हम एक कमेटी बनायेंगे और वह इस बात पर विचार करेगी कि उनका वेतन-क्रम क्या हो ?

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

मनकापुर की मीटिंग में आपने इस बात की घोषणा की थी । मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने अभी कहा है अथवा जो उस मीटिंग में कहा है उन दोनों में क्या फर्क है ?

डाक्टर सीताराम—

मनकापुर की मीटिंग में आज से दो साल पहले चुनाव के दौरान में घोषणा की थी उसमें टी० ए० का प्रश्न था । पहले उनको ३ रु० टी० ए० मिलता था । मैंने घोषणा के मुताबिक १० रुपये के लिये फायनेन्स को लिखा लेकिन फायनेन्स ने १० रुपया न मानकर ७ रुपये माना और इसी कारणवश ३ रुपये से ७ रुपये दो साल पहले बढ़ाया गया ।

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि बाहर उनका कोई आश्वासन हुआ या नहीं हुआ ? अभी जब भूख हड़ताल वापस कराने की बात कह रहे थे तो आश्वासन दिया था और अब कह रहे हैं कि नहीं दिया तो क्या सही है ?

डाक्टर सीताराम—

आश्वासन यह दिया गया था कि दो साल के बाद हम लोग सरकार में आये हैं और अभी २१ दिन आये हुये हैं इसके बाद हम एक हाई पावर कमेटी बिठायेंगे जिसमें ३, ४ आफिसर होंगे और वे विचार करेंगे कि आपका वेतन क्रम क्या हो। वेतन अभिनवीकरण समिति ने १९६५ में ग्राम सेवकों का वेतन क्रम निर्धारित किया था और वह एक हाई पावर कमेटी थी इसलिये उसके डिसीजन को परिवर्तन करने का अधिकार किसी हाई पावर कमेटी को ही है। इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और कोई आश्वासन दिया गया था यह आमक है।

श्री रामचन्द्र विकल—

यह हाई पावर कमेटी कब तक बिठा दी जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

शीघ्रातिशीघ्र ।

## जौनपुर जिले के गोपालपुर तथा सरसरा ग्रामों में डकैतियां

**३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक ८ मार्च, १९६९ को गोपालपुर ग्राम, थाना रामपुर, जिला जौनपुर में भीषण डकैती हुई है तथा २१ से २४ फरवरी तक ग्राम सरसरा, थाना मीरपुर, जिला जौनपुर में भीषण डकैती हुई है ? उन दोनों डकैतियों के सम्बन्ध में कितने डाकू दिनांक १५ मार्च, १९६९ तक गिरफ्तार हुये हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

ग्राम गोपालपुर, थाना रामपुर, जिला–जौनपुर में दिनांक ८ मार्च, १९६९ को एक डकैती पड़ने की लिखित रिपोर्ट उसी दिन थाना रामपुर पर प्राप्त हुई थी तथा दिनांक २३-२४ फरवरी, १९६९ की रात में ग्राम सरसरा खास, थाना मीरगंज, जिला जौनपुर में डकैती पड़ने की लिखित रिपोर्ट दिनांक २४ फरवरी, १९६९ को प्रातःकाल थाना मीरगज पर प्राप्त हुई थी।

ग्राम गोपालपुर की डकैती के सम्बन्ध में कोई अभियक्त अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है परन्तु ग्राम सरसरा खास की डकैती के सम्बन्ध में ३ अभियुक्त गिरफ्तार हुये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जैसी मेरी जानकारी है यह राजनीतिक डकैती और कत्ल हुआ है और उन्ह पुलिस तथा तत्सम्बन्धी व्यक्ति से पहले से रंजिश चली आ रही थी तो माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें कितनी जानें गयीं और कितने लोगों को चोटें लगीं और आज तक अभियुक्त इसीलिये गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि पुलिस पहले से उनसे रंजिश रखती थी और अभियुक्तों को वह गिरफ्तार नहीं करना चाहती ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

आप किस डकैती के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

गोपालपुर से मेरा मतलब है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उसमें दो आदमियों की मृत्यु हुई।

श्री जगन्नाथ राव—

गोपालपुर की जो डकैती हुई इसमें दो की मृत्यु हुई लेकिन क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि कितने लोगों के चोटें लगीं, कितना सामान गया और बन्दूक भी चलायी गयी, इसका पूरा विवरण क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां, मालूम है। इसमें १९ आदमियों को चोट लगी और दो की मृत्यु हुई। बन्दूक लेकर भी भाग गये और अनुमान है कि ११,८५७ रुपये के माल का नुकसान हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गोपालपुर की यह डकैती सरे शाम पड़ी, घर में पहुंचते ही डाकुओं ने पहले फूलचन्द साहू को मारा और डाकू किधर से आये, नदी के किस नाले से गये, उनके जूते, कपड़े, साइकिलें भी मिलीं लेकिन फिर भी जो लोग संबंधित हैं वह अब तक क्यों नहीं पकड़े गये, इसके बारे में सरकार का क्या उत्तर है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जो रिपोर्ट उन्होंने लिखायी थी इसमें इस बात की चर्चा नहीं है और इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि आपने जो कहा कि जूते वगैरह मिले हैं, लेकिन अगर आप को इसकी जानकारी है और आप इसको लिख कर भेज देंगे तो उसकी भी हम जांच करायेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सचमुच ही इसमें पुलिस की रंजिश भी शामिल है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं आयी। अगर आप लिख कर देंगे तो इसकी जांच करा लेंगे।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जबकि प्रश्नकर्ता के अनुसार इन्वेस्टीगेटिंग पुलिस अफसर मुल्जिमों से मिला हुआ है तो क्या इस बात को देखते हुये सरकार किसी दूसरे के जरिये इसकी तफतीश कराने पर विचार कर रही है? अगर हां, तो वह कौन सी एजेन्सी है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह शिकायत तो आज से पहले कभी आयी नहीं कि वह मिला हुआ है। अब आप हाउस में कह रहे हैं, अगर हमारे पास लिख कर भेज दें तो हम अवश्य जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

किसी अफसर के खिलाफ अचानक अगर आप ऐसा कहेंगे तो वह अपने आप को यहां डिफेन्ड नहीं कर सकता और न मन्त्री जी उसके बारे में कह सकते हैं। अगर शिकायत पहले आयी होती तो आप कह सकते थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

क्या मंत्रीजी के पास इस प्रकार की सूचना है कि जो इन्वेस्टीगेशन्स अब तक हुये हैं उनकी रिपोर्ट्स उनके पास आ गयी हैं? यदि हां, तो जो मैंने पहले बात कही वह उसमें है या नहीं?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

मंत्री जी ने कहा कि इन्वेस्टीगेशन जारी है। वह यह भूल जाते हैं कि जब मर्डर हो जाता है तो शायद हर २४ घंटे के अन्दर एक पर्ची कटती है और वह आती है। इसीलिये मैंने यह प्रश्न किया था कि अभी तक की रिपोर्ट्स मंत्री जी के पास आयीं या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी उसकी कापी हमारे पास है। जो जांच हो रही है वह भी हमारे पास है। आपने शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया है। अगर आप लिख करके देंगे तो यह भी हम पूछ कर के बता देंगे।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुये कि घटना गम्भीर है, राजनीतिक भी मालूम होती है, पुलिस भी मिली हुई मालूम होती है इसकी जांच सी० आई० डी० के द्वारा करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो राजनीतिक कोई बात है नहीं। अगर कोई साहब लिख कर दें कि कोई चीज ऐसी है तो जांच करा लेंगे।

श्री धर्मसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो दो डकैतियां हुई हैं उनमें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस देखभाल के लिये गये हैं या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, गये थे, उन्होंने जांच की है।

## चौक क्षेत्र, लखनऊ में गायों की सन्देहात्मक मृत्यु

* ४—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्शहर)—

क्या गृह मन्त्री को इसकी सूचना है कि लखनऊ स्थित चौक क्षेत्र में मार्च, १९६९ के प्रथम पखवारे में कुछ गायें मरी पाई गईं तथा अन्य परीक्षा से पता लगा कि उन्हें विष खिला कर मार डाला गया है ? सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दिनांक २ मार्च, १९६९ से १४ मार्च, १९६९ तक चौक क्षेत्र, लखनऊ में कुल सात गायें मरीं। इन सभी गायों के शवों के परीक्षण के पश्चात् चिकित्सक ने पांच गायों की मृत्यु विष से होने का सन्देह किया। शेष दो गायों में से एक गाय की मृत्यु पेट में बच्चा मर जाने के फलस्वरूप सैप्टिक हो जाने के कारण तथा दूसरी गाय की मृत्यु किसी कठोर वस्तु से टकराकर फेफड़ा फट जाने और पेट में गैस भर जाने के कारण हुई। इन सभी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अभियोग अंकित कर के तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गयी। जिन गायों की मृत्यु विष से होने का सन्देह पशु चिकित्सक द्वारा किया गया, उनका "विसरा" रासायनिक परीक्षण हेतु आगरा भेजा गया है। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उनमें से कुछ आदमी पकड़े गये हैं या नहीं ? यदि हां, तो उनमें कौन कौन हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

कोई नहीं पकड़ा गया है।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो यह हत्यायें हुई हैं वह चमड़ा प्राप्त करने के लिये की गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अभी यह मामला जांच में है। यह पता नहीं चला कि यह हत्यायें किस उद्देश्य से की गई हैं। हो सकता है कि वह उद्देश्य हो जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं।

## बिक्री-कर को एक पदीय करने के सम्बन्ध में जानकारी

**५—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या वित्त मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार बिक्री-कर को एक पदीय करने पर विचार कर रही है ?

वित्तो मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार का विचार अन्न पर से बिक्री-कर हटाने का है ? यदि हां, तो कब तक निश्चय हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अन्न पर बिक्री-कर नहीं, बल्कि क्रय-कर लगता है। अन्न को कर-मुक्त करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री शम्भनाथ चौधरी—

श्रीमन्, आज जो कर है वह ऐसा है कि एक ही वस्तु को बार-बार बेचने पर कई बार टैक्स देना पड़ता है जिससे टैक्स का भार बढ़ता चला जा रहा है, क्या सरकार इसको रोकेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, प्रदेश में एक सूत्री बिक्री-कर है और बहु सूत्री बिक्री-कर भी है जो अलग-अलग वस्तुओं पर है। हमारी टैक्शेसन इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, उसने जो सिफारिशें की हैं उसमें भी यह सिफारिश नहीं है कि सब का एक सूत्री बिक्री-कर कर दिया जाय। इस पर सरकार विचार कर रही है और जैसे-जैसे समय मिलेगा और जिस वस्तु के सम्बन्ध में ठीक समझा जायेगा कि एक सूत्री-कर कर दिया जाय तो सरकार अवश्य कर देगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, इस टैक्सेशन कमेटी ने जिन वस्तुओं पर एक सूत्री-कर करने की सिफारिश की है, उन पर सरकार ने निर्णय लिया या नहीं और यदि नहीं, तो कब तक लेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, विचाराधीन है और यथासमय निर्णय लिया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि क्रय-कर लिया जाता है । क्या उनको जानकारी है कि किसानों से जो गल्ला लाते हैं उनसे ही दुकानदार काटते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, गलत तरीके तो बहुत से लोग अख्तियार करते हैं। उनके लिये दूसरी बार नियमित रूप से जो क्रय-कर लिया जाता है यह प्रथम क्रेता से लिया जाना चाहिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जो माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि बिक्री-कर नहीं लगता क्रय-कर लगता है, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बिक्री-कर भी खरीदारों से लिया जाता है, उपभोक्ताओं से लिया जाता है और क्रय-कर भी उपभोक्ताओं से लिया जाता है, फिर इसमें अन्तर क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

बिक्री-कर दूसरी चीज है और उसके लिये दूसरे प्रकार के आइटम्स से बिक्री कर लिया जाता है। क्रय कर प्रायः एक सूत्री होता है और परचेज टैक्स कहलाता है और प्रथम क्रेता को ही यह देना पड़ता है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन्हें यह विदित है कि उत्पादन स्तर पर कारीगरों पर जो सेल्स टैक्स लगता है उसके संग्रह करने में कारीगरों और सरकार दोनों को बड़ी कठिनाई हो रही है और उनको यह भी विदित है कि आगरा में जूते के कारीगर सैकड़ों की तादाद में अशिक्षित रहने के कारण उन पर जो टैक्स लगता है उसका वह कोई हिसाब नहीं रख सकते हैं, इसलिए काम को छोड़ कर भाग रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना।

श्री देवकीनन्दन विभव—

जी नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कई प्रश्न साथ-साथ हो गये । जो सरकार का अनुभव है वह स्पष्ट अनुभव है कि अगर एक व्यक्ति देता है और वसूल दूसरा करता है, देने वाले से कितना वसूल करता है यह प्रायः सब को विदित है लेकिन जब उससे वसूल करते हैं तो सब से अधिक कठिनाई वहीं पड़ती है । आगरा के जूते के व्यापारियों के सम्बन्ध में कोई ऐसा इल्म नहीं है कि आगरा के जूते के व्यापारियों ने बिक्री-कर के कारण कहीं कारोबार बन्द किया हो।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ऐसा कोई सर्वे करवाया है कि बहुपदी-कर के कारण यहां की इंडस्ट्रीज दूसरे प्रदेशों में जा रही हैं और यहां की इंडस्ट्री चौपट हो गयी है और वह इंडस्ट्रीज कौन-कौन सी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने बहुत विशद् चर्चायें की हैं। बहुत स्थानों पर इसकी जांच की है। बहुत से व्यापारिक क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में बातचीत की है। जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा उसकी सभी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री रियासत हुसेन—

क्या मन्त्री जी इस बिक्री-कर के प्रश्न की अहमियत को देखते हुए टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जब वह मुकम्मल हो जाय तो सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

यह भी सरकार के विचाराधीन है।

## गुड़ के मूल्य में गिरावट आने से किसानों को आर्थिक क्षति

**७—श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रदेश में गुड़ के लगातार दाम गिरते रहने से गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उसे रोकने के लिये कौन-सा कदम उठा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—

यह सही है कि गुड़ के भाव पहले के मुकाबले में गिरे हैं। गुड़ के मूल्य अधिक होने से किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। स्पष्ट है कि गुड़ के मूल्य में गिरावट आने से किसानों को आर्थिक क्षति पहुंची होगी। परन्तु अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इस सम्बन्ध में शासन कोई कार्यवाही करे। गुड़ के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, न मूल्य नियन्त्रण है, न सरकारी खरीद है। गुड़ के बाजार भाव को नियंत्रित करना इस समय न सम्भव है और न न्यायसंगत।

श्री रामधारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६८ के मार्च मास में गुड़ का क्या भाव था और मार्च, १९६९ में क्या ?

श्री मंगला प्रसाद—

इसके लिये समय चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा है कि गुड़ के भाव पहले से गिरे हैं, तो क्या मंत्री जी इसकी व्याख्या करेंगे कि पहले से यानी कब से भाव गिरे हैं।

श्री मंगला प्रसाद—

हमारे पास जो खबर है वह पहली जनवरी, १९६९ से २१ मार्च, १९६९ तक की है। इसका भाव १०५ रुपया क्विन्टल पहली जनवरी को था और आज है ८४ रुपया।

श्री हिम्मत सिंह—

आपने भी अपने उत्तर में कहा है कि इससे किसानों की आर्थिक क्षति हो रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों की हालत सुधारने के लिये आपने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—

अभी कोई कदम नहीं उठाये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जैसा कि अभी मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि अभी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इस पर कोई कार्यवाही की जाए, तो सरकार कब इस बात को आवश्यक समझेगी कि कार्यवाही की जाए? वह कौन-सा समय होगा जब सरकार उचित कार्यवाही करेगी?

श्री मंगला प्रसाद—

बाजार गिरता उठता रहता है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सोचा जाए, कोई स्टेप या कोई कदम उठाया जाए।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि गुड़ की कीमतें तो बराबर गिरती जा रही हैं और चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं?

श्री मंगला प्रसाद—

इस साल गन्ना बहुत है, मिल मालिक भी क्रश नहीं कर रहे हैं। जितना गन्ना पैदा हुआ है उसको देखते हुये खांडसारी वाले उसे ५-६-७ रुपया क्विंटल खरीद रहे हैं। गुड़ वाले भी सस्ता खरीद रहे हैं। पैदावार गुड़ की भी बहुत हो रही है। इसलिए बाजार में मांग कम है और पैदावार ज्यादा है उनके दाम गिर रहे हैं।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा है कि अभी वह स्थिति नहीं है कि गिरती दशा में सुधार के लिये कोई कार्यवाही की जाए। इसमें मुझे बड़ी आपत्ति है, आखिर उनका इससे अभिप्राय क्या है कि इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार कब कार्यवाही करेगी, किस स्तर पर कार्यवाही करेगी जिससे गन्ना उत्पादन के साथ अन्याय न हो? वह क्या कोई सीमा निर्धारित करने की कृपा करेंगे कि रेट इतने से कम हो जाएं तो वह कदम उठाएंगे?

श्री मंगला प्रसाद—

इसके लिये इस प्रदेश में कदम उठाया गया है। हमने खांडसारी को फ्री कर दिया है, जहां चाहे वह जा सकती है। उसको बाहर भेजने के लिये परमिट दिया जा रहा है। इससे उम्मीद यह है कि गन्ने का भाव भी बढ़ेगा और गुड़ की कीमत भी बढ़ेगी।

श्री राममूर्ति अंचल—

श्रीमन्, मुझे स्पष्ट उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

आपने (खाद्य मंत्री) पहले कहा कि कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन आप के इस उत्तर से मालूम होता है कि आपने कदम उठाया है।

श्री मंगला प्रसाद—

वह बात इंडीकेशन है।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा—**

माननीय खाद्य मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित, अभी कहा गया है कि खांडसारी को फ्री कर दिया गया है और प्रदेश से बाहर भेजने के लिये उसके परमिट दिये जा रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फ्री परमिट के लिये उन्होंने कोई मात्रा निर्धारित की है या परमिटदार चाहे जितनी मात्रा में चाहे बाहर भेज सकता है ?

**श्री मंगला प्रसाद—**

जितने का परमिट उसे मिलेगा, उतना वह बाहर ले जा सकता है।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा—**

इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी दें तो अच्छा था।

**एक सदस्य—**

अध्यक्ष महोदय, आप उन्हीं को प्रश्न पूछने का मौका देते हैं जिन्हें पहचानते हैं। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिये। मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं।

**श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—**

इसके महत्व को देखते हुए क्या मुख्य मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो खांडसारी पर परमिट सिस्टम है, उसको बिलकुल खत्म कर दिया जाए और व्यापारियों को पूरी छूट दे दी जाए ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त—**

गुड़ प्रदेश से कहीं भी भेजा जा सकता है। उसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां तक खांडसारी का सम्बन्ध है यह प्रतिबन्ध खांडसारी के ऊपर अवश्य रहा है कि वह प्रदेश के बाहर नहीं जा सकती। केवल उस हालत में जा सकती है जब कि उसके भेजने वाले को कोई परमिट सरकार से मिले। सरकार ने पिछले समय में करीब १० हजार टन खांडसारी बाहर जाने की इजाजत दी थी, जिसमें से करीब ५ हजार टन बाहर भेजी जा चुकी है और ५ हजार टन बाहर जानी है। किन्तु अब हमने यह निर्णय लिया है कि उसमें अब कोई फिक्स न किया जाए कि १० हजार या ५ हजार टन ही बाहर भेजा जाएगा। प्रत्येक वह व्यक्ति जो खांडसारी का रोजगार करता है और प्रत्येक वह किसान जो खांडसारी पैदा करता है, वह डी० एस० ओ० के दफ्तर में जाएगा और परमिट मांगेगा जिस भी क्षेत्र में या प्रदेश में वह भेजना चाहे। उसका नाम वहां रजिस्टर्ड होगा। उसको परमिट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के अनुसार यानी जो पहले आएगा उसको उसका परमिट पहले मिलेगा। इस बारे में जिलाधीश का भी यह कर्तव्य रहेगा कि वह इस अधिकारी के बारे में देखे कि उसने पहले आने वाले व्यक्ति को परमिट दिया है। जिलाधीश की उस पर देखरेख रहेगी। जिससे किसी व्यक्ति को जो परमिट चाहता है उसको प्राप्त करने में कोई रुकावट पैदा न हो।

## जिला नैनीताल में बेगुल रिजर्वायर के सिंगहिया स्केप के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण

****८—श्री मुमताज मोहम्मद खां—**

**क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में बेगुल रिजर्वायर के सिंगहिया स्केप को (जिसका निर्माण बहुत शीघ्र आरम्भ होने वाला है) क्यों ऐसी अधिक उपजाऊ भूमि पर बनाना नियोजित किया गया है ?**

**उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति)—**

इसस्केप, जिसका बनाना अतिरिक्त पानी खारिज करने के लिये आवश्यक है, सबसे उपयोगी समरेखन के अनुसार बनाया जा रहा है। इसको बनाने में कुल ४० एकड़ कृषि भूमि आती

है। इस इसकेप के लिये कोई ऐसा समरेखन नहीं हो सकता जिसमें कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता न हो।

**९—मुमताज मोहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त इस्केप के निर्माण से उन किसानों में हाहाकार मची हुई है जिनकी जरखेज भूमि उक्त इसकेप के लिये सरकार ले रही है ?

श्री कमलापति—

केवल बरेली जिले के उतरेशिया और महोलिया तहसील बहेड़ी के गांवों के काश्तकारों ने प्रस्तावित समरेखन में आपत्ति उठाई थी। बरेली जिले में इसकेप के लिये २४ एकड़ भूमि की आवश्यकता है और इस भूमि के अध्यापन की कार्यवाही पूरी हो गयी है। अब मुआवजा बांट कर कब्जा लिया जा रहा है। इन काश्तकारों की आपत्ति पर पुनः सर्वेक्षण कराया गया था परन्तु और कोई उपयोगी समरेखन नहीं मिला।

**१०—श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या सरकार उक्त इसकेप के निर्माण के संबंध में पुनः सर्वेक्षण करावायेगी और उसको कंठ-गरी–मुड़ियां सड़क के सहारे बेकार भूमि पर बनाने पर ध्यान देगी ?

श्री कमलापति—

काश्तकारों का सुझाव है कि इस्केप किच्छा सितारगंज सड़क से निकल कर मुड़िया जाने वाली सड़क के किनारे किनारे बारो पिट्स में से हो कर बनाई जाय। यह समरेखन उचित नहीं है क्योंकि इसकेप को बहुत नीचे भूमि में से होकर ले जाना होगा। इस समरेखन में भी खेती योग्य भूमि आयेगी क्योंकि बारो पिट्स की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है। इस समरेखन से इसकेप की लम्बाई ४ फर्लांग बढ़ जायगी। इसके अतिरिक्त योजना में इसकेप द्वारा उस क्षेत्र में खारिज किये हुए पानी से खरीफ में सिंचाई की सुविधा देने का भी प्राविधान है। काश्तकारों द्वारा दिये हुए सुझाव पर इसकेप बनाने से इस सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पायेगी क्योंकि इसकेप को काफी नीचे भूमि में से ले जाना होगा।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

जब यह इस्केप बहुत ऊंची जमीन पर बन रहा है तो पानी किस तरह से खारिज होगा और क्या माननीय मंत्री जी इसका पुनःसर्वेक्षण करायेंगे कि कृषि योग्य भूमि जहां कम से कम ली जा सके वहां इस्केप बने ?

श्री कमलापति—

सर्वेक्षण तो दो बार हो चुका है। मैं अधिकारियों से बात भी कर लूंगा कि क्या कोई ऐसी संभावना है। अगर हो सकता है तो ठीक है नहीं तो इसकेप जहां उचित ढंग से बन सकता है वहां बनाया जा रहा है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या इस्केप के लिये जमीन लेने के लिये गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी भूमि के लिये ?

श्री कमलापति—

मैंने बताया कि ४० एकड़ ली जानेवाली है। बरेली जिले में २४ एकड़ है जो कायदे से ऐक्वायर की जा रही है और उसका मुआवजा दिया जा रहा है।

श्री ओमप्रकाश सिंह ( जिला बरेली)---

क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस सड़क का जिक्र किया गया है कंठगरी-मुड़िया सड़क उसके किनारे नेचुरल इस्केप है इससे पानी निकालने में सुविधा रहेगी ?

श्री कमलापति---

अब इस मामले में इंजीनियरों की राय है कि वह आगे नीची हो जायगी। जमीन जहां से इस्केप निकल रही है वह उसके करीब की बहुत बड़ी जमीन पर सिंचाई होती है और उधर से ले जायेंगे तो सुविधा छिन जायेगी ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

जब कि वहां एक रजबहे से सिंचाई का साधन पहले से मौजूद है तो फिर वहां इस्केप की क्या आवश्यकता है ?

श्री कमलापति---

मान्यवर, जहां सिंचाई के साधन पहले ही से है वहां भी तो साधन बढ़ाते ही जा रहे हैं ।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)---

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृप करेंगे कि इस स्केप को सड़क के किनारे किनारे, जो नेचुरल स्केप की सूरत में है, इसलिये नही बनाया जा रहा है कि वहां पर भूतपूर्व मन्त्री जी का फार्म है इससे उसको नुकसान पहुंचेग ?

श्री कमलापति---

यह एक आक्षेप है कि इसलिये उसको नहीं बनाया जा रहा है कि वहां पर भूतपूर्व मन्त्री जी का फार्म है । इसका क्या उत्तर दिया जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या उप मुख्य मन्त्री जी किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये, जैसा कि प्रश्नकर्ता का आशय है, इस स्केप के स्थान को बदलने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति---

ऐसी बातों में इंजीनियर की राय अन्त में मालम करनी होती है । मैं जरूर इसको देख लूंगा कि बिना किसी नुकसान के किसानों की जमीन बच सकती हो तो बचाई जाय ।

## प्रदेश के मेडिकल कालिजों से उत्तीर्ण होकर सरकारी सेवाओं में आये हुए स्नातकों की संख्या

**११---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों से गत तीन वर्षों में कुल कितने स्नातक उत्तीर्ण होकर निकले हैं और उनमें से कितने सरकार की नौकरी में है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

पिछले तीन वर्षों अर्थात् १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में राज्य के मेडिकल कालेजों से कुल १५०८ स्नातक उत्तीर्ण होकर निकले। उनमें से ३५२ अभी इन्टर्नशिप कर रहें हैं और बाकी ११५६ स्नातकों में से २८२ राज्य सरकार की नौकरी में आये हैं।

उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों की संख्या में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी और बनारस हिन्दू नीवर्सिटी के स्नातक शामिल नहीं हैं ।

**१२--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

उत्तीर्ण सभी डाक्टर्स सरकारी अस्पतालों में सेवायें स्वीकार करें इस दिशा में सरकार क्या किसी योजना पर विचार कर रही है?

श्री कृष्णानन्द राय---

सभी मेडिकल स्नातकों को सरकारी सेवा में लाने की कोई योजना आवश्यक नहीं है, पर राज्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में खाली पदों को भरने के उद्देश्य से अब तक जो कदम उठाये गये हैं उनके अतिरिक्त सरकार इस योजना पर भी विचार कर रही है कि मेडिकल कालेजों में विभिन्न कोटि की सुरक्षित सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों से कम से कम पांच वर्ष की अनिवार्य राजकीय सेवा करने का बांड भराया जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं इन पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह जो उन लोगों का ग्रेड आदि का झगड़ा चल रहा था वह सब रेगुलराइज किया गया । इस प्रकार से राजकीय सेवाओं में पहले से ज्यादा लोग आकर्षित हुये हैं । ६६-६७ में ८४ डाक्टर आये तो ६८-६९ में २०० डाक्टर राजकीय सेवाओं में आये । इसी प्रकार से आगे और अधिक इस ग्रेड रिवीजन के कारण आयेंगे ।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की संख्या इसमें क्यों नहीं जोड़ी गई ?

श्री कृष्णानन्द राय---

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के ७४ और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ५० हैं । इसमें छोड़ने का प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न मेडिकल कालेजों के बारे में है । इस संख्या में वह इन्कलूड नहीं है ।

श्री धर्मसिंह---

जो १५०८ उत्तीर्ण हुए उनमें से पहाड़ों के कितने थे और हरिजन विद्यार्थी कितने थे, दोनों की अलग अलग संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसकी तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह विभिन्न सुरक्षित सीटों की व्याख्या करेंगे कि कितनी-कितनी सीटें सुरक्षित हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

१९ स्थान अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित है, १९ पहाड़ी क्षेत्र के लिये, १९ उत्तराखंड के लिये और १०५ ग्रामीण क्षेत्र के लिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जितने स्नातक प्रतिवर्ष भर्ती किये जाते हैं उनमें महिलाओं की कितनी संख्या सुरक्षित है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

महिलाओं के लिये कोई संरक्षण नहीं है और सच पूछिये तो जितनी भर्ती हो सकती है उतनी आतीं नहीं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

यह जो संख्या दी कि १९ पहाड़ों के लिए और १९ शायद हरिजनों के लिये तो इस "१९" संख्या के निर्धारण का मापदंड क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

वैसे तो मेरिट के हिसाब से कितने भी छात्र कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन इतनी सीट सुरक्षित हैं, इसकी गारन्टी दी गयी है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे---

माप दंड बतायें कि १९ संख्या पर कैसे खूटा गाड़ लिया ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसका पता लगा लेंगे, सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जो स्नातक भर्ती किये जाते हैं तो दाखले के समय कोई बांड भराया जाता है, उनसे ?

श्री कृष्णानन्दराय ---

जिनको हम वजीफा आदि देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं उनसे तो बांड भराते हैं, जिनको वजीफा आदि नहीं देते उनसे नहीं भराते ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

प्री-मेडिकल टेस्ट की जो तिथि दी गयी है वह यूनिवर्सिटी के बी०एस०-सी० एग्जामिनेशंस के साथ भिड़ रही है और अखबारों में निकल चुका है। इस तरह तो सहस्त्रों विद्यार्थी पी० एम० टी० के एग्जामिनेशन्स में नहीं बैठे पायेगें, तो क्या मंत्री जी इसके लिये उचित कदम उठायेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जो बात मेरे लायक मित्र ने बताई अगर कोई ऐसी कठिनाई है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ।

## नवाबगंज कस्बे के श्री ओमप्रकाश रस्तोगी की सब-इन्सपेक्टर श्री आबिद अली द्वारा गिरफ्तारी

**१३---श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में थाना नवाबगंज के छोटे थानेदार श्री आबिद अली ने दिनांक ८ मार्च, १९६८ ई० को नवाबगंज कस्बे के एक समाज सेवी कार्यकर्त्ता श्री ओमप्रकाश रस्तोगी को कुआं न पटने देने के आरोप में गिरफ्तार करके खूब पीटा और जेल भेज दिया ? यदि हां, तो क्या थानेदार के खिलाफ समाज सेवी को पीटने के जुर्म में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

दिनांक ८-३-६८ को नहीं बल्कि दिनांक ८-३-६९ को थाना नवाबगंज के सबइन्स्पेक्टर श्री आबिद अली द्वारा श्री ओम प्रकाश रस्तोगी को धारा १५१/१०७/११७ जा० फौ० के अन्त-

गत गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया परन्तु उस दिन विलम्ब हो जाने के कारण उनको जेल में भरती नहीं किया जा सका। पुलिस द्वारा श्री ओम प्रकाश रस्तोगी को मारा पीटा नहीं गया। अतः इस संबंध में पुलिस के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री ओम प्रकाश को जेल भेजने के पहले उसका डाक्टरी मुआयना हुआ? यदि हां, तो उसके कितनी चोटें आयी थीं?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

वह तो थाने में ही रहा, जेल नहीं गया।

श्री चेतराम गंगवार—

मेरी निश्चित जानकारी है कि वह जेल गया और जमानत पर छुड़ाया गया। इन आबिद अली छोटे दरोगा की आदत मारने पीटने की पड़ गयी है इन्होंने एक रमजानी को इतना मारा कि वह मर गया। इन्होंने वहां के दरोगा रामकुमारसिंह को मारा। तो क्या मंत्री जी इनके बारे में सी० आई० डी० से जांच करायेंगे?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

हमारे पास तो उसकी कोई सूचना नहीं है, इन्क्वायरी हम किस चीज की करायें।

## जिला परिषद्, बलिया में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ शास्त्री का राज्यपाल महोदय को शिकायती पत्र

**१४—श्री बच्चा पाठक, (जिला बलिया), श्री निर्भयनारायण सिंह, (जिला बलिया) श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री जगरनाथ (जिला बलिया), श्री नगीना सिंह (जिला बलिया) तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

कृपया नियोजन मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री जगन्नाथ शास्त्री, सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक ६ नवम्बर, १९६८ का जिला परिषद् बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में शिकायती-पत्र राज्यपाल महोदय को प्राप्त हुआ है?

नियोजन मंत्री (श्री नारायण दत्त)—

जी हां।

**१५—श्री बच्चा पाठक, श्री निर्भय नारायण सिंह, श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री जगरनाथ, श्री नगीना सिंह तथा श्री मैनेजरसिंह—

अगर हां, तो कृपया मन्त्री जी उक्त शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त—

†वांछित प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

**१६—श्री बच्चा पाठक, श्री निर्भय नारायण सिंह, शम्भूनाथ चौधरी, श्री जगरनाथ, श्री नगीनासिंह, तथा श्री मैनेजरसिंह—

कृपया मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त शिकायतों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण दत्त—

उक्त शिकायती पत्र जांच के हेतु दिनांक ३ जनवरी, १९६९ को आयुक्त वाराणसी मंडल को भेज दिया गया था। आयुक्त ने जिला अधिकारी, बलिया के माध्यम से जांच कराई। जांच

---

†छापी नहीं गई।

[श्री नारायण दत्त]

रिपोर्ट शासन को दिनांक २२ मार्च, १९६९ तक प्राप्त नहीं हुई थी। अतएव, उसी दिन आयुक्त वाराणसी मंडल को तार द्वारा शिकायती पत्र वापिस करने तथा जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश भेजे गये थे।

जिलाधिकारी, बलिया की जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक २४ मार्च, १९६९ को प्राप्त हुई है जो अभी विचाराधीन है।

श्री जगरनाथ—

जो रिपोर्ट जिलाधिकारियों ने भेजी है उसमें से कितनी शिकायतें सही हैं और कौन-कौन सी सही हैं ?

श्री नारायण दत्त—

जिलाधिकारी बलिया की यह रिपोर्ट है, उन्होंने जिला परिषद् के अध्यक्ष की रिपोर्ट मांगी थी, उसके बाद उन्होंने शास्त्री जी को बुलाया कि उस रिपोर्ट पर वह अपनी टिप्पणी दें, किन्तु शास्त्री जी उनसे नहीं मिल सके, तो उन्होंने वह रिपोर्ट यहां भेज दी।

श्री जगरनाथ—

क्या सरकार इस संबंध में सी० आई० डी० से जांच करवायेगी ?

श्री नारायण दत्त—

यह रिपोर्ट कल ही मुझे प्राप्त हुई है, सारे अध्ययन के बाद अगर आवश्यकता हुई और सभी माननीय सदस्यों ने सहयोग दिया, विचार कर लिया जायगा कि क्या करना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, ८ अक्टूबर को विधान परिषद् के एक माननीय सदस्य ने आयुक्त, मंडल से शिकायत की। फिर राज्यपाल के यहां शिकायत की। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर आपके इस सचिवालय से कागज भेजा गया, उसके २० दिन बाद आयुक्त मंडल ने रिपोर्ट मांगी। दो महीने तक जिलाधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की और इतने दिनों बाद जांच के रिपोर्ट भेज दी आपके पास। इस बात को देखते हुये कि जिलाधिकारी, आयुक्त सारे इस भ्रष्ट काम में मिले हुये हैं, आप यहां के उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त—

जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह सारा प्रश्न सरकार के विचारधीन है और कल ही रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अगर आवश्यकता हुई तो वैसे ही जांच कराई जायगी,

## संसद सदस्य, श्री शारदा नन्द का ग्राम मल्हौसी, जिला इटावा की गांव सभा की भूमि से अध्यासन हटवाने के संबंध में शिकायती पत्र

**१७—श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्व सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन को माह दिसम्बर, १९६८ में संसद सदस्य श्री शारदानन्द जी का कोई रजिस्टर्ड पत्र डाक से ग्राम मल्हौसी, तहसील भरथना, जिला इटावा की लगभग ४०० बीघे गांव सभा की भूमि से दोषपूर्ण अध्यासन हटवाने के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई, कितनी भूमि से दोषपूर्ण अध्यासन हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

श्री शारदा नन्द, संसद सदस्य का शिकायती पत्र २३ दिसम्बर, १९६८ को प्राप्त हुआ था जो आवश्यक जांच के लिये जिलाधिकारी इटावा को ९ जनवरी, १९६९ को भेज दिया गया था। अभी जिलाधिकारी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

## कानपुर तहसील के सुखनीपुर, जाना, शेहपुर आदि ग्रामों में ओला वृष्टि से फसल को क्षति तथा काश्तकारों को आर्थिक सहायता

**१८---श्री मनोहर लाल---

क्या माल मन्त्री को ज्ञात है कि कानपुर जिले की कानपुर तहसील के कुछ गांव जैसे सुखनीपुर, जाना तथा शेहपुर आदि में दिनांक १९ मार्च, १९६९ को ओला गिरने से फसल बिल्कुल चौपट हो गई है ? क्या इन काश्तकारों को मालगुजारी में छूट तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

कानपुर तहसील के ९० गांवों में १९ मार्च,१९६९ को ओलावृष्टि से फसलों को क्षति पहुंची है। प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार क्षति की मात्रा लगभग ३० प्रतिशत है। क्षति की जांच अभी उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही है। आपद्कालीन तकाबी वितरण करने के लिये जिलाधिकारी ने ३०,००० रु० की मांग की थी जिसकी स्वीकृति २४ मार्च, १९६९ को भेज दी गई है।

## उर्वरक तथा सिंचाई पम्पों पर प्रस्तावित लेवी के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार के सुझाव

**१९---श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा उर्वरक तथा सिंचाई पम्पों पर प्रस्तावित लेवी (ड्यूटी) के संबंध में कोई विचार किया है और इस संबंध में अपने कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां।

**२०---श्री शिवराज सिंह---

यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम---

सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को इस आशय का पत्र भेजा है कि केन्द्रीय सरकार शक्ति चालित पम्प एवम् उर्वरक पर यथाक्रम २० प्रतिशत तथा १० प्रतिशत अनुमूल्य (एडवेलोरम ड्यटी) न लगाने पर विचार करें।

## राज्य सरकार द्वारा बड़े उद्योगों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने की केन्द्र को सिफारिश

**२१---श्री देवकी नन्दन विभव---

क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कौन-कौन बड़े उद्योग प्रदेश में लगाने की सिफारिश की हैं, उनमें कितनी लागत लगेगी और कहां-कहां वह उद्योग लगाने का सुझाव है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रदेश में निम्नलिखित बड़े उद्योगों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने की सिफारिश की है :—

| उद्योग का नाम | प्रस्तावित स्थान/स्थानों के नाम | अनुमानित लागत (रुपयों में) |
|---|---|---|
| १—ट्रैक्टर फैक्ट्री .. | रामनगर (वाराणसी) | १०.५ करोड़ |
| २—टेलीफून फैक्ट्री .. | १—नैनी (इलाहाबाद) .. | ज्ञात नहीं। |
| | २—देहरादून .. | |
| | ३—बरेली | |
| | ४—हरद्वार | |
| ३—भारत .. इलेक्ट्रानिक्स की दूसरी यूनिटें | १—नैनी (इलाहाबाद) .. | १२.०० करोड़ |
| | २—गाजियाबाद (मेरठ) .. | |
| | ३—रानीपुर (हरद्वार) | |
| ४—हवाई जहाज के पुर्जे | १—देहरादून .. .. | ७.०० करोड़ |
| | २—गाजियाबाद | |
| व उपसाधक बनाने | ३—लखनऊ .. .. | |
| की फैक्ट्री .. | ४—कानपुर | |
| ५—हैवी ड्यूटी पम्प्स ऐंड कम्प्रेशर्स फैक्ट्री | नैनी (इलाहाबाद) .. | १२.५० करोड़ |
| ६—सीमेन्ट फैक्ट्री .. | देहरादून .. .. | ज्ञात नहीं |
| ७—मार्डन बेकरी .. | कानपुर .. .. | १.०० करोड़ |
| ८—मिकेनाइज्ड फुटवियर फैक्ट्री कम टैनरी | कानपुर .. .. | १.५० करोड़ |
| ९—मशीन टूल्स फैक्ट्री | झांसी .. .. | २.०० करोड़ |
| १०—फाउन्ड्री फोर्ज फैक्ट्री | हरद्वार (सहारनपुर) .. | ३८.०० करोड़ |

## उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—

अब उपाध्यक्ष पद के लिये नाम निर्देशित प्रभ्यर्थियों के नामों की सूचना मैं दे देना चाहता हूं। नाम निर्देशित अभ्यर्थी ये हैं। पहले नाम निर्देशित अभ्यर्थी हैं श्री बासुदेवसिंह। इनके प्रस्तावक हैं श्री चन्द्रभानु गुप्त और समर्थक हैं श्री कमलापति त्रिपाठी। इन्हीं के नाम के दूसरे प्रस्तावक हैं श्री चौधरी चरण सिंह और समर्थक हैं श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी। इनके नाम के तीसरे प्रस्तावक हैं श्री मुस्तफा कामिल किदवई और समर्थक हैं श्री गोविन्द सिंह। इनके नाम के चौथे प्रस्तावक हैं श्री रामकरण सिंह तथा निर्भयनारायण सिंह तथा समर्थक हैं श्री श्याम सूरत। दूसरे नाम निर्देशित अभ्यर्थी हैं श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई। इनके बारे में प्रस्ताव किया है श्री नसीमुद्दीन ने तथा समर्थन किया है श्री हबीब अहमद ने। तीसरे नाम निर्देशित अभ्यर्थी हैं श्री भानुप्रताप सिंह तथा इनके प्रस्तावक हैं श्री मुन्शीलाल चमार और समर्थक हैं श्री अब्दुल गफ्फार हाशमी। चौथे नाम निर्देशित अभ्यर्थी हैं श्री शिव कैलाश। इनके प्रस्तावक हैं श्री हरिवंश और समर्थक हैं श्री दर्लासिगार। लेकिन श्री शिव कैलाश जी जो चौथे हैं इन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया है। इसलिये तीन ही सज्जन नाम निर्देशित हुए हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि जिस विषय पर चर्चा आप कर रहे थे उस विषय के सम्बन्ध में दो शब्द कहने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया है। यह सदन को भलीभांति विदित है कि जब अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन हो रहा था और विचार हो रहा था उस समय विरोधी पक्ष की तरफ से यह बात उठाई गई थी कि डिप्टी स्पीकर उनके पक्ष का हो। स्वत: मैं उन व्यक्तियों में से था जो इस परम्परा को पसन्द करते थे और इसलिये भी मैं पसन्द करता था कि कांग्रेस ने ही एक मर्तबा पहले इस परम्परा को प्रारम्भ किया था। दुर्भाग्यवश, बीच में उस परम्परा के अनुकूल कार्य न हो सका। इस वर्ष हम चाहते थे कि वह पुरानी परम्परा और सही परम्परा जो है वह यह सदन स्थापित करे। चौधरी चरण सिंह जी से जो कि विरोधी पक्ष के नेता हैं उनसे हमारे साथियों ने कुछ बातें की थीं। उनका भी कुछ इसी प्रकार का मत था। उन्होंने भी और विरोधी पक्ष के नेताओं से बात करने को कहा था और उसके बाद हमें सूचना देने के लिये बताया था। हमारे दल की बैठक इस विषय पर विचार करने को होने को थी। हमारे दल की बैठक के पूर्व हमें कोई सूचना नहीं मिल सकी और दल ने एकमत से अध्यक्ष जी, आपको मनोनीत किया कि आप इस पद को सुशोभित करें। जिस दिन हमने यह निर्णय लिया उसी दिन १०, साढ़े दस बजे चौधरी साहब का फोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद विरोधी पक्ष को मिलना चाहिये। मैंने उनसे यह निवेदन किया कि ठीक है, लेकिन अगर यह बात कुछ पूर्व हमें मालूम हो जाती तो हम अपने दल के सामने उसको रख देते। परन्तु इस बात से हम सहमत हैं कि विरोधी पक्ष एक मत से हमारे पास एक नाम भेज दे, हम उसको अपने दल के विचारार्थ प्रस्तुत कर देंगे, इस विश्वास के साथ कि आप जिस व्यक्ति का नाम एक मत से भेजेंगे, उसको हमारा दल मंजूर कर लेगा। चौधरी साहब ने बाद में हमें एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने उन व्यक्तियों के नाम भी लिखे कि जो लोग उनकी मीटिंग में मौजूद थे। उसमें करीब-करीब सभी दलों के नेतागण थे। उसमें थे—चौधरी चरण सिंह, श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री शमीम आलम, श्री गोविन्द सिंह, श्री रियासत हुसेन, श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री मुंशीराम चमार। इन नामों को देखकर मैंने उनको पत्र लिखा कि इसमें पी० एस० पी० का कोई नाम नहीं था तथा किसान मजदूर पार्टी, जिसके नेता श्री राम चन्द्र विकल हैं, उनका नाम भी नहीं था। चौधरी साहब ने लिखा कि रियासत हुसेन साहब का दल निर्दलीय उस पत्र में गलत लिखा गया है, वे पी० एस०पी० के हैं, वे उस दल के नेता नहीं हैं। जहां तक विकल जी का प्रश्न है उन्होंने लिखा कि वे भी उसी राय के हैं। बाद में उन्होंने उनकी राय भी लिख कर भेज दी। बाद में चौधरी साहब ने सब की राय लेकर और सबकी सलाह से यह लिख दिया कि वासुदेव जी जो एस० एस० पी० से संबंध रखते हैं, उनको सर्वसम्मत से विरोधीपक्ष के नेता लोग स्वीकार करते हैं। जिस दिन चौधरी साहब ने लिख कर भेजा उसी दिन रात्रि को दूसरा पत्र मुझे मौलाई जी का मिला कि उनसे इस विषय में कोई सलाह नहीं ली गयी है। उनको यह नाम स्वीकार नहीं है, वे किसी एक्सपीरियेंस्ड आदमी को इस पद पर रखने के हामी हैं। मैंने उस पत्र की प्रतिलिपि चौधरी साहब के पास भेज दी। चौधरी साहब ने उत्तर दिया कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई दल है जिसके नेता श्री मौलाई हैं और उससे उन्हें शक लगा कि शायद मैंने जो वचन विरोधी पक्ष को दिया था उससे मैं हटना चाहता हूं। उसके उत्तर में मैंने लिख दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जो वचन दिया है, मैं उस पर कटिबद्ध हूं। यह पद हम विरोधीपक्ष के व्यक्ति को ही देना चाहते हैं लेकिन, हम ऐसा चाहेंगे कि यह नाम सर्वसम्मत हो कर आये। जो नाम सर्वसम्मत आप की ओर से आयेगा उस को हम अपने दल में स्वीकार कराने की कोशिश करेंगे। उसके लिये हमने २५ तारीख को दल की मीटिंग रखी और कहा कि २५ तारीख को १० बजे हम उसे अपनी पार्टी के सामने रख देंगे। चौधरी साहब ने कहा कि यह २४ तारीख को तय हो जाना चाहिये,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

तो मैंने २४ तारीख को ही अपने दल की बैठक बुलायी। इस बीच में और बहुत सी बातें पैदा हो गयीं। हमने स्वीकार किया था कि विरोधी पक्ष की तरफ से एक नाम आना चाहिये। विरोधी पक्ष की तरफ से जो नाम आया था उसके सिलसिले में मैंने अपने साथियों में भी विचार किया और फिर मौलाई साहब को तथा और लोगों को भी बुलाया और वहां हमने उन सब से निवेदन किया कि विरोधी पक्ष की तरफ से एक मत से एक ही नाम रखना चाहिये जिससे जिस उद्देश्य से हमने यह निर्णय लिया था वह उद्देश्य पूरा हो तथा इस सदन की प्रतिष्ठा व गरिमा भी बढ़े। मौलाई साहब हमारे साथ थे और विरोधी पक्ष की तरफ से जो नाम आया था उसके विषय में अपनी राय देते रहे। इसके बाद वे यह कह कर चले गये कि १०-१५ मिनट के बाद मैं लौट कर आऊंगा और आप को सूचना दूंगा लेकिन वह अवसर आया नहीं और उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उसके बाद और पर्चे दाखिल हुए। इसके बाद मैंने इस बात की चेष्टा की कि सायंकाल सब लोग एक साथ बैठ कर एक मत से एक ही पर्चे के ऊपर फैसला कर लें, लेकिन सब लोग आये नहीं।

जहां तक एस० एस० पी० के नेता का सम्बन्ध है, वे उपस्थित नहीं हुए उस बैठक में और शाम को साढ़े ६-७ बजे के बाद एक फोन आया श्री राज नारायण जी का जो कि नेता हैं एस० एस० पी० के और माननीय जायसवाल जी का भी फोन आया जो यहां सदन में उस दल के नेता हैं---कि आप राजनारायण जी से बात कर लीजिये। मैंने राज-नारायण जी से बात की, उन्होंने कहा कि हमारा दल जो है वह इनको मंजूर नहीं करता, इनको इजाजत नहीं देता है खड़े होने की, केन्द्र का हाई कमांड ऐसा कहता है। हमने कहा कि यह बात ऐसी है कि हमने या जिन्होंने उनका समर्थन किया है उनको दिक्कत में डालने वाला है। आखिर को आप के नेता उस बैठक में गये थे, चौधरी साहब तथा अन्य दलों के नेता भी थे और सब ने मिल-जुल कर फैसला लिया था। कल-जब मेरे कमरे में बैठक हुई तो श्री कमलापति त्रिपाठी थे, चौधरी साहब भी थे। मैं दूसरे काम में व्यस्त हो गया, अपने पीछे वाले कमरे में बैठ कर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के फूड सेक्रेटरी जो आये थे, उनसे बातें कर रहा था। तो आपस में सब लोगों की बातें हुईं और सब का यही एक दृष्टिकोण था कि एक राय से सब फैसला होना चाहिये। फिर जब मुझे यह कहा गया कि एस० एस० पी० वाले एक बात पर सहमत नहीं हैं और उनका दल अपने साथी को खड़े होने की इजाजत नहीं देगा तो हमारे बीच में कल एक कठिन परिस्थिति पैदा हो गयी और हमें कुछ ऐसा लगा कि इनका नाम वे वापस लिवा लेंगे। श्री भानुप्रताप सिंह भी उस मीटिंग में आये थे। मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उनसे जब मैंने यह कहा कि भाई, मैंने तो वचन दे दिया है श्री वासुदेव सिंह के लिये और उनका समर्थन भी किया है तो श्री भानु प्रताप सिंह ने कहा कि वे अपना नाम वापस लें लेंगे। यह बात मेरी उनसे राज नारायण जी और सदन में उनके नेता श्री जायसवाल जी से बात होने के पूर्व हुई। फिर जब यह बात हुई तो मुझे कुछ शंका पैदा हुई तो मैंने श्री भानु प्रताप सिंह से कह दिया कि वे अपने नाम की वापसी के सिलसिले में एक स्टेटमेंट दे देंगे कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन जब मुझे यह शंका पैदा हो गयी कि एस० एस० पी० वाले श्री वासुदेव सिंह को खड़े होने की इजाजत ही नहीं देंगे और न उन्हें खड़ा होने देंगे, तो मेरे एक और मित्र जब मुझसे मिलने आये तो मैंने उनसे कहा कि जब ४ आदमी लड़ रहे हैं तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि किसी को हम इससे वंचित कर दें कि वह खड़ा न हो। और मैंने उनसे कहा कि अब इस परिस्थिति पर हमारा दल एग्री करेगा और फिर से हम और विभिन्न दलों के नेता बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि यह मसला आपस में तय हो जाय और एक व्यक्ति का नाम सर्वसम्मति से आ जाय। इस तरह से तो वह उद्देश्य ही खब्त हो जाता है जबकि इस ओहदे के लिये विरोध होता है और एक व्यक्ति के लोग सर्वसम्मत से नहीं चुनते हैं। मेरी बात चौधरी साहब से और श्री माधव प्रसाद जी से हुई। उनका भी मत है कि जो फैसला हमने लिया है उससे हम सब बंधे हैं और इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते।

एक प्रस्ताव मेरे पास सोशलिस्ट पार्टी ने भेजा है कि हम उनको उपाध्यक्ष पद के लिये चुने जाने की इजाजत नहीं देते हैं और अगर वह खड़े भी होंगे तो हम अपने साथियों को मत देने से

मना करेंगे और उनको न्यूट्रल कर देंगे और मौलाई जी तो आये ही नहीं। परिस्थिति यह है। सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुये यह एक महत्व का प्रश्न है और यही उचित होगा कि एक व्यक्ति चुना जाय जिसके नाम पर हम सब पहले से राजी हैं, उसके हटने का कोई कारण नहीं है। जिन अन्य लोगों ने नामिनेशन के पर्चे दाखिल किये थे, उनमें से एक ने तो नाम वापस कर लिया है। श्री भानु प्रताप सिंह कल ही कह रहे थे वापस करने को लेकिन जब मैंने ऐसी परिस्थिति देखी तो मैंने ही उनसे कहा कि अभी आप ऐसी स्थिति में वापस न करें और कल विचार करेंगे और आज भी वह सवेरे से ही अपने पर्चे की वापसी का आग्रह कर रहे थे। उन्होंने पूरी मात्रा में सहयोग दिया और जिस कार्य को हम सदन के समक्ष मिलजुल कर करना चाहते थे और एक मिसाल रखना चाहते थे उसके लिये उन्होंने मौका दिया। हम चाहते थे कि गणतन्त्र की परम्पराओं के अनुकूल इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा कायम रहे और उन परम्पराओं को कायम करने के लिये हम एक सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर श्री भानु प्रताप सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि वह हमारे अनुरोध पर राजी हो गये और जिस व्यक्ति का नाम विरोधी पक्ष ने चुनकर भेजा था उन्हीं के लिये मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको सदन एक मत से इस पद के लिये स्वीकार करे। इससे सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसी से जेन्टिलमैंस एग्रीमेंट की बात भी सिद्ध होती है। अगर हम इसको नहीं मानते हैं और इसके विपरीत कार्य करते हैं तो जहां तक कांग्रेस दल का संबंध है वह इस बात को मानता है कि जो विरोधी पक्ष के दल बड़े-बड़े दल उधर बैठे हैं वह दि एक मत से इस चुनाव के लिये आग्रह करते हैं तो कांग्रेस दल उस आग्रह को स्वीकार करेगा, वह उसका समर्थन करेगा।

एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी बात हमारी और चौधरी साहब की तय हुई थी वह यह थी कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी सर्वसम्मत से ही होगा और डिप्टी स्पीकर भी इस बात की घोषणा करेंगे कि वह किसी दल से अपना संबंध न रखेंगे। अभी तक ऐसी स्थिति है कि वह बात पूरी नहीं हो सकी है। इस माने में कि अभी तक मौलाई जी ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है और न वापस लेने को बात कही है। जहां तक श्री भानुप्रताप सिंह का संबंध है वह कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं और वह एक ऐसे कार्य में अपने सहयोग के लिये उद्यत हैं। इसलिये मैं सदन और अपने तमाम साथियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आपके द्वारा अपनी आवाज अपने सभी साथियों के बीच तक पहुंचाना चाहता हूं जिससे डिप्टी स्पीकर के पद पर जो व्यक्ति बैठे वह एक मत से चुना जाय और मैं और मेरा दल उस बात को स्वीकार करेगा जिस बात को विरोधी पक्ष के बड़े बड़े दल स्वीकार करते हैं और समर्थन करते हैं।

**श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---**

श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है, श्री राहत मौलाई ने उर्दू में नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं समझता हूं कि जब कि सदन की और प्रदेश की भाषा हिन्दी है तो उनका पर्चा रद्द किया जाय?

**श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---**

श्रीमन्, मैं प्रारम्भ से ही इस बात का हामी था कि उपाध्यक्ष का चुनाव इस सदन की गरिमा के अनुकूल ही हो। कल विशेष परिस्थिति में अपना नामांकन-पत्र दाखिल किया था। मुझे यह सूचना मिल चुकी थी कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की जो कार्यकारिणी है वह श्री वासुदेव को इजाजत नहीं देगी और मुझे शंका हुयी कि संभव है कि वे अपना नाम वापस ले लें, लेकिन चूंकि वे अपनी राष्ट्रीय कार्य कारिणी के आदेश के बावजूद अपना नाम वापस लेने को तैयार नहीं हैं, इसलिए उनके निर्विरोध चुनाव में बाधा न पहुंचे, इसलिये मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

**श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---**

माननीय नेता सदन ने जो फरमाया, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। मैं उनको इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं कि बावजूद इस बात के कि मेरी और मेरे साथियों की जो बात तय हुयी थी, हम सर्वसम्मत नाम देने की बात को पूरा नहीं कर सके। फिर भी इस बात का लिहाज करके वे उस बात पर कायम रहे हैं, मैं इसके लिए उन्हें खासकर बधाई देता हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं माननीय गुप्ता जी को इस बात के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विपक्ष की भावनाओं का आदर किया और वे निर्विरोध चुनाव कराने में सहयोगी हुए। माननीय चौधरी साहब ने, हमने और अन्य व्यक्तियों ने एक बैठक में यह तय किया कि, जहां तक सम्भव हो सका सब से सम्पर्क करके, एक ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाय जो सर्वसम्मति से स्वीकार हो सके। उसके सम्बन्ध में माननीय भानु बाबू का भी नाम था परन्तु किसी कारण वे नहीं आ सके। तब हमने श्री वासुदेव जी का नाम देने का निर्णय किया। उनके प्रति उनके दल में जो बातें रही हों, उनका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है। हम तो किसी एक व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे, वह किसी भी दल का रहा हो, उपाध्यक्ष पद की अर्हता रखता हो। वे सब क्वालिफिकेशन्स उनमें मैंने और मेरे साथियों ने, जो वहां पर बैठे थे, पायीं। बिना दल के विचार किए उनको इस पद के लिए सिफारिश की और माननीय गुप्ता जी ने इस बात को मान लिया। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें समय पर सूचना न मिली हो लेकिन जब विरोधी पक्ष के नेता की ओर से कोई बात कही जाय तो उस को मान लेना चाहिये। माननीय गुप्ता जी ने जो कहा, वह सच कहा है। आज जो अखबारों में निकला हमारा उससे सम्बन्ध नहीं है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नैतिकता और कानून दोनों दृष्टियों से एक योग्य व्यक्ति ही उस कुर्सी पर विराजमान हो, यही हमारी इच्छा है। हम लोगों ने जो आग्रह किया उसको माननीय गुप्ता जी ने स्वीकार किया और आज जो निर्णय होने जा रहा है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय भानु जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो पहले से इस राय के थे और आज भी व्यक्त की कि उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन निर्विरोध हो और उसमें वह सहायक होंगे इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सुचारुरूप से कार्य हो, रंजिश न आये, इस रीति से हमारा कार्य का संचालन हो। मेरी दरख्वास्त है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं वे भी अपना नामिनेशन वापस ले लेंगे और इसमें वे सहायक होंगे।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष के पद के चुनाव के बारे में माननीय गुप्ता जी को सुनने के बाद और दूसरे साथियों के सुनने के बाद मैंने यह मुनासिब समझा कि जो चीजें परदे के पीछे हैं और जिसको लोग जानते नहीं हैं उसको मैं आप के सामने रख दूं। जब आप के पद के चुनाव का सवाल था तो जाहिर है कि हम लोग चौधरी साहब से मिले थे और हम लोगों की मौजूदगी में ही यह तय हुआ कि विरोधी पक्ष का एक उम्मीदवार लड़े। और यह भी तय हुआ कि श्री वासुदेव सिंह उम्मीदवार होंगे। माननीय चौधरी साहब ने गुप्ता जी से बातचीत की और यह कहा कि स्पीकर कान्फ्रेंस के मुताबिक कांग्रेस से ही स्पीकर पद के लिये आदमी चुना जाय और चुने जाने के बाद वह अपने दल से इस्तीफ़ा देगा और वह उनको स्वीकार होगा। दूसरी चीज यह तय हुई कि पैनल के बजाय एक आदमी का नाम उनको स्वीकार होगा। गुप्ता जी ने समय लिया। १५ तारीख की बात है। सुबह ९ बजे तक अपने दल से सलाह करके चौधरी साहब को अपना निर्णय देने का वायदा किया। उनका निर्णय सुनने के लिये विधान सभा में जो संविद का कमरा है उसमें एकत्रित हुए और चौधरी साहब ने इत्तला दी कि गुप्ता जी ने हमारी दोनों शर्तें मान ली। लिहाजा श्रीमान जी का ही नाम अध्यक्ष पद के लिये रह गया।

उसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है। उसमें गुप्ता जी ने हम लोगों को भी एक चिट्ठी लिखी कि विरोधी दल के लोग आपस में तय करके किसी एक आदमी का नाम उनको भेज दें तो वह उनको स्वीकार होगा। अकेला एक नाम भेज दें या पैनल। चौधरी साहब की तरफ़ से जो बात उठाई गयी थी उसमें खाली एक आदमी के नाम की बात थी। उस पर चौधरी साहब ने रायजनी की और कहा कि यह पत्र शरारतपूर्ण मालूम होता है और अगर कोई एक नाम दे दिया जाय तब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शायद पता चले कि शरारत क्या है ? हमारे दल के लोगों ने उस पर विचार किया और संसदीय दल में विचार करने के बाद जो हमारी पार्टी का निर्णय होगा उस पर हम पाबन्द होंगे और जब तक वह निर्णय नहीं होता है तब तक अपनी स्वीकृति हम नहीं दे सकते हैं। हमारी पार्टी और संसदीय विधायकों का जो दल है उसने विचार किया और यह तय पाया कि संसदीय समिति की मंजूरी आने के बाद अगर हम इस पद के लिये तैयार हों तो सूचना दे देंगे लेकिन समय कम था लिहाजा हमारे दल के लोगों ने कहा कि वासुदेव जी के नाम की मंजूरी चौधरी साहब को सूचित कर दी जाय। लेकिन कल वहां से हमको स्पष्ट निर्देश मिला कि हम इस पद को ग्रहण न करें और उसके कारण हैं जो मैं आप के सामने लाना चाहता हूं। जब हम लोगों ने श्री मौलाई का नाम, उनकी चिट्ठी और उस पर गुप्ता जी की प्रतिक्रिया को अखबार में पढ़ा तो उससे लगा कि जैसे विरोधी दलों में आपस में फूट डालने की यह कोशिश चल रही है और हम लोग उसमें फंसाये जा रहे हैं। और मैं आप को यह कह दूं कि कल जो बात मैंने अपने कानों से सुनी है माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय कृष्णानन्द राय जी के बीच, उन्होंने सिद्धान्त की बात भी यहां कही है, मैं यह कोशिश करूंगा कि वह ज्यों की त्यों यहां पर इस सदन में आपके सामने रख दूं। माननीय कृष्णानन्द राय जी के पास रात १० बजे गुप्ता जी का टेलीफ़ोन आया। उस पर कृष्णानन्द राय जी ने यह जवाब दिया कि अभी-अभी सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी और उसका यह निर्णय हमारे पास आ गया है। तो गुप्ता जी ने उनसे कहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाओ। अगर पार्टी में फूट पड़ सके तो १०–१५ आदमियों को तोड़ लो और श्री बासुदेव जी को राजी करो कि वह खड़े रहें। उसके बाद फिर जो और बात आयी है जरा उसको ध्यान से सुनें और मैं चाहता हूं कि यह पूरा सदन उस पर विचार करे। कृष्णानन्द राय जी ने गुप्ता जी को सूचना देते हुये कहा कि नाना जी देशमुख से भी बात हुई है इस सम्बन्ध में और उनकी भी यह यह राय है कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाय, गुप्ता जी से भी कहा जाय और अगर हो सके तो सोशलिस्ट पार्टी को तोड़ा जाय।

**श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी**—

जो व्यक्ति यहां हैं नहीं उसका अगर नाम न लिया जाय तो अच्छा है।

**श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)**—

इनके पास यह सूचना कहां से आयी कि नानाजी देशमुख का भी नाम ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**—

आप सुन लीजिये उसमें क्या है। गलत या असत्य समझें तो भी सब्र करनी चाहिये।

**श्री अनन्तराम जायसवाल**—

उस हालत में हम वासुदेव जी को अपना उम्मीदवार रखेंगे वरना उनसे अपना नाम वापस लेने के लिये कहेंगे। और कांफ़ीडेन्शल बात भी एक बतायी कि गुप्ता जी के प्रति उनका आदर बहुत बढ़ गया है, हिन्दी के मामले में और चुनावों के सम्बन्ध में जांच कमेटी के मामल में। इसलिये हम नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार टूटे और हमने अपने विधायक मंडल को यह निर्देश दिया है कि अगर डिवीजन का कभी कोई प्रश्न आये तो हमारे दल के लोग उसमें भाग न लें। यह स्पष्ट कि इतनी बड़ी साजिश डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर हो रही है। इन सब परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हमारे दल ने निर्णय किया कि हम इस साजिश का अंग नहीं बनेंगे और उसकी सूचना माननीय गुप्ता जी और चौधरी साहब को हमने समय से कर दी।

**श्री अध्यक्ष**—

आपने यह सब लिख दिया था जो यहां सदन में कहा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तो कल रात १० बजे की बात है। इसलिये मैं सारी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह हो सकता है कि आप सर्वसम्मत चुनाव के लिये कोई सुझाव दे सकते हों तो दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैंने सूचना दे दी थी कि हम तटस्थ रहेंगे। लेकिन गुप्ता जी और चरणसिंह जी का वायदा है तो वह उसको निभायें।

चिकित्सा मन्त्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि आप डिटेल में न जायं। अगर कोई चीज नहीं हुई है तो आप इंकार कर दें।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं टेलीफ़ोन के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ही देना चाहता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन ने जो परम्परा कायम करने की कोशिश की है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसमें विघ्न डालने के लिये कुचक्र चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि ऐसी टीका करने के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा। पार्टी ने फैसला क्यों किया, यह उन्होंने बता दिया। यदि आप सत्य नहीं समझते हैं तो जिनके बारे में कहा गया है उनको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, मैं निर्विरोध चुनाव के लिये साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मुस्लिम मजलिस के माननीय राहत मौलाई जी से कि वह अपना नाम वापस ले लें और इस समय इस परम्परा में योगदान करें। कुछ लोग किसी काम को सुन्दर ढंग से नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष—

बीच में आक्षेप करने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात सुनने के लिये हम तैयार नहीं हैं ये लोग कांग्रेस गवर्नमेन्ट क मजबूत बनाने की बात करते हैं और विरोधी पक्ष में बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कांग्रेस को मजबूत करते हैं वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं, उनसे सावधान रहें।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा नीय ज यसवाल जी हमारे बड़े मित्र हैं और मैं उनका और उनकी पार्टी का बड़ा आदर करता हूं। अगर वह यह कहे होते कि मेरी और माननीय गुप्ता जी की कुछ बातचीत हुई है और मैंने उनको कनवे किया है तो कुछ बात समझ में आ सकती थी। लेकिन मुझे आशा है कि वह इस बात को स्वयं स्वीकार करेंगे कि मुझसे इस संबंध में उनकी बातचीत नहीं हुई है कि ऐसा फ़ोन आया था। कल कई बार पंडित जी से गुप्ता जी से और नाना जी देशमुख से बातचीत होती रही। किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा कि सोशलिस्ट पार्टी की फूट से फ़ायदा उठाना है। सभी लोग अत्यन्त चिन्तित थे कि किसी प्रकार से ऐसी स्थिति आये कि हम लोग जो कमिटमेंट कर चुके हैं वह पूरा हो जाय। हम लोग प्रयास करते रहे। जब उनकी पार्टी का मैनडेट हो गया और फ़िर भी वह खड़े हो रहे हैं तो स्वाभाविक था कि हम लोग पता लगाते कि उनके साथ १०-२० आदमी हैं या नहीं। तो इस तरह की बात करना और भ्रम फ़ैलाने की बात करना हमारी समझ में नहीं आता। मैं सोशलिस्ट पार्टी का और, अपने मित्र का आदर करता हूं, लेकिन यह बात बिलकुल निराधार है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, नानाजी का नाम लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

नाना जी यहां नहीं हैं। उनके बारे में कहने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर राजनीतिक दांव पेंच न खेले गये होते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—

मैं अब व्यवस्था का प्रश्न ले रहा हूं।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि हमारे मित्र जायसवाल जी ने जो बातें अभी यहां कहीं हैं और जो वास्तविकता से परे हैं उनको इस प्रकार से रखने की चेष्टा की है जिससे हम इस प्रयास में जुटे हुये थे कि उनके दल में झगड़ा पैदा हो। कल जायसवाल जी ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि राजनारायण जी से बातें कर लीजिये। मैं राजनारायण जी से जब कभी बात करता हूं तो अपने ढंग से बात करता हूं और मेरा ढंग उनसे बात करने का जिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

तरह से है मैं उसको सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकता। जो उनके बारे में मैं अपनी राय रखता हूं और जिस तरह से उनकी राय के बारे में राय देता हूं, वह उनको, उनके साथियों को विदित है। कल भी मुझे सुन रहे होंगे जब मैंने उनसे इस सिलसिले में कहा था और आज भी यह बात अपने दल के सामने कहा था कि आज इस दल ने हम को इस परिस्थिति में डाल दिया है कि हम पर आरोप लगायेंगे, अगर हम समर्थन करेंगे कि हमारे दल में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी आप के कमरे में, पहले अपने कमरे में, सब दलों के नेताओं को बुलाया था वहां नहीं आये तो आपके कमरे में त्रिपाठी जी आये। वहां भी मैंने यह बात कही कि परिस्थिति ऐसी पैदा हो गयी है कि एस० एस० पी० की तरफ से कहा जायगा, जब हम उनका समर्थन करेंगे, कि हम उनके दल में तोड़-फोड़ करना चाहते हैं। उस पर त्रिपाठी जी ने कहा कि जेंटिलमैन्स ऐग्रीमेंट भी कोई चीज है। हमने मिलजुल कर एक व्यक्ति को चुना, आपने, मुख्य मंत्री ने, उसका समर्थन किया। तो आप को उसे स्वीकार करना चाहिये। जायसवाल जी ने जिस प्रकार से यह बात रखी है और उस को रख कर जिस रूप को वह दिखाना चाहते हैं कि हम उनके दल को तोड़ना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने चीजों को तोड़ मरोड़ कर पुट करने की चेष्टा की, मुझे इसका बड़ा दुःख है। जायसवाल जी से मैं इसकी आशा नहीं करता था। राजनारायण जी से हर बात सम्भव है। वह झूठ को सच और सच को झूठ कहने में माहिर हैं, लेकिन उनके बारे में मेरी यह राय नहीं बनी थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह बातें कही हैं, उससे मुझे उनके बारे में भी अपनी राय बदलनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर) प्रथा यही है कि जब उन्होंने वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया आपको उसे स्वीकार करना चाहिये। आपने आक्षेप किया है जो उचित नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

गुप्ता जी और कृष्णानन्द राय जी में जो फोन पर बातचीत हुई है उस को मैंने यथारथः रख दिया है। इसके बावजूद वह इनकार कर रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष—

अब, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसका जवाब दे रहा हूं। श्री राहत मीलाई का जो यहां पर नाम निर्देशन हुआ है वह उर्दू में हुआ है, हिन्दी में नहीं हुआ, यह बात गलत है। नाम निर्देशन-पत्र में उनका नाम देवनागरी में लिखा गया है। प्रस्ताव भी हिन्दी में है। जो दस्तखत हैं वह देवनागरी में न कर के जैसे वह दस्तखत करते हैं परशियन स्क्रिप्ट में किया है। इसलिये हमारे यहां इस चीज को मान्य कर लिया गया कि जहांतक प्रस्ताव है वह हिन्दी में है ही। दस्तखत करने में यह जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो हिन्दी लिख नहीं सकता या देवनागरी लिख नहीं सकता है और जो परशियन स्क्रिप्ट में हमेशा दस्तखत करता है, तो वह न करे इसलिए वह बात मान ली गयी। यह मान कर अब चलना है मैं इतनी अपील करूंगा।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में देखें—पृष्ठ ४, अनुच्छेद ५ में शपथ अथवा प्रतिज्ञान शीर्षक में लिखा हुआ है—"सदन के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल अथवा उनके द्वारा एतदर्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, अनुच्छेद १८८ के रूप में अधीन उस रूप में जो कि संविधान की तीसरी अनुसूची में एतदर्थ विहित है, शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे तथा उस पर,एवं एतत्प्रयोजनार्थ रखी गयी पंक्ति में,हस्ताक्षर करेंगे।" आपने जो हस्तपुस्तिका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी है उसमें भी आपने शपथ लेने के शपथ-पत्र का प्रारूप दिया है। वह एक निर्धारित प्रारूप है। इसके अलावा अन्य कोई फार्म या भाषा इसके लिये नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसी के अनुच्छेद ६ के (ख) में लिखा है:-"कोई भी अन्य व्यक्ति उस आसन पर नहीं बैठेगा जो सभा मंडप में सदस्यों के लिए अभिप्रेत है।" तो विधान सभा के हर सदस्य के लिये अनिवार्य हो जाता है कि वह निर्धारित शपथ-पत्र पर ही शपथ ले। किन्तु उन्होंने उसमें अपनी शपथ नहीं ली। इस तरह से वह यहां के सदस्य नहीं हैं और एक बाहरी व्यक्ति हैं। और जो बाहरी व्यक्ति इस सदन का सदस्य ही नहीं है वह किस प्रकार इस सदन में बैठ सकता है और कैसे वह उपाध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित हो सकता है? उनके जो शपथ के दस्तखत हैं उसमें उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने उर्दू में शपथ ली है इसलिए वह सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसका स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया था। उन्होंने जो शपथ ली है। जिस तरह का फार्म है उस तरह की शपथ उन्होंने यहां ली है। उन्होंने पढ़कर सुनाया जो उस वक्त शपथ एडमिनिस्टर्ड कराने वाले थे और जिनको अधिकारी राज्यपाल ने मुकर्रर किया था। उन्होंने हिन्दी में पढ़ा और श्री.राहत मौलाई जी हिन्दी में पढ़ते गये। उस हिन्दी के फार्म में उनके दस्तखत हैं। खाली उन्होंने यह लिख दिया कि मैंने उर्दू में शपथ ली है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप उस पर यकीन करें तो अब यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहन लाल कपूर--

वह सब जगह यही कह रहे हैं कि मैंने उर्दू में शपथ ली है।

श्री अध्यक्ष--

यदि कोई यह कहे कि इस वक्त रात है और चांद निकला हुआ है, तो क्या आप उसको सत्य मान लेंगे? जो सत्य है वह सत्य रहेगा। वस्तुस्थिति को कोई कुछ भी कह कर बदल नहीं सकता है, उसे असत्य नहीं सिद्ध कर सकता है। किसी के लिख देने से सत्य असत्य नहीं हो सकता और न असत्य सत्य हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि उस पर कोई प्रश्न नहीं उठता चाहे उन्होंने जो कुछ लिखा था। हमारे रजिस्टर में उनके दस्तखत भी हैं। अब दस्तखत करने के बारे में, वह कोई भी आदमी जैसे अपने दस्तखत करता है वैसे करेगा। इसके लिये आवश्यक नहीं है कि वह देवनागरी में ही दस्तखत करे। इसलिये आपका प्रश्न नहीं उठता। फिर भी यदि आप समझते हैं कि उन्होंने नियमतः शपथ नहीं ली और वह इस सदन के मेम्बर नहीं है, तो अब आपको यह मामला कोर्ट में ले जाना चाहिये। वहां से इसका फैसला हो जाएगा। मैंने तो इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है। कोर्ट में आपको ले जाना चाहिये और कोर्ट में ले जाने का खतरा मोल लेना चाहिये। इसमें उनके लिये भी सबक हो जाएगा। मैं यह मानता हूं कि वह इस सदन के सदस्य हैं और उन्होंने विधि पूर्वक शपथ ले ली है।

तो अब सबकी अपीलें सुनने के बाद वह (श्री मौलाई) अपना नाम वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते?

(श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई के "नहीं" कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

तो मैं समझता हूं कि अब इस पद के लिये दो नाम इस सदन के सामने हैं। एक श्री बासुदेव जी का और दूसरा श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई का। तो अब जो श्री बासुदेव जी के नाम के प्रस्तावक हैं वह अपना प्रस्ताव उपस्थित करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपाध्यक्ष पद के लिये प्रोफेसर बासुदेव का नाम यह सदन स्वीकार करे।

श्री चरण सिंह---

मैं श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

श्री नसीमउद्दीन जी जो दूसरे प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं वे कृपया अपना प्रस्ताव सदन के सामने रख दें।

(श्री नसीम उद्दीन के सदन में उपस्थित न होने पर)

वे यहां नहीं हैं। चूंकि प्रस्तावक ही नहीं हैं इसलिये दूसरा प्रस्ताव नहीं आयेगा और जब दूसरा प्रस्ताव नहीं है तो मैं यह घोषणा करता हूं कि श्री वासुदेव जी इस सदन के उपाध्यक्ष निर्विरोध चुन लिये गये।

(हर्ष-ध्वनि)

## उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित, श्री वासुदेव को बधाई

श्री अध्यक्ष---

मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से प्रोफेसर वासुदेव जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका निर्विरोध चुनाव इस सदन में हुआ। उनकी योग्यता की तारीफ मैं सुन चुका हूं क्योंकि जिस वक्त उनका नाम प्रस्तावित होने वाला था तो मुझे इस बात का ख्याल था कि उनकी उम्र ज्यादा हो सकती है। लोग कहते हैं कि मैं जईफों की तरफ जा रहा हूं यद्यपि मैं अपने को जईफ मानता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद इतनी मेहनत मुझसे न बने और साथ ही यह भी हो सकता है कि वे विद्वान हैं तो कभी विचार विनिमय से किसी परम्परा को चलाना चाहिये उस पर उनसे परामर्श करना पड़े। उसके लिये ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो विद्वान हो, संजीदा हो और अपने वचन का पक्का हो। ऐसा अगर व्यक्ति विरोधी दल देता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और विरोधी दल ने ऐसे व्यक्ति का नाम पेश किया। तो मुझे खुशी हुई। लेकिन फिर एक संकट पैदा हुआ और शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो जाय कि जो परम्परा यह सदन कायम करना चाहता है अपने देश और प्रदेश में वह कहीं टूट न जाय लेकिन उस परम्परा को आप ने कायम रखा यद्यपि भाषण में अभी एक दूसरे के विरुद्ध कुछ बातें कहीं गई, लेकिन मैं जानता हूं कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने भी किसी कारण से हो उनके नाम का समर्थन न किया हो लेकिन जहां तक प्रोफेसर साहब के व्यक्तित्व का सवाल है उसकी उन्होंने सराहना ही की है और उनके दिलों में भी इस बात से खुशी होगी कि एक योग्य व्यक्ति आपका उपाध्यक्ष चुना गया। मैं बधाई देकर माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि मैं थोड़े देर के लिये इस सदन को छोड़ता हूं और वे कृपा कर के उपाध्यक्ष जी को जिस तरह से मुझे पकड़कर लाये थे उसी तरह से उनको भी यहां पर ले आकर इस आसन पर आसीन करावें।

(माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने श्री वासुदेव को अध्यक्ष पीठ तक लाकर पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

*मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)---

उपाध्यक्ष जी, यह प्रसन्नता की बात है कि आज जिस पद को आप सुशोभित करने जा रहे हैं उसके लिये सदन ने आपको एक मत से चुनकर इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। पूर्व इसके कि मैं आपको बधाई दूं सदन के सभी सदस्यों को इस कार्य के लिये बधाई देता हूं और सभी दल के नेताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्य के सम्पादन में पूरी मात्रा में सहयोग प्रदान किया। आपका और मेरा परिचय पहले से इस माने में नहीं रहा कि आप और मैं बहुत नजदीक नहीं रहे हैं। कल ही मेरा आप से साक्षात्कार हुआ है परन्तु जो कुछ मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके बिषय में सुना है एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, एक दल के बड़े नेता के सहयोगी के रूप में वह सब ऐसा है जो हम सब में यह विश्वास पैदा करता है कि आप इस पद की शोभा को बढ़ायेंगे और इसकी जो परम्परायें हैं और मर्यादायें हैं सदैव उनकी रक्षा करेंगे। भले ही आप अध्यापक रहे हों जैसा कि अध्यापकों के विषय में गोल्ड स्मिथ कहा करता था कि अध्यापक बहस करने में माहिर होता है तो आप अध्यापक की उस परम्परा से ऊंचे उठ कर हमारे समक्ष इस पद पर बैठ कर इस बात को साबित करेंगे कि अध्यापकों के विषय में यह जो बात कहावत के रूप में कही जाती है वह भ्रमात्मक बात है।

आपका कार्यक्षेत्र प्रतापगढ़ रहा है और आप का कार्यक्षेत्र प्रदेश रहा है। आप का कार्य क्षेत्र दिल्ली भी रहा है जब आप लोहिया जी के साथ रहते थे और उनके सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। मैं लोहिया जी की बहुत सी बातों से सहमत नहीं था, यद्यपि वह मेरे बहुत पुराने मित्र थे, परन्तु जो तत्परता और उत्सुकता उनमें थी, जो लगन और उत्साह उनमें था वह प्रशंसनीय था। वही लगन और तत्परता सार्वजनिक कार्यों में, जो कि आपको यह सार्वजनिक कार्य दिया गया है, इसमें भी आप दिखायेंगे जिस से आपके पद और सदन की गरिमा ऊंचे उठेगी। मैं अधिक समय इस सदन का नहीं लेना चाहता। मैं फिर से आपको इस पद पर आसीन होने के लिये बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पद पर रह कर दूसरों के लिये वह नमूना पेश करें जिसका दूसरे आप के पीछे आने वाले अनुसरण करें और अनुसरण करके सदन में गणतन्त्र की परम्पराओं को और तौर-तरीकों की रक्षा करते हुये इस प्रदेश की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। मैं फिर से आप का इस पद पर बैठने के लिये स्वागत करता हूं।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ इस विषय में माननीय नेता सदन ने कहा, मैं उसके एक-एक अक्षर से सहमत हूं। आप को बधाई देते हुये और आपका स्वागत करते हुये केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि मेरा आपका संपर्क अभी तो दो वर्ष पुराना है। जबकि संविद सरकार चल रही थी तो अक्सर आप से एस० एस० पी० के एक नुमाइन्दे की हैसियत से, लीडर की हैसियत से मुलाकात का मौका मिला और बहस-मुबाहसे का भी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आप उन चन्द लोगों में हैं जिन पर राजनीतिक विवाद के आवेश, द्वेष, आलोचना-प्रत्यालोचना आदि से जो मनों में मत-भेद पैदा होते हैं, आप उससे परे हैं। आपके मन पर इन बातों का मैल पड़ता ही नहीं है, अगर पड़ता है तो उसका मैल और छाया बहुत कम है। डिमोक्रेसी की कामयाबी के लिये जरूरी है कि आप जैसे व्यक्तियों की तादाद हमारे देश और प्रदेश में अधिक हो। सदन ने आपको चुनकर कोई आपको इज्जत नहीं बख्शी, बल्कि मैं यह समझता हूं कि इस सदन ने अपनी इज्जत बढ़ाई है आपको उपाध्यक्ष बना कर, और आशा करता हूं जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, कि आप इस तरह के उदाहरण, आचरण के पैमाने, नजीर, रूलिंग्स और प्रिसीडेंट्स को कायम करेंगे जो आगे के लिए एक रोशनी का काम देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप का फिर स्वागत करता हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

हम आप का इस उपाध्यक्ष पद के लिए हृदय से स्वागत करते हैं। हमारा भी परिचय आप से बहुत पुराना नहीं है, परन्तु आप की योग्यता, आपकी श्रेष्ठता, निष्पक्षता इत्यादि का जो भी मुझे ज्ञान दूसरों से मिला उसी के आधार पर मैंने भी आपका नाम चुनने में सहयोगी होने का प्रयास किया। आपको चुनते समय मेरे मन में केवल एक ही भावना थी कि अध्यक्ष पद के लिये तथा इस पद के लिये जितने गुणों की आवश्यकता है वह सब गुण आप में पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं और जब मैंने देखा तो मैंने सहर्ष स्वीकृति दी। इतना ही नहीं मेरे ऊपर के नेतागण ने भी किसी ने मुझे सलाह इस संबंध में नहीं दी, मैंने किसी से राय लिये बिना आपको इस पद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

के लिये उपयुक्त समझा और सब ने यह कहा कि तुमने जो सोचा वह अच्छा सोचा। जिस परिस्थिति में आज आपका चुनाव हुआ है, यद्यपि कहना उपयुक्त नहीं होगा, सदन जिस लेबर-पेन से गुजर रहा हो और उत्सुकता हो कि आप उससे बड़े स्वच्छ निकलें, यही स्थिति निकली। इस पद के लिये आपके गुणों पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता कि आप इसके लिये उपयुक्त नहीं हैं, ऐसा कहने के लिए किसी में साहस नहीं था। सब हृदय से चाहते थे। किसी न किसी कारण से भले ही सामने न आये हों। मैं तो यह कहने के लिए तैयार हूं कि जिस बल के आप सदस्य थे और अब इस्तीफा देने के बाद नहीं रहेंगे उस दल के लोग भी आपकी हृदय से सराहना करते होंगे और करते हैं और वह दूसरे कारण हैं जो उन्होंने व्यक्त किये। वह भी सहमत होंगे कि आप इस पद के लिये सर्वथा उपयुक्त हैं। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं उसकी गरिमा और महिमा की सुरक्षा करें और भगवान आप में इतना सामर्थ्य दे।

इन शब्दों के साथ मैं आप को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, आप के उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि आप इस सदन में ऐसी परम्परायें तथा मान्यतायें स्थापित करेंगे जिससे इस सदन का गौरव बढ़ेगा और दूसरों के लिये एक उदाहरण बनेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप का निर्विरोध चुनाव होने पर मैं आप को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आपका यह श्रेष्ठ व्यक्तित्व था, आपकी यह विद्वता थी कि आपको सारे सदन का समर्थन मिला और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जमाने में आप सदन का कार्य संचालन उसी निर्भीकता पूर्वक करेंगे जिसके लिये कि आप मशहूर हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्विरोध चुने जाने के लिये हम आप का हृदय से अभिनन्दन करते हैं, स्वागत करते हैं और हमारा यह अटूट विश्वास है कि आप इस सदन की गरिमा को बढ़ायेंगे। आप के चुनाव से आज हमारे सभी साथी प्रसन्न हैं। हमें तो आप को काफी निकट से देखने का मौका भी मिला है। हमारे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथी जिन्होंने आप के साथ कार्य किया है, सभी हृदय से प्रसन्न होंगे। मैं एक बार फिर आप को निर्विरोध चुने जाने के लिये बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सदन की गरिमा को बढ़ायेंगे।

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)--

मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपके निर्विरोध चुने जाने के लिये बधाई देता हूं।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपका जो यह निर्विरोध चुनाव हुआ है उसके लिये आपका मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। मुझे विश्वास है कि जिस निर्भीकता और निडरता का परिचय पहले आपने दिया है और इधर दो तीन दिन में दिया है, इतने झकोरे आपके सामने आये, इतनी कठिन परिस्थिति आप के सामने आयी, फिर भी आप ने बड़ी निर्भीकता के साथ उसका सामना

किया उसके लिये मैं आप को बधाई देता हूं। भगवान आप को और बल दे और आप इस सदन की गरिमा को बढ़ाने में कामयाब हों। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप को बधाई देता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप का सर्वसम्मत चुनाव होने से आज इस सदन का गौरव बढ़ा है और वह आप के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण और आप की विद्वता के कारण ही आप का सर्वसम्मत चुनाव हुआ जिसके लिये मैं आप को हृदय से बधाई देता हूं। इस सदन को आप पर पूरा भरोसा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, मेरा दिल आप सब माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद से भरा है। मुझे पता नहीं किस कारण आप लोगों ने मुझे इस पद के योग्य समझा क्योंकि माननीय नेता सदन से मेरा परिचय कल ही हुआ और दूसरे माननीय नेताओं से मेरा परिचय बहुत थोड़े दिनों का है। मैं एक बड़े संकट में था। जब अध्यक्ष का निर्विरोध एक सम्मत चुनाव सम्पन्न हुआ, मन में एक इच्छा थी कि एक परम्परा, स्वस्थ परम्परा ऐसी पड़े जिसकी अगुवाई का कार्य हमारा प्रदेश करे तो शायद दूसरी जगह भी स्वस्थ परम्परा का सृजन हो और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निष्पक्ष और दलमुक्त हों। मेरे मन में, और उसी समय, मैं आपको विश्वास में लेना चाहता हूं, जब कि मेरा नाम चल रहा था तो मेरे मन में यह संकल्प जरूर जगा कि मैं मन के हिसाब से अब संसोपा से मुक्त हूं। इसी कारण मैंने उसी समय से सदन की कार्यवाही में पक्ष या विपक्ष की कोई बात कहने के सहज मोह का संवरण किया। आपने आज मुझे जो सम्मान प्रदान किया है, जो विश्वास, जो प्रेम कृपापूर्वक मेरे प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय दूसरे विरोधी दल के नेताओं ने व्यक्त किये हैं; उनके लिये मैं उनको हृदय से, प्रेम से, भक्ति से और श्रद्धा से धन्यवाद देता हूं।

(१ बजकर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९६९†

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३६५-ए-क-२-१ (२)-६८, दिनांक २८ जनवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अभिलेखों का अनुरक्षण तथा निर्दान) नियमावली, १९६८†

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त)—

मैं पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६८९४-बी—३३-३-आर-६६, दिनांक ३० नवम्बर, १९६८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अभिलेखों का अनुरक्षण तथा निर्दान) नियमावली, १९६८ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गई।

## उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) नियमावली, १९६९†

**नियोजन भंत्री (श्री नारायणदत्त)—**

**मैं पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४८६—बी-३३-२-(९५)-६८, दिनांक ३१ जनवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६९ को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।**

## उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, १९६९†

**नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त)—**

**मैं विज्ञप्ति संख्या ७४१३ बी-३३-२-११-(५)-६९, दिनांक ४ फरवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।**

## श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

**श्री अध्यक्ष—**

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया गया है और वह श्री मौलाई साहब के खिलाफ़ दिया गया है। एक बात का तो मैं फ़ैसला दे चुका हूं कि वे सदन के सदस्य हैं और उन्होंने शपथ बाकायदे ली। लेकिन विशेषाधिकार का जो प्रश्न उठाया गया वह इस बात पर किया गया है कि उन्होंने शपथ के फ़ार्म पर लिख दिया उर्दू में कि मैंने शपथ उर्दू में ली। यह असत्य उन्होंने लिख दिया और उसका जिक्र तथा प्रचार सदन के बाहर भी किया। क्या यह एक तरह से सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना नहीं है? इस विषय में मैंने अभी विचार नहीं किया है, इसलिये आज इस पर फैसला नहीं दूंगा कि इससे प्राइमाफ़ेसी केस बनता है या नहीं।

**श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—**

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने पहले ही दिन अपना यह निर्णय दे दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने विधिवत् हिन्दी में शपथ ले ली थी। इस समय प्रश्न केवल इतना है कि उन्होंने पीठासीन व्यक्ति को गैरजानकारी में चोरी से यह लिख दिया कि उर्दू में शपथ ली है।

**श्री अध्यक्ष—**

मैं उस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने कह दिया कि इसके बारे में मैं बाद में फ़ैसला दूंगा।

**श्री मैनेजर सिंह—**

प्राग्दर्शन में सब स्पष्ट ही है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप मेरी जगह पर होते, तब ऐसा कह सकते थे। लेकिन मेरा कहना है कि इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा।

## लेखानुदान प्रस्तुत न किये जा सकने के संबंध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

कल माधव प्रसाद जी ने एक प्रश्न उठाया था कि लेखानुदान इस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता इस पर कल ही मैंने फ़ैसला दे दिया था कि हो सकता है। आगे उसके बारे में उनका कहना था कि पहले बजट प्रस्तुत हो, उसके बाद ही उसको उपस्थित किया जा सकेगा। यह प्रश्न फैसला देने के लिये शेष रह गया था। अपना फ़ैसला देने से पूर्व मैं श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और श्री उदित नारायण जी को ५-५ मिनट दूंगा, चूंकि वे इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं। श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी इस बात को समझ कर चलें कि उन्होंने जो किताब मेरे पास भेजी थी उसको मैंने पढ़ लिया है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, जो कुछ मुझे कहना था वह कल ही मैं कह चुका था। लेखानुदान उपस्थित करने के लिये जो छूट दी गयी हैं उसमें दो चीजें हैं। एक तो यह कि ५ महीने का अनुदान मांग कर २ अरब रुपये के करीब मांगा गया है। आज प्रश्न यह नहीं है कि ऐसी विशेष परिस्थितियां आ गयी हैं, इसलिये उनको ऐसा करने की इजाजत दी जाय, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इस प्रकार की परम्परा डालें कि आज इस सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार जो अराष्ट्रीय विचारों की हो, वह आ जाय और वह भी अपने बहुमत के बल पर इसका अनुसरण करे तो क्या हम उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं? अगर वह इसके अनुसार ११ महीने और २९ दिन के लिये ऐसी मांग करे तो कौन-सी ऐसी परम्परा होगी जो इसमें बाधक हो सकेगी, यदि सदन में उसका उस समय बहुमत है।

दूसरी बात यह है कि इसमें करीब ३० करोड़ रुपये के टैक्स लगाने का प्राविधान किया गया है, उस पर हम लोग विचार नहीं कर पायेंगे। इतना टैक्स लगाया जा रहा है और इतना रुपया मांगा जा रहा है लेकिन हमें उस पर कुछ भी विचार करने का अवसर नहीं मिल पायेगा। होना तो यह चाहिये था कि पहले डिस्कशन हो जाता, हर पहलू से उस पर विचार हो जाता तब वोट आन एकाउन्ट का प्रश्न आता। लेकिन इसको बिना विवाद के ही पास कर दिया जायगा अथवा गिलोटिन की तरह से उस पर राय ले ली जायगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह भी सदन चाहता है कि गिलोंटिन कर दिया जाय और इस पर डिबेट भी न होने पावे? आखिर हम कहीं तो बीच में मेड़ बांधें कि इन परिस्थितियों में वोट आन एकाउंट लिया जा सकता है और इस हद तक लिया जा सकता है। मैंने कल एक उदाहरण भी दिया था श्री मुरार जी देसाई का जिन्होंने कहा है कि वोट आन एकाउंट अधिकतम एक महीने के लिये होता है, यद्यपि एक बार तीन महीने का उन्होंने भी लिया। मैंने उसे भी पढ़ा है मगर उन्होंने अपनी स्पष्ट राय दी कि लेखानुदान एक ही महीने का होता है और होना चाहिये। अगर कोई विशेष परिस्थिति थी तो उसका उल्लेख यहां करते। लेकिन इस तरह की विशेष परिस्थिति तो हमेशा यहां आयेगी। चौथी पंचवर्षीय योजना में दूसरी परिस्थिति आयेगी कि अभी हम उसके लिये तैयार नहीं हैं, जबकि श्रीमन्, बजट हर हालत में नवम्बर और दिसम्बर के बीच में तैयार होना आरम्भ हो जाता है। तो यह दलील कि अभी आपने तमाम बातों का अध्ययन नहीं किया है या इस इस तरह की परिस्थितियां हैं, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आखिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मायद प्रसाद त्रिपाठी]

इसके पहले आप क्या करते रहे, इस प्रशासन ने पहले इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? अगर नहीं दिया तो उसका फल भुगतें। जो नियम है उसके अनुसार संविधान के आर्टिकिल २०६(२) में उसका उल्लेख है जो इस प्रकार है —

The provisions of Articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (i) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the consolidated fund of the statement such expenditure."

यानी सारी विधियां अपनायी जायेंगी जो साधारण बजट में अपनायी जाती हैं। इनको कब अपनाने का हमें मौका मिलेगा?

इसके बाद दूसरा प्रश्न आयेगा कि इस पर डिस्कशन न किया जाय। मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाय, इसको रोकना है। इसी दृष्टि से मैंने कल दो आपत्तियां उठायी थीं कि इस पर सामान्य चर्चा का अवसर दिया जाय। सामान्य चर्चा पूरे बजट पर हो। जब आप इसे बजट मानते हैं तो सामान्य चर्चा के बाद इस पर वोट मांगा जाय कि फलां अनुदान के लिये इतना रुपया दिया जाय या न दिया जाय। मैं तो कहता हूं कि नियम में यह है कि अगर कोई अनुदान किसी मद के लिये ६० रुपये मांगा जाय तो हमें यह कहने का हक है कि उसे ६० रुपया दिया जाय या १ रुपया दिया जाय या बिल्कुल न दिया जाय। हमें यह भी नहीं मालूम है कि न्यू सर्विसेज के लिये आप दूसरी शाल में कोई मांग इसमें कर रहे हैं या कोई टैक्स लगाने की बात इसमें आपने रख छोड़ी है जो पब्लिक के हित में न हो तो कल को हम उसके सामने क्या जवाब देंगे। आप तो हमारे रक्षक हैं, इसलिये मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष को पूरा अवसर दिया जाय कि जितने आइटम्स हैं उन सब पर वे अपनी राय दें। कल भी मैंने इस बात को कहा था—चेयरमैन का काम इस चीज को देखना है कि वोट आन एकाउंट जो मांगा जा रहा है कहीं उसके पीछे कोई दूसरी भावना तो नहीं है। अगर कोई दूसरी भावना हो तो उसे डिफीट देना है। अगर कोई आदमी कोई काम करता है और उसके पीछे कोई दूसरा अर्थ है, कोई दूसरा अभिप्राय है तो उसे आपको डिफीट देना है। अगर आज ६ महीने के लिये वोट आन एकाउंट की परम्परा पड़ जायेगी तो इसकी क्या गारंटी है कि बाद में ९ महीने के लिये वोट आन एकाउंट पास कराने की कोशिश नहीं की जायेगी? मैं समझता हूं कि इसके पीछे सरकार की यह भावना है कि वह ५ महीने तक सदन को फेस नहीं करना चाहती और इस बीच में सदन की बैठक नहीं बुलाना चाहती। बाद में फिर कभी ये कह सकते हैं कि हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं है इसलिये इतने महीने के लिये वोट आन एकाउंट पास कर लिया जाय। इसलिये आपसे मैं सादर आग्रह करता हूं कि आप हमारे हितों की रक्षा करें ताकि यहां का हर सदस्य हर अनुदान के ऊपर खुलकर स्पष्ट रूप से सदन के सामने अपने विचार रखे और साधारण जनता को समझाने में कोई भी कोर कसर न रखे।

*श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस माने में नाजुक है कि वैसे परम्पराओं के लिहाज से वोट आन अकाउन्ट की जब कभी भी सरकार को आवश्यकता हो और उस की परिस्थितियां मौजूद हों तो होना चाहिए ताकि सरकार का काम न रुके। क्योंकि अगर सरकार का काम रुक जाय तो उस का मतलब होता है कि प्रशासन का काम रुक गया। ऐसा न हो इस वास्ते वोट आन एकाउन्ट का प्राविधान किया गया है। कल नेता सदन ने बड़े जोर से इस बात की चर्चा की कि हमें यहां बड़ी स्वस्थ परम्परायें कायम करना हैं। लेकिन यह परम्परा जो कायम हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही हैं इसके लिये हम यह एहतियात बरतें कि यह अस्वस्थ न हो। मैं मानता हूं कि वोट आन अकाउन्ट किन्हीं सूरतों में सरकार को लाना पड़ता है लेकिन वह सूरतें क्या होंगी? मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इसमें २ विषय हैं जिनके ऊपर आप को अपना फैसला देना है। कल एक बात तो यह आई थी कि वोट आन एकाउन्ट की चर्चा किस समय शुरू हो क्योंकि आपने यह रूलिंग दी थी कि वह पेश किया जा सकता है। वह शिरोधार्य हुई और वह पेश किया गया लेकिन उसकी चर्चा का समय क्या होगा, यह एक प्रश्न है और दूसरा प्रश्न जो कल आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ था और जो आज आया है और जिसका जिक्र माननीय त्रिपाठी जी ने किया है कि यदि प्रस्तुत हो सकता है और चर्चा पहले भी हो सकती है और क्या ५ मास का समय मांगा जा सकता है? मैं इन दोनों प्रश्नों को प्वाइंट आफ ला समझता हूं, चाहे यहां यह वोटिंग का विषय हो जाय, रूलिंग भी इस पर आपकी होगी वही हमें मान्य होगी और यह सदा के लिये परम्परा बनेगी और आगे चलकर लोग इस प्रिसेडेंस को कोट करेंगे। इसलिये बड़ी जरूरत इस बात की है कि आपका बहुत ही गम्भीर चिन्तन इस पर हो और उसके बाद ही आप अपना फैसला दें। मैं अपनी बात की पुष्टि में निवेदन करूंगा कि जहां तक पहला प्रश्न है लेकिन अब चूंकि दोनों प्रश्न इकट्ठा हो गये हैं इसलिये जो ५ मिनट का समय आपने दिया है वह मेरे लिये कम पड़ेगा और आगे की चर्चा कम हो जायगी इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि इन दोनों पहलुओं पर अलग-अलग विचार करना होगा।

पहली बात के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि संविधान का आर्टिकिल २०६ जो है इसे इस संदर्भ में अकेले ही नहीं पढ़ा जा सकता। इसको पढ़ने के लिये आपको अपने संविधान के अनुच्छेद २०२ से २०६ तक पढ़ने होंगे और जब हम इन चार पांच अनुच्छेदों का समन्वय करेंगे तभी स्पष्ट होगा। यह सब आर्टीकल्स मनी बिल्स से सम्बन्धित हैं। इनमें साफ दिया है कि जो वित्तीय वार्षिक वर्णन कल हमारे सामने रखा गया है, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि इसकी भी परम्परा पड़ रही है। कल माननीय त्रिपाठी जी ने कहा था और सही कहा था कि जो कनवेन्शन्स गलत पड़ गये हैं वह नहीं माने जा सकते क्योंकि वह विधि के विपरीत है और आपने भी श्रीमन्, कहा था कि कनवेन्शन्स कन्ट्रेरी टु ला नहीं माने जा सकते। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सरकारी पक्ष के साथी इस बात पर बोलने की कोशिश न करें कि पहले ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इस बार भी भले ही ऐसा हो जाय और आप भले ही मान लें। यह स्केलटन बजट जो पेश किया गया है इस से यह अनुमान नहीं लग सकता कि सरकार क्या करने वाली है, कौन से कर लगाने वाली है, यह बहुत बड़ी खामी इसकी है जिसकी तरफ माननीय त्रिपाठी जी ने संकेत किया था।

एक बात तो यह थी और दूसरे इसमें जोड़ दिया गया है कि क्या इस तरह के वोट आन एकाउन्ट लाये जा सकते हैं जिसमें ५ मास तक छूट रहे कि बिना सदन को बताये सरकार चाहे जो कर लगाती चली जाय। जब आप आर्टीकल २०६ देखेंगे तो आप पायेंगे इसमें लिखा है :

Not withstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power—

> "(*a*) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 204 in relation to that expenditure."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ये जो शब्द हैं वे बड़े सार गर्भित हैं इसलिए मैं उन शब्दों को दुबारा पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है "For the voting of such grant and the passing of the law" पासिंग आफ दि ला है एप्रोप्रिएशन बिल जो अन्त में पेश किया जाता है। यहां आपके सम्मुख ला होता है। 'पासिंग आफ दि ला' और 'पासिंग ओफ दि एस्टीमेट' इन दोनों

[श्री उदित नारायण---]

को मिलाकर यहां बाइंडिंग रहा है। उसके पहले यदि आवश्यकता हो तो उस वक्त वोट आन एकाउन्ट पहले से दे सकते हैं। मान्यवर अपनी रूलिंग देने के पूर्व आप धारा २०२, २०३, २०४ और २०५ देख लें। इन सब के बाद एप्रोप्रियेशन बिल पास होता है। जब आप २०५ देखेंगे तो आपको पता होगा कि किसी स्कैलेटन बजट को पेश करके उस पर विवाद हो। यह बजट नहीं है, यह तो खानेपूरी है। अगर बजट आपके सामने नहीं आता है तो यह सम्भव नहीं है कि आप वोट आन एकान्ट ले लें। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक जो कुछ भी होता रहा है, उस पर न जाकर, इन बातों पर विचार करें और अपना फैसला दें। धाराएं २०३ और २०४ को पढ़कर आपको कोई शंका नहीं रह जायगी। धारा २०२ जिसका माननीय त्रिपाठी जी ने जिक्र किया उसके बाद यह स्पष्ट हो गया होगा कि कभी भी यह मंशा नहीं है।

कल श्रीमन् ने यह फरमाया था कि कुछ पहले भी इस बात का आभास हो सकता है। इस समय तक अर्थात् ३१ मार्च तक यह बजट पेश नहीं हो सकता है बहुत सही है परन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि इसलिए आपको बजट पेश नहीं करना चाहिए। संभव है आपको कठिनाइयां हो सकती हैं, आपने बताया कि कठिनाइयां हैं। तो यह नहीं हो सकता कि अगर अब तक गल्ती होती रही हो वह सब गल्तियां अब भी होती रहें। यह नहीं हो सकता कि आप बजट पेश कर दें और हाउस ५ महीने के लिए स्थगित हो जाय, ५ महीने तक उस पर कोई चर्चा न हो और बजट अपनी जगह पर ज्यों का त्यों पड़ा रहे। और इसे फिर जुलाई या अगस्त जब आप बैठें तब लें। बजट की चर्चा आरम्भ करके उसे पूरा करना चाहिए। पहले भी माननीय मुख्य मंत्री ने, जो उस वक्त भी मुख्य मंत्री थे कहा था कि ३०-४० दिन लग जाते हैं बजट पेश होने में। जाहिर है कि इसीलिये ३०, ४० रोज की अवधि के बाद वोट आन एकाउंट मिला करता है। श्रीमन्, आज तक की ये परम्परायें बनी हैं। वैसे आप देखें कि डेढ़ महीने इस सरकार को बने हुए हो गये। इस डेढ़ महीने में बजट को अच्छी तरह से तैयार कर सकते थे।

एक बात और यह कही गयी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है इसके क्या आकार होंगे यह अच्छी तरह से हमें नहीं मालूम हुआ है, इसलिये हम आपके सामने यह स्कैलेटन बजट पेश करते हैं, पूरा बजट नहीं पेश कर रहे। तो वोट आन एकाउंट इसलिये यह सरकार ले रही है कि उसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार नहीं मालूम हो पा रहा है। दूसरे वोट आन एकाउंट यह कह कर ले रहे हैं कि चुनाव हुए हैं। वोट आन एकाउंट बहुधा उन्हीं वर्षों में मिला करते हैं जब चुनाव हुआ करते हैं। एक नई सरकार आती है। उसको इतना समय नहीं मिलता कि वह सारी बातों पर गौर कर सके और गौर करने के लिये जितना समय उसे चाहिये वह उसे नहीं मिल पाता है। अब अगर इस वर्ष में चुनाव न हुए होते और कोई सरकार होती, पुरानी सरकार कांग्रेस की होती, अपदस्थ न हो कर चलती होती अथवा संविद की सरकार होती और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का ज्ञान उसे न होता तब क्या सदन के सामने यह कहा जाता कि चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का हमको ज्ञान नहीं है इसलिये हमें टाइम दे दीजिये। फिर ५ महीने का वोट आन एकाउंट मिल सकता है या नहीं यह किसी भी विधि में स्पष्ट नहीं कहा गया है कि कितने दिन हम वोट आन एकाउंट के लिये ले सकते हैं। शब्द जो इस्तेमाल किये गये हैं वे "फार ए पार्ट आफ एनी फायनेन्शियल ईयर"।

श्री अध्यक्ष---

संक्षेप में कहिये।

श्री उदित नारायण---

बड़ा अहम मसला है। आप मुझे थोड़ा सा और सुन लें। क्योंकि यह सदन की परम्परा बनने जा रही है और यह एक प्वाइंट आफ ला है। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा 'पार्ट आफ ए ईयर' एक दिन से लेकर ११ महीने २९ दिन तक हो सकते हैं। किस जगह हम रुकेंगे यह कानून में कहीं नहीं लिखा है और यह बतलाना हमारी बुद्धि के लिये असंभव है कि कानून की क्या मंशा है

और किस जगह वह चाहता है कि हम रुकें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून बना उसमें यह नहीं लिखा है कि इसके आधार में कौन सा सिद्धान्त है। इसका जो आधारभूत सिद्धान्त है जिसकी नींव पर यह भीत उठाई गयी है वह यही है कि जब यह समझ लिया जाय कि जितने दिन में यह बजट पास होना है उतने दिन में किसी भी सूरत में यह संभव नहीं है और आप यह समझें कि आगे का काम न रुकने पाये उसी के लिये वोट आन एकाउंट दिया जाता है। मैं कई देशों के संविधान तथा कई किताबें लेकर आया हूं। उनमें कहीं भी मैंने नहीं देखा कि कहीं भी आज तक महीने, दो महीने या अधिक से अधिक ४ महीने से अधिक समय वोट आन एकाउंट में मांगा गया हो अगर इसके बाद कोई कठिनाई नहीं होगी फैसला करने में; इसलिये नहीं कि सरकार जितना समय चाहती है इस सदन के एडजर्नमेंट के लिये, जितना वह उचित समझती है। बल्कि इसलिये कि जितना समय नितान्त आवश्यक है बजट को पेश करने और उसे पास कराने के लिये वही समय है चाहे कहीं लिखा हो या न लिखा हो जिसके लिये वोट आन एकाउन्ट आना चाहिये और इसीलिये आपको इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिये। स्पष्ट है कि यह वोट के ऊपर नहीं रखा गया है, यह माननीय अध्यक्ष के ऊपर है वह इसका फैसला करें। एक महीने का समय तो लग गया बजट तैयार करने में और ३० दिन का समय बजट पास करने में लगता है। इसके आगे किसी सूरत में यह चलता नहीं। और फिर इस में तो दूसरी बात है जिसकी वजह से इतना समय तो मिल ही नहीं सकता। जब आप कहें कि असेम्बली को ऐडजर्न कर दो तब तो समय की आवश्यकता है ही नहीं। अगर यह असेम्बली चलती जाती और फिर श्रीमन् को मालूम पड़ता कि पांच महीने के पहले यह बजट नहीं पास हो पायेगा तो पांच नहीं छः महीने का वोट आन एकाउन्ट आता तो कोई बात नहीं थी। इस लिये मेरा बड़ा नम्र निवेदन है कि चूंकि आप एक कन्वेन्शन डालने जा रहे हैं इसलिये इसको आप गौर से देखें और यह फैसला दें कि पांच महीने का वोट आन एकाऊंट किसी सूरत से सरकार को नहीं मिल सकता।

*चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी जी जब इस प्रश्न पर कुछ भावावेश में कह रहे थे तो मुझे कोई बहुत बुरा नहीं लगा क्योंकि वह जब माननीय उदित नारायण शर्मा जी मंत्री थे उस समय वह विधान सभा में नहीं आ पाये थे। श्री उदित नारायण शर्मा जी के भाषण से मुझे जरा आश्चर्य जरूर हुआ क्योंकि उनको सरकार चलाने का कुछ अनुभव है और किस प्रकार से लेखानुदान रखा जाता है इसका भी अनुभव है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय में अपने विचार वह सदन के सन्मुख रखें। मैं उनको यह स्मरण दिला देना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार बनी थी तो एक बार अप्रैल में उन्होंने चार महीने के लिये लेखानुदान इस सदन के समक्ष रखा था।

श्री अध्यक्ष—

चार महीने का उन्होंने रखा, इसका हमारे पास इस समय रेकार्ड नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं "उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष-पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन" अप्रैल, १९५२ से ६ मार्च, १९६२ के पृष्ठ ४९ से पढ़ना चाहता हूं। उसमें दिया है:—

"लेखानुदान के ऊपर किसी प्रकार के विवाद की प्रथा नहीं है—२५ मार्च, १९५७ को लेखानुदानों के ऊपर विवाद के लिये समय निर्धारित करने के लिये श्री गेंदा सिंह तथा महाराजकुमार बालेन्दुशाह के आग्रह करने पर श्री अधिष्ठाता ने कहा—

" जहां तक वोट आन एकाउन्ट के ऊपर बहस की बातें हैं, सौभाग्य से १९५२ में मैं भी असेम्बली का मेम्बर था और मुझे अच्छी तरह याद है कि हाउस आफ कामन्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

में भी यही परिपाटी है, वहां वोट आन एकाउन्ट के ऊपर कोई बहस नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई पालिसी का सवाल नहीं है कि उस पर सामान्य विवाद हो। वहां तो सरकार एक लम्प-सम मांग लेती है कि तीन, चार-पांच महीने के खर्चे को चलाने के लिये इतने रुपये की जरूरत है। इसलिये उसमें कोई पालिसी का सवाल नहीं उठता। उसमें आपको सामान्य विवाद करने की आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक सेंट्रल असेम्बली में विवाद का सवाल है इसमें भी इसका जिक्र दिया हुआ है। मालूम होता है वहां पर सारे साल का बजट पेश हो गया है और उस पर विवाद करने के लिये गया होगा, लेकिन "मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखें तो उसमें भी वोट आन एकाउन्ट पर कोई विवाद करने का नियम नहीं है। ३, ४ महीने के लिये सरकार चलाते हैं, इस वास्ते रुपये मांग लेते हैं और उस पर कोई राय नहीं लेते हैं।"

तो,श्रीमन्, हम लोगों ने भी जब कि नेता विरोधी दल यहां पर मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने जो लेखानुदान पेश किया था इस सदन के सन्मुख उसको स्वीकृत हो जाने दिया था, कोई विवाद हम लोगों ने नहीं किया था और मतदान के लिये भी उस सम्बन्ध में नहीं कहा था।

इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय नेता विरोधी दल जो कि लोकतांत्रिक परम्पराओं और संस्कारों को मानने वाले हैं, से कहना चाहता हूं कि वे इस विषय में अपने विचार सदन के सम्मुख रख दें ताकि स्पष्ट हो जाय कि क्या चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं किसी अन्य सदस्य को समय नहीं दूंगा। जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके बारे में वित्त मंत्री जी उत्तर दें।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, दो प्रकार के प्रश्न सदन के सामने आ गये हैं। एक तो माननीय त्रिपाठी जी ने पुरानी परिपाटी का प्रश्न उठाया और कुछ व्यावहारिक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि लेखानुदान कोई सरकार ११ महीने का मांग लेगा समय-समय पर मांग लें तो कैसे चलेगा। उन्होंने इस संबंध में यह भी कहा कि यह उचित नहीं है कि लेखानुदान मांगा जाय। मेरे मित्र माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने संविधान से संबंधित कुछ बातों का जिक्र किया। मैं सरकार की ओर से निश्चित रूप से घोषित करता हूं कि इस लेखानुदान के बाद हमें कोई दूसरा लेखानुदान नहीं चाहिये और न इसके संबंध में आज भी यदि कुछ कठिनाइयां न होती तो शायद इसको न मांगते और पूरा बजट सदन के सामने प्रस्तुत कर देते।

श्रीमन, कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। एक तो इधर राष्ट्रपति का शासन प्रदेश में चला और कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिनका ज्ञान न तो हमारे मित्रों को और न हमको है। इस संबंध में बहुत सी कठिनाइयां थीं कि हम लेखानुदान द्वारा अपने बजट को संतुलित कर सकते और सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते। इधर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का प्लानिंग कमीशन अपना कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से वह कुछ धनराशियां राज्य को देगा। हमको भी अपनी चौथी पंच वर्षीय योजना बनानी हैं। उधर फाइनेंस कमीशन भी अपना काम कर रहा है और उसके द्वारा भी हमें कुछ धनराशि मिलनी है। इन परिस्थितियों में यह हमारे लिये सम्भव नहीं है कि हम अपना बजट सदन के सामने प्रस्तुत कर सकते। यदि प्रस्तुत करते तो वह अनरियल हो जाता। इसलिये मैं सदन को आश्वासन आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं कि हमारी कोई नीयत और किसी प्रकार की नहीं है। केवल यही है कि हम सदन के सामने ऐसा बजट प्रस्तुत कर सकें जो संतुलित हो और जिसके द्वारा इस राज्य की सेवा कर सकें।

## श्री अध्यक्ष का निर्णय

माननीय उदित नारायण जी ने जो आपत्तियां उठाईं, मेरा विश्वास था वह कानून के पंडित हैं और मेरे हमपेशा भी हैं और मैं समझता था कि उन्होंने इसका कुछ पारायण इस ढंग से किया होगा जिससे किया जाना चाहिये। लेकिन मुझे दुख है कि वे संविधान के कुछ अनुच्छेदों का पारायण कर नहीं पाये या समय नहीं मिला और अपने समय की जो एडवोकेट जनरल की सम्मति मांगी गई थी उसका भी यदि वे स्मरण कर लेते तो यह कठिनाई सदन के सामने प्रस्तुत न करते।

श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद २०३ और २०४ में एक प्रक्रिया की ओर इशारा है कि क्या प्रक्रिया राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में जब बजट प्रस्तुत किया जाय तो बरती जानी चाहिये। २०३ में यह जिक्र है कि गवर्नर महोदय सदन के समक्ष वार्षिक लेखानुदान उपस्थित करेंगे या करा देंगे अपने मंत्री के द्वारा। २०३ में फिर यह प्रक्रिया है जो आय-व्ययक या फाइनेंशल स्टेटमेंट उपस्थित किया जायगा उसके सम्बन्ध में सदन में क्या प्रक्रिया बरतेगा। हमारे सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८७–१८८ में उस प्रक्रिया का पूरा विवरण है जो सदन काम में लाता है। इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती हैं। एक तो चार्ज्ड एक्स्पेंडीचर, उसके सम्बन्ध में सदन किसी प्रकार का मत नहीं देता, लेकिन बहस कर लेता है। दूसरी प्रक्रिया है वोटेड एक्सपेंडीचर की। उसमें सदन नीतियों पर और आयव्ययक के प्रत्येक अंग उपअंग पर बहस करता है। प्रत्येक विभाग की जो अलग-अलग मांगें हैं उन पर विचार करके उनको सैंक्शन करता है। उसके बाद २०४ में ऐप्रोप्रिएशन बिल की व्यवस्था है। यह सदन में पुरःस्थापित होता है, उस पर विचार किया जाता है और पारित होता है। यह प्रक्रिया २०२ से २०५ तक है। मान्यवर, माननीय उदित नारायण जी और सभी माननीय सदस्यगण २०६ (१) की प्रथम पंक्ति को देख लेते तो कदाचित कठिनाई उत्पन्न नहीं होती

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power."

'नाट विदस्टैंडिंग' का अर्थ यह है कि २०२ से २०५ में जो प्रक्रिया है वह २०६ से अलग प्रक्रिया है यानी २०२ से २०५ में जिस प्रक्रिया का जिक्र है उसका खयाल न रखते हुए भी सदन को अधिकार है कि वह इस कार्य को करे। यही नहीं, २०२ की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें इस प्रकार से व्यवस्था है—

"The Governor shall in respect of every financial year cuase to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts."

मेरे मित्र इस तरफ ध्यान दिलाते तो मैं इसका उत्तर भी देता। अगर मेरे मित्र यह कहते कि आज जब हमसे कहा जा रहा है कि बजट का लेखा-जोखा रखा है तो उसके अतिरिक्त लेखा-जोखा नहीं रख सकते तो मैं उत्तर देता। इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके द्वारा शक्ति मिली है कि एक से अधिक बार स्टेटमेंट आफ दि स्टीमेटेड रिसीट्स ऐंड एक्सपेंडीचर इस सदन के सामने रख सकते हैं। ३६७ अनुच्छेद की तरफ जरा हम लोग ध्यान दें।

"Unless the context otherwise requires the General Clauses Act, 1897, shall, subject to any adaptations and modifications that may be made therein under Article 372, apply for the interpretation of this Constitution."

"In all Central Acts and Regulations unless there is anything repugnant in the subject or context."

इसका अर्थ यह है कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट इस कांस्टीट्यूशन को ऐप्लाई करता है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा १३ के अन्तर्गत यह दिया हुआ है—

"In all Central Acts and Regulations unless there is anything rcpugnant in the subject or context".

(1) words importing maculine gender, shall be taken to include females ; and

(2) words in the singular shall include plural, and *vice versa*."

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

श्रीमान् जहां एक शब्द का प्रयोग वहां पर अनेक का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिये हमने इस प्रक्रिया का सहारा लिया और सदन के सम्मुख विवरण रखा है। आय-व्ययक के विवरण को माननीय उदित नारायण जी ने पढ़ा न हो ऐसा हम नहीं मानते। न केवल वार्षिक विवरण ही रखा है बल्कि एक श्वेत-पत्र भी रखा है। यदि वे उसे कृपा करके मोटे तौर पर पढ़ लें तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है कि हमारे पास कितनी कमी है और किस प्रकार से हम उनकी पूर्ति करेंगे और इसमें कितना अनकवर्ड घाटा है, इस सब का पूरा विवरण है और इसके अलावा जो विभागों पर खर्चा है और वह भी ग्रास है, नेट नहीं है उसका भी विवरण है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि २० के अन्तर्गत हमें यह अधिकार है कि एक से अधिक बार हम अपने आय व्ययक का ब्यौरा इस सदन के सामने रख लें, आपको यह शंका हुई कि हम आगे टैक्स न लगायें। अगर लगाये भी तो आपको पूरा अधिकार है कि जब पूरा आय-व्ययक आवे तो आप अपनी सम्मति सदन को दें और हमको भी मौका दें कि हम आपको उत्तर दें और उसके बाद वह आय-व्ययक और ऐप्रोप्रियेशन बिल पास हो जाय तो वह चले।

श्री अध्यक्ष—

अब आप जरा संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अब केवल दो मिनट में लूंगा। इसमें अनुच्छेद २०६ का द्वितीय चरण है जिसको मेरे मित्र ने यहां पर सदन के सामने रखा, मैं उसकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं:—

"206. (i) The provisions ot Articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the consolidated fund of the State to meet such expenditure.

यह आखिर क्यों है? इसका अर्थ केवल यह है कि यदि एक बजट के अवसर पर ही केवल लाया जा सकता है तो यहां पर इसका प्राविजन २०३ और २०४ का दोबारा इशारा क्यों किया गया है? लेकिन चूंकि यह २०६ में दूसरी प्रक्रिया है तो इसका दोबारा जिक्र करके इसकी ओर इशारा किया है कि जिस समय वोट आन अकाउन्ट इस सदन से मांगा जाय, कोई भी सरकार उसको मांगे तो २०३ और २०४ की प्रक्रिया सामने लाई जायगी। यह २०३ और २०४ की प्रक्रिया केवल मूल बजट के अवसर पर नहीं काम में लाई जा सकती है बल्कि जिस समय वोट आन अकाउन्ट हो उस समय भी वह काम में लाई जायगी। मूल बजट के अतिरिक्त भी लेखानुदान जब मांगा जाय तब भी वह प्रक्रिया काम में लाई जायगी। इन शब्दों के साथ में केवल सदन से इतना ही निवेदन करता हूं कि यह जो लेखानुदान यहां सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है यह संविधान की धाराओं के अन्तर्गत है और उसी के अन्तर्गत सदन से यह मांग है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस लेखानुदान को स्वीकार किया जाय।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में सदन की प्रक्रिया तथा संविधान के जिन अनुच्छेदों का हवाला दिया गया है उसके बारे में कोई विरोध नहीं है कि यहां पर लेखानुदान न लाया जाय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन इस सिलसिले में प्रक्रिया की मन्शा को देखा जा सकता है। उसकी मंशा यह है कि जो आय-व्ययक है उसकी हरएक मद की आमदनी पर जो खर्चा होगा उसके बारे में, उसकी नतियों के बारे में यहां पर विधिवत चर्चा होगी तभी सरकार को खर्च करने की इजाजत मिलेगी। हर वर्ष के लिये अलग से आय व्ययक सरकार लायेगी और अतिरिक्त आय व्ययक पर जो पूरक अनुदान आयेंगे उन सब पर चर्चा होगी। इन सब को साथ पढ़ने से नतीजा निकलता है कि अगर किसी इमरजेन्सी की वजह से उसको लाना पड़े तो कम से कम समय के लिये ऐसे लेखा अनुदान लाये जा सकते हैं। मैं निवेदन करूं जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जैसे और आय व्ययक पर बहस चलती है वैसे ही इसमें कटौती के प्रस्ताव लाये जा सकते हैं लेकिन इसमें कम समय निर्धारित किया गया है इसलिये पूरी तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि काम चलाने के लिये इसको ज्यादा से ज्यादा १ या २ महीने का समय दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

लेखानुदान के सम्बन्ध में ५ महीने का खर्चा सरकार ने इसमें मांगा है। उस विषय में जो आपत्ति उठाई गई है उसका मैंने भी अध्ययन किया है। श्री माधव प्रसाद जी ने इस सम्बन्ध में जो चर्चा लोक सभा में हुई थी उस चर्चा का उन्होंने कल जिक्र किया था। मैंने भी उस चर्चा को पढ़ा। यह तो कोई नहीं कहता कि लेखानुदान पेश नहीं किया जा सकता है और बीच में खर्चा नहीं मांगा जा सकता। वहां लोक सभा में भी मांगा गया। अधिकतर यह देखा गया है कि वहां प्रथा यह रही कि या तो एक महीने का मांगा गया या दो महीने का ३, ४ महीने का कभी नहीं मांगा गया। दूसरी प्रथा उनके यहां यह रही कि जो बजट लेखानुदान के साथ पेश होता है उसके ऊपर आम तौर पर एक आम बहस होने के बाद ही लेखानुदान पर विचार होता है।

जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया कि इस प्रथा के स्वीकार करने से संविधान के विरुद्ध वह हो जाती हो। प्रश्न संविधान के विरुद्ध प्रथा होने का नहीं है। प्रश्न केवल परम्पराओं का है, यही दिखाई देता है और इसी लिये जब इस सदन में १९५२ में लेखानुदान उपस्थित किया गया उस समय यह कहा गया था कि उस पर बहस नहीं होगी, कोई कट मोशंस नहीं होंगे और जो प्रक्रिया २०३,२०४ में दी हुई है उसको ब्योरे से लेखानुदान में नहीं बरता गया बल्कि लेखानुदान उपस्थित कर के उसको वैसे ही स्वीकार किया गया क्योंकि सरकार के लिये इतना समय नहीं था कि ३१ मार्च तक वह पहले सालाना बजट उपस्थित करे और उसे नियमानुसार पारित करा सके। लेखानुदान कितने समय के लिये लिया जा सकता है इसके लिये भी संविधान में कोई सीमा नहीं है। मैंने यह देखा है कि लोक सभा में साधारणतया एक महीने तक का खर्चा लेखानुदान द्वारा मांगते रहे और कभी ३-४ महीने का भी मांगा गया है लेकिन इस सदन में सन् ५२ में ४ महीने के लिये लेखानुदान मांगा गया और वार्षिक आय व्ययक प्रस्तुत किया गया लेकिन लेखानुदान प्रस्तुत करने के लिये पहले या बाद उस पर आम बहस नहीं हुई। इसी तरह से सन् ५७---५८ में वह १ महीने का मांगा गया और उस समय भी आम बहस की आवश्यकता नहीं हुई। लोक सभा में तो यह होता रहा कि आम बहस बजट पर होने पर लेखानुदान उपस्थित होता रहा, लेकिन यहां की प्रथा यह रही कि आम बहस नहीं होती थी लेखानुदान उपस्थित करने के पहिले न लेखानुदान पर ही बहस हुई। सन् ६१---६२ में भी यही हुआ। लेकिन ६१---६२ में १ महीने के लिये लेखानुदान मांगा गया। ६२-६३ में ३ महीने के लिये। ६७---६८ में ४ महीने के लिये। ६७-६८ में दो दफा लेखानुदान उपस्थित किया गया। एक तो प्रस्तुत मुख्य मंत्री जी के काल में ४ महीने के लिये मांगा गया और फिर सरकार बदली तो उसके बाद जब बजट पेश किया गया तो १ महीने के लिये लेखानुदान मांगा गया जब कि चरण-सिंह जी मुख्य मंत्री थे। जब पहली बार ४ महीने का मांगा गया तो इस बात का प्रश्न उठा कि क्या बिना बहस किये हुये लेखानुदान स्वीकार कर लिया जाय? तो यह तय हुआ कि पहले

[श्री अध्यक्ष]

जब १-२ महीने के लिये खर्चा मांगा गया था तो उस वक्त बात दूसरी थी, लेकिन जब ४ महीने के लिये खर्चा मांगा जा रहा है तो लेखानुदान पर आम बहस भी होनी चाहिये, यानी जनरल बजट के ऊपर नहीं बल्कि लेखानुदान में जो समय निश्चित किया गया है उस समय के अन्दर घंटे, दो घंटे की आम बहस हो जाय, फिर वोटिंग हो या निश्चित हुआ इस प्रकार प्रथा में कुछ परिवर्तन हुआ ।

अब जहां तक परम्परा का सवाल है, इस सदन में यह परम्परा ६६---६७ तक रही कि लेखानुदान पर कोई आम बहस भी नहीं होती थी । लेकिन इस परम्परा को सन् ६७-६८ में बदला गया और तय हुआ कि थोड़े समय की आम बहस हो जानी चाहिये जिसमें सिद्धान्तों के बारे में सदस्य कह सकें और कोई शंकायें मौजूद हों कि लेखानुदान के जरिये से जो खर्चा सदन स्वीकार करेगा उसके आधार पर सरकार टैक्स कहीं न लगा दे यह बात बहस से स्पष्ट हो सके । इसी कारण से जब गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे तो उनके समय में १९६७-६८ में ४ महीने का लेखानुदान उपस्थित किया गया जिस पर संक्षेप में आम बहस हुई थी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, कुछ निवेदन करना है ....

श्री अध्यक्ष---

नियम यह है कि जब मैं खड़ा हूं तो आप खड़े नहीं हो सकते । आप कृपया बैठें ।

तो मैं यह कह रहा था कि जहां तक इस सदन की परम्परा का सवाल है वह मैंने साफ कर दी है । इस सदन में संविधान के २०६ अनुच्छेद का सवाल उठाया गया है । २०६ का (२) इस प्रकार है---

The provisions of Articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1).....

अगर इसका अर्थ यह मान लिया जायेगा कि लेखानुदान पर बहस वैसे ही होगी जैसे कि बजट पर होती है, उसमें फिर कट मोशन्स भी आयेंगे तो लेखानुदान में उतना ही समय लगेगा जितना कि आम बजट में लगता है । इस संबंध में लोक सभा में स्पीकर ने जो कहा है उसको भी मैं पढ़ता हूं---

".....Then, Article 116 which follows refers in the following terms to the earlier article and the limitation is contained in the Article itself :

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter.....

'.....The House of the People shall have power—

(*a*) To make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 113.....'

What is the procedure prescribed in article 113 ? The procedure prescribed is that each Demand should be discussed by the House before the Demand is finally put to the House. Cut motions must be allowed and there must be a regular discussion. Ultimately, the demands with or without cuts are put to the vote of the House.

Now with regard to the Vote of Account, I am not able to see exactly as to how the House will consider it in the same manner as in the case of the regular Demands. As a matter of fact, whenever any Hon. Member goes out or possibly any officer goes out, he takes some advance from his office for expenditure. If he has to give the details of all the expenditure at that time, he might as well wait till the expenditure is incurred. How is it possible in the case of Vote on Account to discuss the details ?

Now, this convention has been adopted in terms of article 116. I am doubtful if rule 214 which we follow is itself *intra vires* or *utra vires.*

यानी यह भी शंका स्पीकर ने उठाई थी कि नियम २१४ संविधान की दृष्टि से इन्ट्रावायरस होगा या अल्ट्रा वायरस होगा । इसलिये लोक सभा में यह फैसला दिया गया हमेशा कि जब पूरा बजट उपस्थित हो जाय तब उस वक्त जनरल डिस्कशन हो और उसमें कटमोशन्स वगैरह भी हों। लेकिन वोट आन एकाउन्ट के लिये लोक सभा में पहले पूरे बजट पर डिस्कशन जरूर होता था और उसके बाद वहां पर वोट आन एकाउन्ट आने पर उस पर जनरल डिस्कशन की जरूरत नहीं रहती रही क्योंकि ऐसी बहस केवल बहस का दुहरावा होता। पर इस सदन की प्रथा यह रही कि जनरल डिस्कशन भी बजट पर पहले हो जाना आवश्यक नहीं रहा बल्कि बजट में जो एक्सपेन्डीचर एस्टीमेटेड है उसका कुछ भाग आवश्यक खर्चे के लिये लेखानुदान द्वारा सरकार को दिया जाता रहा है और पांच महीने तक की यहां प्रथा रही है। मैं समझता हूं कि कोई प्रथा चालू करने का इस सदन को पूरा अधिकार है। प्रथा को बदलने का अधिकार भी सदन को है।

संविधान के जो अनुच्छेद हैं और जो उसके नियम हैं उनको नहीं बदला जा सकता। जो संविधान के अनुच्छेद के विपरीत होता है उसको प्रथा द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कहा जा सकता है कि यहां की प्रथा विपरीत पड़ती है अनुच्छेद २०६ के। यह कहा गया कि अनुच्छेद २०६ में अनुच्छेद २०३ और २०४ की प्रक्रिया लेखानुदान पारित करने में अमल में आयेगी, इसका अर्थ लेखानुदान के बारे में उस वक्त लोक सभा के स्पीकर साहब ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद का इन्टरप्रिटेशन रीजनेबिल होना चाहिये। यह जनरल क्लाजेज ऐक्ट में भी सिद्धान्त माना गया है। किसी अनुच्छेद या धारा का अर्थ तर्क शुद्ध या रीजनेबिल होना चाहिये । जब यह बात स्पष्ट हो गई कि लेखानुदान की इसलिये आवश्यकता पड़ी कि सालाना बजट पेश कर के नियत समय के अन्दर प्रक्रिया के अनुसार बजट पास नहीं हो सकता तो फिर लेखानुदान को पारित करने में उतना ही समय लगे ऐसी प्रकिया का अनुच्छेद २०६ के द्वारा संविधान में कभी संकेत नहीं कर सकता क्योंकि मुख्य बजट पर जनरल डिस्कशन करने के लिये कटमोशन्स देने के लिये, और उन पर बहस करने के लिये काफी समय बाद में मिल सके, इसीलिये तो लेखानुदान द्वारा आवश्यक खर्चा कुछ समय के लिये मंजूर कराया जाता है जसके बाद में पूरे बजट पर जब वह पेश हो उसमें काफी समय देकर बहस हो सकती है।

लेखानुदान के लिये पूरी प्रक्रिया जो बजट के समय होती है वह प्रक्रिया लागू होना सम्भव नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जो परम्परा रही है उस परम्परा के अनुसार यह लेखानुदान जो सरकार ने उपस्थित किया है वह परम्परा के विपरीत नहीं है और न अनुच्छेद २०६ की मंशा के विपरीत ही है। यह परम्परा जारी रहेगी जब तक सदन उसमें परिवर्तन न कर दे। जो प्रथा लोक सभा में है कि बजट के ऊपर जब जनरल डिस्कशन प्रारम्भ हो जाय और कुछ देर तक वादविवाद हो जाय और उसका कुछ स्वरूप सामने आ जाय तब उसके बाद लेखानुदान बीच में लाना चाहिये। यह प्रथा इस सदन के लिये भी अनुकरणीय होगी यदि सदन उसे कायम करना भविष्य के लिये चाहेगा। यह परम्परा इसी साल लागू करने का प्रश्न नहीं उठता। परम्पराएं जो बनती हैं वह सदन की राय से बनती हैं। यदि सदन की

[श्री अध्यक्ष--]

एक समिति सरकार तथा विरोधी दल वालों की कायम की जाकर वह आइन्दा जो लेखानुदान हो उसकी प्रक्रिया निश्चित कर दे तो उचित होगा। मामूली तौर पर एक महीने से अधिक के लिये खर्चा लेखानुदान द्वारा मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वह उसी समय हो सकता है जब आपका बजट तैयार हो और तैयार हो जाने के बाद पास करने में दिक्कत हो। लेकिन जब बजट पूरी तरह तैयार करने में देर हो तो अधिक समय सरकार को मांगना ही पड़ता है। इस वर्ष सरकार की कठिनाई देख कर जो लेखानुदान उसने पेश किया है वह ठीक है और परम्परा के अनुसार पेश किया है फिर भी आइन्दा परम्परा ऐसी होनी चाहिये कि बजट तैयार होकर जब उसका स्वरूप कुछ समय आम बहस होकर मालूम हो जाय, तभी लेखानुदान थोड़े समय के खर्चे के लिये पेश किया जाय। इसके लिये एक कमेटी बना कर, सब लोग मिल कर, पुरानी जो इस सदन की परम्परायें हैं उनमें संशोधन कर दें तो अच्छा होगा और फिर लेखानुदान पर आम बहस की जरूरत नहीं होगी या केवल थोड़े समय की बहस काफी समझी जायगी। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी आम बहस की आवश्यकता होगी क्योंकि एक माह से ज्यादा का खर्चा मांगा जा रहा है और चूंकि बजट पर जनरल डिस्कशन नहीं हुआ है, तो जैसे कि ६७-६८ में आम बहस करना सदन ने स्वीकार किया था, उसी प्रकार की बहस करना इस समय भी आपको स्वीकार करनी होगी। रही समय के बटवारे की बात, उसके रेग्युलेशन का अधिकार अध्यक्ष को है, वह सदन की राय जानकर यह तय कर सकते हैं कि किस कार्य के लिये कितना समय दिया जाय। यह निश्चित हो जाय, उसके बाद वोटिंग होगी।

जो प्रश्न उठाया गया था उसके बारे में मेरा यह निर्णय है।

## १९६९-७० का लेखानुदान

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

मैंने इस सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र वर्मा जी से बातचीत की थी। मैंने उनको सुझाव दिया था कि ४ बजे तक इस पर डिसकशन हो जाय, उसके बाद नियम ५१ ले लिया जायगा, उसके बाद वोटिंग हो जायगी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ले लिया जायगा, ५ बजे के बाद सूखे वाला ले लिया जायगा।

श्री उचित नारायण (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, यह कैसे संभव होगा? किसी भी माननीय सदस्य को पहले से इसकी सूचना नहीं थी, कोई भी इसके लिये तैयार नहीं है। अगर बहस के लिये ही बहस हो जाय, तो उससे क्या लाभ होगा? उसके लिये हमें समय मिलना चाहिये अन्यथा यह संभव न हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप नहीं चाहते हैं तो न करें।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

इनकी बात किससे हुई, हमें तो किसी को यह बात नहीं मालूम है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैंने तो कहा कि वीरेन्द्र वर्मा जी मेरे पास आये थे, उनसे मेरी बातें हुई थीं। उन्होंने अपने साथियों से यह कहा या नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम। मैंने उनसे कहा था कि असेम्बली आज ही तक चलने वाली है, कोई और दूसरा चारा है नहीं। सिद्धान्ततः इस पर बहस नहीं हुआ करती है और एप्रोप्रियेशन बिल बिना बहस के ही पास हो जाता है क्योंकि पिछली दफ़ा थोड़ी सी बहस हो गयी थी। चार बजे तक आप बहस कर सकते हैं। यह ठीक है कि उन्होंने लौट कर मुझे कुछ जवाब नहीं दिया कि उनकी और लोगों से क्या बातचीत हुई।

**श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—**

शर्मा जी जो बात कह रहे हैं मैं उनकी बात को काटने का साहस तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अमुक समय पर इस पर विवाद होगा। मैं तो कल से अभी तक आपकी रूलिंग की प्रतीक्षा में था। अगर हमें पहले से मालूम होता तो उसके लिये कुछ करते भी। माननीय वित्त मंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि वोट आन एकाउन्ट एक मर्तबा नहीं अनेक मर्तबा भी लाया जा सकता है। अगर कोई गलत भी परम्परा पड़ गयी है तो क्या उसको हमें जारी रखना चाहिये? हम इस समय इस एप्रोप्रियेशन बिल पर किस प्रकार से बहस कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने सुझाव दे सकते हैं? क्या इसके लिये सदन और आगे नहीं चल सकता? क्या जरूरी है कि आज ही समाप्त हो? अगर आपकी यह इच्छा है कि इस पर बहस न हो तो कोई बात नहीं है। वैसे यहां रह कर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है? हम भी तो यहां किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये बैठे हैं?

**वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—**

मैंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि इसके अतिरिक्त हम कोई और लेखानुदान नहीं ला रहे हैं। न जाने क्यों मेरे माननीय मित्र उसको भूल गये। मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रक्रिया नियमावली के नियम १९३ को देखने का कष्ट करें। लेखानुदान के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम १९३ (३) में इस प्रकार से है :—

> "प्रस्ताव पर या उस समय प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर साधारण चर्चा की अनुज्ञा होगी, तथा अनुदानों के विवरणों पर सविस्तार विवाद न होकर केवल इतना उल्लेख किया जा सकेगा जो साधारण चर्चा के हेतु आवश्यक हो।"

केवल इतना-सा है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं।

**श्री अध्यक्ष—**

अच्छा, तो फिर अब आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला संकल्प लेना आज आवश्यक है?

**श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—**

अध्यक्ष महोदय, बिजली वाले संकल्प में कोई ऐसी चीज नहीं है। एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा अभी तक कर्ज लेने की सीमा २५ करोड़ रुपये तक थी लेकिन अब चूंकि बोर्ड बिजली बढ़ाने के लिये ५० करोड़ रुपये तक कर्जा लेना चाहता है तो मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण-सी चीज है जिसके बारे में हम आपस में बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। इसमें किसी की दूसरी राय नहीं होगी। इसलिये हमने इसको रखा था कि यह परम्परा थी कि एप्रोप्रिएशन बिल पर कोई बहस नहीं होती—दिन खतम हो जायेगा इसलिये सोचा था कि इसको ले लें और इस पर कुछ पालिसी स्टेटमेंट दे देंगे। कल पालिसी स्टेटमेंट हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने दे दिया है। मैं समझता हूं कि आप सभी सहमत होंगे, केवल ५–७ मिनट की बात है। एप्रोप्रिएशन बिल पर जनरल बहस कर लें तब तक हम आप आपस में बैठ कर अलग से इस पर बात कर लें।

**श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—**

बिजली के सम्बन्ध में कर्जा देने की नीति के ऊपर बहुत बहस हो सकती है। पिछले साल भी हमने कहा था कि इस में काफ़ी घोटाला हुआ है। इसके लिये हमें पूरा अवसर दिया जाय ताकि हम सदन को बतला सकें कि किस-किस संस्था को कर्जा दिया गया और कहां-कहां कितना गड़बड़ घोटाला किया गया है। पूरा समय मिलने पर ही सदन की जानकारी में पूरी बात हम ला सकेंगे।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने अभी कहा है कि इस पर साधारण विवाद कर लें, इस पर ज्यादा विवाद का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसके माने यह हैं कि विवाद पर उन्होंने जोर ही नहीं दिया। तो मैं माननीय, इधर विरोधी दल में बैठने वाले सभी सदस्यों की तरफ़ से आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है वह तो बहुत ही उत्तम है कि इस पर विवाद होना चाहिये क्योंकि ५ महीने की मांग है। एक महीने के लिये मांग होती तो कहा जाता कि काम चलाने के लिये यह मांग है। २४ दिन और ४ दिन बहस के लिये, इस तरह से २८ दिन ऐसे ही हो जाता। फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आपने इसका कोई कारण नहीं बतलाया कि आज ४ बजे तक ही इसे क्यों पास होना चाहिये? कल भी इसके ऊपर बहस क्यों न हो क्योंकि कल तो आपको कोई रुपया निकालना नहीं है। ३१ मार्च के बाद ही रुपया निकल पायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष अगर सदन के दर्पण में प्रदेश की जो आकांक्षायें हैं उनको प्रतिबिम्बित करना चाहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो सरकार अपनी संख्या के बल पर इसे क्यों पास करवा लेना चाहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी रक्षा करें ताकि हम अपनी सभी बातों को जो इस लेखानुदान के तमाम प्रपोजल्स में निहित हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से विचार कर सकें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैंने बहुत सोच कर इसे रखा था क्योंकि यहां से एप्रोप्रिएशन बिल पास होकर कौंसिल में जाता है। अगर कल नहीं पास होगा तो फिर रामनवमी की छुट्टी आ जायेगी। अगर आज यहां पास हो जाता है तभी तो वहां जायेगा। रामनवमी की वजह से सभी माननीय सदस्य अपने-अपने घर भी आज जाना चाहेंगे। तो अगर जरूरी समझें तो शाम को कुछ ज्यादा देर तक बैठ जायं। ऐसा नहीं है कि हम श्री रामस्वरूप वर्मा जी की बात नहीं मानते, लेकिन आज हमारी थोड़ी-सी दिक्कत है। इसमें कोई जिद की बात नहीं है, अगर आप चाहें तो आज शाम को एक घंटा और समय बढ़ा दिया जाय। उसके लिये हम तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आज हम लोग थोड़ा-सा ज्यादा समय तक बैठ जायं?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथी गण कुछ ज्यादा बहस करना चाहते हैं। अगर कल के लिये भी इसे विचार के लिये रखा जाय तो यह सम्भव नहीं है जैसा कि हमारे सचेतक ने बतलाया। इसलिये मैं आपके द्वारा अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आज एक घंटा और बहस के लिये बढ़ा लें।

श्री अध्यक्ष—

उसके बाद वोट आन एकाउंट हो जाय, फिर एप्रोप्रिएशन बिल ले लें और उसके बाद एलेक्ट्रिसिटी वाला संकल्प रखें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ठीक है, धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

श्रीमन्, समय बढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा, इसलिये अगर कल और परसों का समय दे दिया जाय तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—

यह सम्भव नहीं है। अब मैं प्रस्ताव पढ़ता हूं :

"३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २,५७,४५,३५,००० रुपये से अधिक न हो।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि हमारे साथ यह अन्याय हुआ है। हमने प्रार्थना की कि कल यह हो सकता है जब हम विवाद कर सकते हैं। जब ५ महीने का लेखानुदान मांगा जा रहा है तो हमें ५ दिन का भी समय नहीं मिल रहा है कि हम उस पर ५ दिन विवाद कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि यह वोट आन एकाउन्ट जिस मंशा से रखा गया था, उसी मंशा के लिए लिया जा रहा है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। जब कि विरोधी पक्ष से समय की मांग हो रही है, और माननीय गुप्ता जी ने प्रस्ताव को मान लिया है कि समय बढ़ना चाहिए तो यह यकायक इस प्रस्ताव पर मत लेना यह सर्वथा आपकी व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर इस समय मत न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मौका दिया कि आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें पर जब आप नहीं बोले तो मैंने मत लेने को कहा। लेकिन आपने कहा कि आज बहस नहीं करना चाहिये तो जब आपको बहस नहीं करनी थी तो मैंने प्रस्ताव रख दिया। मैं फिर प्रस्ताव सुनाये देता हूं :—

"३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २,५७,४५,३५,००० रुपये से अधिक न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

इसमें एक गलती हो गई है, यह १९६९ गलत छपा है, यह १९७० होना था। मैं इसलिये इसको फिर पेश करूंगा।

प्रश्न यह है कि "३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २,५७,४५,३५,००० रुपए से अधिक न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जब कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस का भी मौका नहीं दिया गया और हम इस पर अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सके, हम समझते थे कि ४ बजे तक मौका मिलेगा वह भी नहीं मिला और कल तक सदन का समय भी नहीं बढ़ाया गया, इस तमाम अन्याय के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(विरोधी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

## उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ समय पश्चात्)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

## उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९

१ अप्रैल, १९६९ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये विधेयक।

अतएव भारतीय गणतंत्र के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

**संक्षिप्त शीर्षनाम**

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

**उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६९-७० के लिये ३,३२,-२०,२८,०००रु० का दिया जाना**

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो १ अप्रैल, १९६९ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सब का कुल योग ३,३२,२०,२८,००० (तीन अरब बत्तीस करोड़ बीस लाख अट्ठाईस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

**विनियोग**

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं।

## अनुसूची

(धारायें २ व ३ देखें)

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक | | |
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज की संहत निधि पर भारित | योग |
| | | रु० | रु० | रु० |
| १ | वृहत् जोत कर | १,६६,००० | १,००० | १,६७,००० |
| २ | भू-राजस्व | ५,८१,८५,००० | ७,००० | ५,८१,९२,००० |
| ३ | राज्य आबकारी | २३,००,००० | १,००० | २३,०१,००० |
| ४ | बिक्री- कर | ४३,००,००० | २,००० | ४३,०२,००० |
| ५ | अन्य कर और शुल्क | १४,४६,००० | १,००० | १४,४७,००० |
| ६ | स्टाम्प | ६,८५,००० | १,००० | ६,८६,००० |
| ७ | निबन्धन | १५,४६,००० | १,००० | १५,४७,००० |
| ८ | राज्य विधान मण्डल | २२,०८,००० | ४०,००० | २२,४८,००० |
| ९ | निर्वाचन | ४७,९५,००० | .. | ४७,९५,००० |
| १० | सामान्य प्रशासन | १,३५,८३,००० | ७,७३,००० | १,४३,५६,००० |
| ११ | आयुक्त और जिला प्रशासन | ५,२६,७९,००० | ४,००० | ५,२६,८३,००० |
| १२ | गांव सभायें और पंचायतें | ८१,८२,००० | १,००० | ८१,८३,००० |
| १३ | न्याय प्रशासन | १,४६,०४,००० | २७,७४,००० | १,७३,७८,००० |
| १४ | कारागार | १,५५,८१,००० | १,००० | १,५५,८२,००० |
| १५ | पुलिस | ११,५३,२३,००० | ३,००० | ११,५३,२६,००० |
| १६ | खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन | ६५,९३,००० | २५,००० | ६६,१८,००० |
| १७ | वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य | ९,७७,००० | १,००० | ९,७८०,०० |
| १८ | शिक्षा | ३०,०८,९०,००० | १,००० | ३०,०८,९१,००० |
| १९ | चिकित्सा | १,३४,६०,००० | ५,००० | ६,३४,६५,००० |
| २० | सार्वजनिक स्वास्थ्य | ५,७९,००,००० | १,००० | ५,७९,०७,००० |
| २१ | कृषि संबंधी विकास | ७,२८,३०,००० | ४०,००० | ७,२८,७०,००० |
| २२ | उपनिवेशन | ३२,००० | १,००० | ३३,००० |
| २३ | पशुपालन तथा मत्स्यपालन | २,३७,२१,००० | १,००० | २,३७,२२,००० |
| २४ | सहकारिता | १,७८,२४,००० | १,००० | १,०८,२५,००० |
| २५ | उद्योग | ४,२९,४०,००० | ३,००० | ४,२९,४३,००० |
| २६ | नियोजन और समन्वय | ८,१७,१५,००० | २,००० | ८,१७,१७,००० |
| २७ | श्रम और सेवायोजन | १,८७,१९,००० | ३,००० | १,८७,२२,००० |
| २८ | सूचना निदेशालय | १२,७७,००० | १,००० | १२,७८,००० |
| २९ | अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां | २,११,७९,००० | १,००० | २,११,८०,००० |

## अनुसूची (क्रमशः)

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक | | |
| | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की संहृत निधि पर भारित | योग |
| | | रु० | रु० | रु० |
| ३० | समाज कल्याण .. | १७,७३,००० | १,००० | १७,७४,००० |
| ३१ | राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य .. | १२,०६,३३,००० | १,००० | १२,०६,३४,००० |
| ३२ | सिंचाई अधिष्ठान .. | ४,५८,९०,००० | २,००० | ४,५८,९२,००० |
| ३३ | सार्वजनिक निर्माण--कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं .. | ६,२४,०३,००० | २,४२,००० | ६,२६,४५,००० |
| ३४ | संचार साधनों का सुधार | ४३,९०,००० | .. | ४३,९०,००० |
| ३५ | सार्वजनिक निर्माण--कार्य अधिष्ठान | १,९०,८०,००० | १,००० | १,९०,८१,००० |
| ३६ | सार्वजनिक निर्माण--कार्यों के लिये सहायक अनुदान .. | ८७,५९,००० | .. | ८७,५९,००० |
| ३७ | परिवहन .. | १६,२३,४६,००० | १,२७,००० | १६,२४,७३,००० |
| ३८ | दुर्भिक्ष सहायता .. | ४७,८५,००० | ६२,५०,००० | १,१०,३५,००० |
| ३९ | अधिवर्ष भत्ते और रेंशनें .. | १,८०,६०,००० | १,००,००० | १,८१,६०,००० |
| ४० | राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते | ११,१५,००० | .. | ११,१५,००० |
| ४१ | लेखन--सामग्री और मुद्रण | १,१२,७५,००० | .. | १,१२,७५,००० |
| ४२ | वन .. | ३,२२,४३,००० | १७,००० | ३,२२,६०,००० |
| ४३ | प्रकीर्ण व्यय .. | १,९९,०४,००० | ३,००० | १,९९,०७,००० |
| ४५ | नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन .. | ९१,२५,००० | १,००० | ९१,२६,००० |
| | ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज .. | .. | १७,४८,१६,००० | १७,४८,१६,००० |
| | *ऋण कम करना अथवा उसका परिहार .. | .. | ५६,२०,४०,००० | ५६,२०,४०,००० |
| ४६ | कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .. | २०,७४,९३,००० | १,००० | २०,७४,९४,००० |
| ४७ | औद्योगिक और वित्तीय विकास पर पूंजी परिव्यय .. | २,२३,४८,००० | २,००० | २,२३,५०,००० |
| ४८ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .. | ५,६१,२९,००० | .. | ५,६१,२९,००० |
| ४९ | सिंचाई निर्माण--कार्यों पर पूंजी परिव्यय .. | ५,८४,५०,००० | ७,००० | ५,८४,५७,००० |
| ५० | सार्वजनिक निर्माण--कार्यों पर पूंजी परिव्यय .. | ८,९८,९५,००० | १,२५,००० | ९,००,२०,००० |

* भारित विनियोग ।

अनुसूची (समाप्त)

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक | | |
| | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की संहृत निधि पर भारित | योग |
| | | रु० | रु० | रु० |
| ५१ | सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय | १,१९,५८,००० | ४२,००० | १,२०,००,००० |
| ५२ | पेंशनों का राशि मूल्य .. | ३,२६,००० | १८,००० | ३,४४,००० |
| ५३ | राज्य व्यापार की योजनायें | २५,६७,८५,००० | १,००० | २५,६७,८६,००० |
| ५४ | ब्याज वाले ऋण और अग्रिम | ३५,०७,२४,००० | .. | ३५,०७,२४,००० |
| | योग .. | २,५७,४५,३५,००० | ७४,७४,९३,००० | ३,३२,२०,२८,००० |

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६९ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## विद्युत् परिषद् द्वारा उधार लेने की सीमा में वृद्धि करने के संबंध में संकल्प

चिकित्सा मन्त्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि :—

चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट संख्या ५४, १९४८) की धारा ६५ की उपधारा (३) में यह व्यवस्था है कि उपधारा (१) के अधीन कोई राज्य विद्युत् परिषद् किसी भी समय दस करोड़ रुपये तक की अधिकतम धनराशि ऋण पर ले सकती है, जब तक कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में राज्य विधान सभा के अनुमोदन से कोई उच्चतर अधिकतम धनराशि निश्चित न करे,

[श्री कृष्णानन्द राय—]

चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट संख्या ५४, १९४८) की धारा ६५ की उपधारा (३) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के ७ दिसम्बर, १९६६ की बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा उक्त धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा को २५ करोड़ रुपये तक निश्चित करने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत होने के बाद यह सीमा २५ करोड़ रुपया निर्धारित कर दी गयी थी।

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को, जिसने उक्त धारा ६५ की उपधारा (१) के अधीन अभी तक २३, ३९, ७०, ३०० रुपये का ऋण प्राप्त किया है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिये अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करने हेतु और ऋण की आवश्यकता होगी,

और, इस सभा की राय में उक्त परिषद् को, योजनागत निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ, जिनके लिये उनके पास पर्याप्त निधियां नहीं हैं, साधनों को पूरा करने योग्य बनाने के उद्देश्य से उधार लिये जाने की अधिकतम सीमा को पचीस करोड़ रुपये से बढ़ाकर पचास करोड़ रुपये करना आवश्यक है,

अतएव, यह सभा, उक्त ऐक्ट की धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन उक्त परिषद् द्वारा उधार लेने की अधिकतम सीमा को पचास करोड़ रुपये तक निश्चित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट संख्या ५४, १९४८) की धारा ६५ की उपधारा (३) में यह व्यवस्था है कि उपधारा (१) के अधीन कोई राज्य विद्युत् परिषद् किसी भी समय दस करोड़ रुपये तक की अधिकतम धनराशि ऋण पर ले सकती है, जबतक कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में राज्य विधान सभा के अनुमोदन से कोई उच्चतर अधिकतम धनराशि निश्चित न करे,

चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट संख्या ५४, १९४८) की धारा ६५ की उपधारा (३) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के ७ दिसम्बर, १९६६ की बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा उक्त धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा को २५ करोड़ रुपये तक निश्चित करने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत होने के बाद यह सीमा २५ करोड़ रुपया निर्धारित कर दी गयी थी।

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को, जिसने उक्त धारा ६५ की उपधारा (१) के अधीन अधिकतम २३, ३९, ७०, ३०० रुपये का ऋण प्राप्त किया है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिये अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करने हेतु और ऋण की आवश्यकता होगी,

और, इस सभा की राय में उक्त परिषद् को, योजनागत निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ, जिनके लिये उनके पास पर्याप्त निधियां नहीं हैं, साधनों को पूरा करने योग्य बनाने के उद्देश्य से उधार लिये जाने की सीमा को पचीस करोड़ रुपये से बढ़ा कर पचास करोड़ रुपये करना आवश्यक है,

अतएव, यह सभा, उक्त ऐक्ट की धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन उक्त परिषद् द्वारा उधार लेने की सीमा को पचास करोड़ रुपये तक निश्चित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

# कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष—**

कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने स्वीकार नहीं किया है और ध्यान आकर्षण करने वाले नियम ५१ के अन्तर्गत जो प्रश्न उपस्थित किये गये थे उनको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है। इसलिये इनके ऊपर चर्चा नहीं होगी।

## विभिन्न जिलों में सूखे की स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)†

**श्री अध्यक्ष—**

अब यादवेन्द्रदत्त दुबेजी द्वारा प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना, मिर्जापुर आदि में सूखा के ऊपर कोई चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं।

***श्री कृष्णचन्द्र** (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का अत्यन्त अनुगृहीत हूं कि यद्यपि इसके पूर्व सूखा के सम्बन्ध में यह विवाद कुछ कारणों से स्थगित हुआ था किन्तु कल जब आपका ध्यान इस सदन में पुनः आकर्षित किया गया तो आप ने इसके लिये पुनः समय दिया। श्रीमन्, यह इस प्रदेश का अत्यन्त दुर्भाग्य रहता चला आया है कि पिछले ४–५ वर्षों से कभी तो इस प्रदेश में संकट आया है बाढ़ की वजह से और कभी संकट आया है अनावृष्टि के कारण।

[इस समय २ बज कर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह (पिथौरागढ़) पीठासीन हुये।]

और हमारी जितनी योजनायें हैं चाहे वह केन्द्र द्वारा हमको सहायता प्राप्त हो अथवा यह प्रदेश अपने साधनों द्वारा इस प्रदेश की तरक्की और विकास के लिये प्रयत्नशील हो, लेकिन इस अनावृष्टि और बाढ़ के कारण इन योजनाओं के कार्यान्वयन में हमेशा बाधा पड़ती है। इस वर्ष भी अनावृष्टि के कारण प्रदेश के बहुत से अंचलों में संकट आया हुआ है। सब से अधिक दयनीय दशा मिर्जापुर और बांदा की है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर और ऐसे ही पूर्वी क्षेत्र के कई जिले हैं जिनमें झांसी भी एक जिला है जहां पर अनावृष्टि के कारण संकट आया हुआ है। जब हम लगातार देख रहे हैं कि यह विपत्ति करीब करीब प्रति वर्ष आती है तब हमारी राज्य सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस विपत्ति के विरुद्ध स्थायी कदम उठाये। राज्य सरकार ने पिछले अनावृष्टि का मुकाबला करने के लिये कदम उठाये हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने कदम उठाने चाहिये थे राज्य सरकार की ओर से वह नहीं उठाये गये हैं। इसका हमें खेद है।

श्रीमन्, बुन्देलखंड में अनावृष्टि के कारण पेयजल की नितांत कमी हो जाती है। यदि खाने को मिल भी जाय तो बुन्देलखंड में ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बांदा और झांसी में जहां कुयें सूख जाते हैं। आज से तीन वर्ष पहले एक समय ऐसा आया था कि झांसी जिले के अंचलों में ट्रकों द्वारा पानी पहुंचाया गया था। तब भी समस्या हल नहीं हुई थी। हमारी पार्टी के लोग जाते थे और पानी की व्यवस्था करते थे। मेरे दुर्भाग्य से नेता विरोधी दल यहां नहीं हैं उनकी सरकार ९ महीने तक रही। इसके बाद राज्यपाल का शासन आया था। लेकिन इन वर्षों में, इस बात को जानते हुये कि प्राकृतिक कोपदृष्टि इस प्रदेश के ऊपर होती आई है, क्या कदम अनावृष्टि का मुकाबला करने के लिये उठाये गये?

---

†२१ मार्च, १९६९ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णचन्द्र]

श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि दूसरे क्षेत्रों में क्या किया गया, लेकिन मेरे जिले में जो किया गया है वह बिलकुल नाकाफी और असन्तोषजनक है। अनावृष्टि की वजह से सदन में यह सूचना आई है और सूचना देने वाले सज्जन यहां नहीं है। उस दिन २०० गांवों, ललितपुर सब डिवीजन में सूखा से प्रभावित बताये गये थे और ६६ गांव महरोली तहसील के बताये गये थे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या इससे कहीं अधिक है। ललितपुर सब डिवीजन में २४१ गांवों से भी ज्यादा और महरोली में ६६ गांवों से ज्यादा सूखा से प्रभावित हैं। महरौली तहसील में ऐसे अंचल हैं जहां पथरीली जमीन है और जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वह सूखे से अत्यन्त प्रभावित है और सरकार के पास इसकी सूचना नहीं है। मेरे दुर्भाग्य से राजस्व मंत्री जी भी यहां नहीं हैं जो उत्तर दे सकते। मैं दूसरे मंत्रियों से जो यहां उपस्थित हैं, उन से यह कहना चाहता हूं कि उन गांवों की संख्या बहुत ज्यादा है जो सूखा से प्रभावित है।

दूसरी बात यह है कि यह माना गया है कि ७४प्रतिशत फसलों को सूखा से नुकसान हुआ है। यदि ७५ प्रतिशत नुकसान होता तो ६० प्रतिशत की छूट मिल जाती। क्या सरकारी कर्मचारियों के पास ऐसा कोई पैमाना था जिससे उन्होंने ठीक जांच करली कि ७४ प्रतिशत से आगे एक डेसिमल भी नुकसान नहीं हुआ ? मैं समझता हूं कि यह बड़ा उपेक्षापूर्ण, निर्दयी और कठोर कार्य है। जहां सूखे से शत प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है वहां सरकार के पास केवल ७४ प्रतिशत की रिपोर्ट आई है। इससे तो यह मालूम होता है कि किसान को सहायता न दिये जाने की इच्छा है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि शत प्रतिशत नुकसान फसल का हुआ है, ७४ प्रतिशत की रिपोर्ट को गलत मान कर शत प्रतिशत मानें और पूरी छूट दी जानी चाहिये।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कार्य प्रारम्भ होना है वह शीघ्र होना चाहिए। मंत्री जी ने जो टेस्ट वर्क के संबंध में कहा, उनकी बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ, कि कहीं अति-वृष्टि है या अनावृष्टि है वह इस बात से जानी जाती है कि वहां पर टेस्ट वर्क में कितने आदमी काम कर रहें हैं। अगर यह पैमाना है आप का तो गलत है। मेहरबानी करके इस पैमाने को अलग कर दीजिये। टेस्ट वर्क में मजदूरी ९० पैसा प्रति व्यक्ति है। अगर वह बस मील पर जो दूसरा प्रदेश लगा है, मध्य प्रदेश वहां चला जाता है चार रुपये रोज कमाता है। अगर वह दूसरे प्रदेश में या दूसरे जिले में चला जाता है तो आपके हिसाब से अगर तीन लाख लोग प्रभावित हैं वह तीन लाख मध्य प्रदेश या दूसरे जिले में चले जाते हैं तो उनके अनुसार वहां अनावृष्टि या सूखा है ही नहीं क्योंकि वहां टेस्ट वर्क करने के लिये कोई आदमी उपस्थित नहीं है। यह बात गलत है। टेस्ट वर्क की भावना यह है कि जब किसान के पास खाने को नहीं है तो आप कार्य मोहइया कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शोषण किया जाय, अगर वह पांच रुपये का काम करता है तो उसका आप एक रुपया दें। यह उसकी भावना नहीं है। आप पांच रुपया दीजिये। उसकी जेब से पैसा देने की प्रवृत्ति गलत है। इसलिये टेस्ट वर्क होना चाहिये। और वहां पर मजदूरी बढ़नी चाहिये। यह मेरा अनुरोध है।

दूसरा अनुरोध यह है कि हमने बजट पेश कर दिया। बहुत से काम शुरू होंगे। उन क्षेत्रों में तुरन्त काम शुरू किये जाने चाहिये जो शुरू होने वाले हैं। महीने दो महीने के बाद नहीं, तुरन्त काम शुरू किये जाने चाहिये। उस से यह संकट बच जायगा जो टेस्ट वर्क में मजदूरी देनी पड़ती है। इसमें सरकार की किफायत हो जायगी। किसान उनमें लगेंगे। उनको पूरी मजदूरी मिलेगी।

मेरे यहां हनुमान जी की पूंछ की तरह जामने बांध का इतिहास चला आ रहा है। कांग्रेस सरकार आयी, कांग्रेस सरकार चली गयी। फिर चुनाव हुआ। फिर कांग्रेस सरकार आयी। वह चली गयी। फिर संविद सरकार आयी वह चली गयी। इतने परिवर्तन हो गये, लेकिन जामने बांध के निर्माण में कोई परिवर्तन नहीं। उसके काम को झांसी जिले में लगाया जाय। वह भी सूखा पीड़ित क्षेत्र में बन रहा है। अगर उस काम को पूरा किया जाय तो खारी जामने बांध

पर २० हजार मजदूरों को काम मिल सकता है। इसलिये इस अवसर पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस कार्य को किया जाय।

जहां तक पेय जल का प्रश्न है रिपोर्ट आयी है कि पेय जल की व्यवस्था की जा रही है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि जब सूखा पड़ता है उस समय पानी पीने के कुओं को खोदा जाता है। यह तो पुराने राज्यों में सुना जाता था कि जिस वक्त आग लगती थी उस वक्त कुआं खोदने की आज्ञा प्रसारित की जाती थी। आज प्रजातन्त्र के युग में, स्वाधीन भारत में इस प्रकार की क्रिया शोभाजनक नहीं है। जब हम यह जानते हैं कि ऐसे प्रदेश में क्षेत्र हैं, ऐसे नाजुक जिले हैं जहां पर कि किसी भी समय सूखा पड़ने की आशंका है तो सरकार को उसकी कार्यवाही पहले से सोच लेनी चाहिये। और उस कार्यवाही को कार्यान्वित किया जाना चाहिये। तो श्रीमन्, जहां तक पानी पीने का संबंध है, उस की तुरन्त, जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिये। तो हमारे यहां ३ ब्लास्ट यूनिट्स हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ४--५ ब्लास्ट यूनिट्स वहां पर भेजी जानी चाहिये जिससे यह कुयें खोदने का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो सके।

जहां तक गल्ले का सवाल है। उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जानी चाहिये। इसमें रेड--टेपिज्म नहीं होनी चाहिये। यह रेड टेपिज्म को रुकावट न कुआं खोदने के कार्य में आड़े आनी चाहिये न सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने में। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने हमेशा यह कहा है कि यह जो अनावृष्टि या सूखा की स्थिति है, इसको युद्ध स्थिति समझना चाहिये और ऐसा समझकर उसका मुकाबला करना चाहिये। युद्ध स्थिति से तीव्रता, गति और तेजी आती है। तो इस तरह से सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का राज्य सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं अपने जिले के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

यह विषय पौने तीन बजे से शुरू हुआ है और पौने पांच बजे तक इसके लिये समय मिलेगा। अभी कई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिये मैं हर सदस्य के लिये इस पर बोलने के लिये १० मिनट का समय निर्धारित करता हूं।

*श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, यह ५--६ जिले भयंकर सूखे से ग्रस्त हैं, इनके बारे में जो समस्या सदन में प्रस्तुत की गई है और जो सरकारी रिपोर्ट है उसको देखने से यह लगता है कि यह सरकार इस समस्या से निपटने के लिये केवल एक मात्र टेस्टवर्क का सहारा लेती है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से और कोई काम नहीं होता है। ये १२--१४ जिलों की जो पट्टी है, हमेशा प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित रहती है। इनमें कभी सूखे का प्रकोप रहता है और कभी बाढ़ का किसी वर्ष किसी जिले में बाढ़ रहती है तो दूसरे जिलों में सूखा पड़ा रहता है। किसी भी वर्ष किसी समस्या से कोई जिला खाली नहीं रहता है। कोई न कोई परेशानी उनमें बनी ही रहती है। और इसके लिये जनता के लाभ के लिये सरकार टेस्टवर्क का सहारा लेती है। मैं समझता हूं कि टेस्ट वर्क का जो सिद्धान्त बना हुआ है उसमें जो मजदूरी है, बुढ़िया को ६--८ आना है, उसमें कोई आदमी काम करके अपना पेट भर खा नहीं सकता है। यह जरूर है कि छोटे लड़के ६-८ वर्ष के उसमें काम पा जाते हैं। सरकार का टेस्ट वर्क का कोई अर्थ नहीं होता है सरकार का काम बेकार का होता है। कहीं मिट्टी खोदने का काम होता है, कहीं बंधा बांधने का काम होता है और वह अस्थायी काम दो एक वर्षों में समाप्त हो जाता है। क्या प्रशासन के लिये सम्भव नहीं है कि वह कोई स्थायी काम करे और टेस्ट वर्क की मजदूरी में आवश्यक परिवर्तन करे, जिससे वे बेचारे किसी तरह अपना पेट तो भर सकें? जो बूढ़े आदमी हैं, अपंग आदमी हैं या बच्चे हैं उनको उसी अनुपात में काम की मजदूरी मिले। टेस्ट वर्क की यह मर्यादा रही है और इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायण—]

बारे में यह अनुभव रहा है कि जो टेस्ट वर्क में काम करता है वह अपाहिज हो जाता है। हम बेदरिया जिले में जानते हैं कि कई वर्ष से टेस्ट वर्क चलता है तो उसमें काम करने वाले और कोई काम नहीं करना चाहते और यही आशा लगाये रहते हैं कि टेस्ट वर्क का अवसर आये और वे उसमें काम कर सकें। जिससे उन्हें कुछ पैसा मिले यानी खैरात मिल सके और काम कुछ न करना पड़े। तो हमारी जो इस सहारे रहने की प्रवृत्ति है, उसमें वृद्धि हुई है और अपने पैरों पर खड़े होने की प्रवृत्ति उसमें नहीं बनती है। इसलिये मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि अच्छा हो टेस्ट वर्क चलाने के बजाय ऐसे लोगों को खैरात बांटी जाय, दान दिया जाय जिनके पास भूमि नहीं है, खेती के साधन नहीं हैं और लंगर चलाकर उनको खिलाया जाय। इससे अच्छा तो यह है कि उनको किसी उपयोगी काम में ऐसे लगाया जाय जिससे राष्ट्र का हित हो।

दूसरी बात जो सूखे के बारे में है वह यह है कि यह बार बार तीन चार वर्ष पर पड़ता है और फिर बाढ़ आती है, तो क्यों नहीं प्रदेश की ओर से लांग रेंज पालिसी बनायी जाती जिसमें १५ वर्ष, २० वर्ष, ३० वर्ष के लिये एक प्रोग्राम बनाकर सूखे और बाढ़ के बेल्ट में ऐसा काम हो जिससे वहां की मुसीबत स्थायी तौर पर हट जाय। वरना हमेशा इसी तरह से सूखा और बाढ़ आते रहेंगे, टेस्टवर्क खुलते रहेंगे और बन्द होते रहेंगे और राष्ट्रीय धन का बहुत भारी अपव्यय होता रहेगा। इसलिये कोई ऐसी योजना बनाइये जिससे जिन जिलों में सूखा या बाढ़ आये वहां उन लोगों से ऐसा काम लिया जाय जो स्थायी ढंग के हों और उसके लिये स्थायी साधन जुटाये जांय। इन पांच जिलों में जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां मोटर से या पाइप से पानी पहुंचा रहे हैं पर जिस साल वर्षा हुई है यह साधन हटा लिया गया तो बेकार हो जाता है। तो उसके स्थान पर ऐसी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे पानी पीने की जहां पर कमी है वहां पर सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं है उन दोनों के लिये कोई न कोई प्रबन्ध हो। अभी परसों या चौथे दिन मैं मिर्जापुर गया था। वहां पर देखा कि पीने के पानी की व्यवस्था के साथ-साथ सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं है। तो स्थायी व्यवस्था दोनों के लिये ही होनी चाहिये। यह जरूर है कि वह खर्चीली है। बहुत सी जगहों पर ट्यूबवेल्स नहीं लग सकते, कहीं पर नदी दूर है, साधन जुटाये नहीं जा सकते। मिर्जापुर में नहरें बनाने की बात थी। उसमें अधूरा काम पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है। आजमगढ़ जिले में जो बंधा बनाया गया है उससे आगे नहर बनाने के काम में कुछ काम हुआ है और कुछ अधूरा छोड़ दिया गया है। तो सरकार जब सूखा या बाढ़ खत्म हो जाती है तो फिर सब समस्या को भूल जाती है। यह सही है कि तात्कालिक सहायता देकर तात्कालिक सहायता तो हो जाती है, लेकिन समस्या का स्थायी निराकरण नहीं किया जाता। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जो पैसा खर्च किया जाय वह उपयोगी हो, राष्ट्र के हित में हो, दीर्घकालीन व्यवस्था करने से दीर्घकालीन समस्या हल हो जाती है और इसलिये मेरा सुझाव है कि जो भी योजना प्रदेश सरकार करे वह स्थायी रूप से हो और जो सूखा क्षेत्र है और जहां लोग पानी के प्यासे हैं उनकी समस्या तत्काल हल हो, पर साथ ही साथ कोई स्थायी योजना बनाकर स्थायी हल निकाला जाय।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, सूखे के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये जो आपने वक्त मुझे दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हाउस में सूखे पर चर्चा दो दिन से चल रही है और सरकार की ओर से सात आठ जिलों में सूखा घोषित किया गया है। उनमें से एक हमारा आजमगढ़ जनपद भी है। आजमगढ़ सूखे से इतना प्रभावित है कि जो लोग देखते हैं वह यह बता सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद और मिर्जापुर में सूखा है, लेकिन आजमगढ़ की स्थिति इन सबसे भयंकर है। पिछले साल जब असेम्बली थी तो कांग्रेस सरकार की तरफ से माननीय डाक्टर सीताराम जी नियुक्त हुये थे मंत्री की हैसियत से उस जिले की इन्क्वायरी करने के लिये। और अपनी इन्क्वायरी करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। जब १९६७ में कांग्रेस सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बदल गई और संविद सरकार आई तो उस समय मैंने प्रश्न किया था और आज भी वे नेता यहां पर बैठे हैं जिन्होंने इस सदन की मेज पर उस रिपोर्ट को रखने की इजाजत दी। मान्यवर, हमारे जिन माननीय सदस्यों ने उस समय सुना था वे आज भी यहां पर उपस्थित हैं। वे आज भी सदन में मौजूद हैं। उस पर बहस हुई और माननीय मन्त्री जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आज भी उसकी कापी सरकारी दफ्तर में होगी। उन्होंने यह बतलाया था कि वहां पर इन्सानों के पीने के लिये पानी नहीं है, जिस क्षेत्र से मैं यहां आया हूं और खाने के लिये अन्न और मवेशियों को चारे का ठिकाना नहीं है। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वह धान का इलाका है जिसको लालगंज तहसील कहते हैं। वह इलाका ५ साल से लगातार सूखे से प्रभावित होता चला आया है। आज भी वहां की स्थिति ऐसी है जिसके विषय में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय माल मन्त्री को लिखा है कि वह स्वंय जाकर परिस्थिति को देखें। उस क्षेत्र में यह दिखाई देता है कि मवेशियों के पीने के लिये पानी पोखरे और तालाबों में नहीं रह गया है। किसानों और मजदूरों के लिये खाने को वहां पर अन्न नहीं है। सिर्फ उनका सहारा धान पर था तो सो वह भी जाता रहा। धान का बीज उस क्षेत्र में मिलना मुश्किल हो गया है। यह ऐसी स्थिति है जो फूलपुर और सगड़ी दोनों तहसीलों में मौजूद है। वह इलाका सूखे से पीड़ित है और सिंचाई का वहां पर कोई साधन नहीं है। कुंओं के विषय में डा० सीताराम जी ने बताया था कि वह १०, १२ मील तक चले गये लेकिन उनको एक भी कुंआं दिखाई नहीं दिया। आज भी वह रिपोर्ट सरकार के यहां मौजूद है। खुशकिस्मती से हमारे माल मन्त्री जी यहां पर बैठे हुये हैं। मैं उनसे अनुरोध कर चुका हूं कि मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं उस क्षेत्र को जाकर देखें तो सही परिस्थिति मालूम होगी। अगर मुख्य मंत्री जी को मौका नहीं मिलता तो आप अपने विभागीय मन्त्री जी को वह क्षेत्र दिखाइये। आजमगढ़ जनपद को खाली एक सहारा यही है कि वहां पर धान की फसल अधिक होती है और कोई वहां पर रोजगार नहीं है और जिलों की परिस्थिति भिन्न है।

मेरे जिले का पड़ोसी जिला देवरिया है। वहां की स्थिति बिलकुल भिन्न है। वहां पर शुगर की फैक्ट्री है और गन्ने के काश्तकार हैं। उनकी परिस्थिति से हमारी परिस्थिति भिन्न है। गोरखपुर डिवीजन में यह सब से पिछड़ा जिला है और इसमें भी सब से पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है जहां पर लगातार सूखे ने काश्तकारों की कमर तोड़ दी है। इस साल गन्ना भी वहां पर नहीं हुआ है। पानी के अभाव में गन्ना भी सूख गया। जो बचा था उसमें भी रेड राट की बीमारी लग गई। उस गन्ने का बीज तैयार करके वे गन्ना बोया करते थे, लेकिन बाहर से गन्ने के बीज लाकर किस तरह से वे गरीब बो सकते हैं जहां पर मवेशियों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है वहां किस तरह से गन्ना बोया जायगा। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि आजमगढ़ जिले की पूरी स्थिति पर विचार करें क्योंकि वहां पर लोग सूखे से पीड़ित होकर कराह रहे हैं, टेस्ट वर्क अभी वहां चालू नहीं किया गया है। सरकारी अधिकारियों ने जो रिपोर्ट आजमगढ़ के बारे में दी है उसमें वास्तविकता को छिपाया है। यह तो उन्होंने रिपोर्ट दी है कि यह जिला सूखा से प्रभावित है और लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन जो भयंकर सोचनीय स्थिति है उससे सरकार को पूरे तौर से अवगत नहीं कराया गया है। इसलिये माल मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उसके लिए कोई तत्काल कदम उठावें, वरना अप्रैल, मई जून के महीनों में वहां बड़ी कठिनाई होगी। एक रिपोर्ट पहले ही पड़ी हुई है। माल मंत्री स्वयं परिस्थिति को देखकर सरकार या सदन के सामने उसको रखें। (लाल बत्ती जलनें पर)।

एक मिनट और चाहता हूं मेरा अनुरोध है कि जो जिले सूखा से पीड़ित हैं वहां के सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने का आप विशेष मौका दें। वैसे तो जब कभी सवाल आता है तो प्रत्येक सदस्य अपने जिले में भी सूखा बताता है, लेकिन वाकई जिन जिलों में भयानक सूखा है, वहां के जन जीवन का क्या होगा यह सरकार के सामने अहम समस्या है और उसके लिये तत्काल कदम उठाकर कार्यवाही करनी चाहिये।

[श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह बड़े गौरव की बात है कि आपने मुझे सूखा की समस्या पर कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। यों तो उत्तर प्रदेश के किसी न किसी भाग में सूखे का प्रभाव है ही, लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र का वातावरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मिर्जापुर है। मिर्जापुर सदैव से उपेक्षित जिला रहा है। यों तो सन् ६६-६७ से हम सूखा और अकाल से ग्रस्त रहे हैं, परन्तु उस क्षेत्र के विकास और उत्थान के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। जो भी योजनायें बनती जा रही हैं वे अस्थायी हैं। जबकि यह विदित है कि वह जिला सूखा और अकाल से पीड़ित रहता है तो क्यों न स्थायी योजना उसके लिये बनायी जाय? जबकि सोन और पांडु ऐसी नदियां हैं जो कि उस क्षेत्र के लिये वरदान हैं, जब अथाह जल है तो अगर उसको लिफ्ट योजना से उस क्षेत्र में खेत खेत में पानी दे दिया जाय तो यह असंभव नहीं है। इसी से उस क्षेत्र के अकाल और सूखे को सदैव के लिये उद्धार होगा। राजस्व मंत्री जी वहां गये थे तो मैंने सुझाव रखा था और कहा था कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाय और राहत कार्य शुरु किये जांय, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां के लोग आये हुये हैं, अभी हाल में ४-५ मौतें हो चुकीं लेकिन राहत कार्य नहीं शुरू किया गया। अघोरी परगना वहां ऐसा है जहां के लोग ब्रिटिश काल से नहीं जानते कि आजादी का क्या मतलब होता है, आजादी क्या चीज है। उस क्षेत्र में एक बहुत गम्भीर समस्या वर्ग चार की है। ब्रिटिश काल से १३७२ फसली के पूर्व तक रेकार्ड आपरेशंस नहीं हो सके थे। लेकिन रेकार्ड आपरेशन शुरू हुआ तो ए०आर०ओ० मिर्जापुर ने वर्ग चार की भूमि फारेस्ट विभाग को देने का निश्चय कर लिया और वह दे रहे हैं जिससे जनता त्रस्त है। वर्ग ४ के अन्दर जिनके घर हैं, तालाब, बगीचे हैं वह तमाम उनके फारेस्ट विभाग में लिये जा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस समस्या के लिये एक ऐसा समाधान और निराकरण किया जाय कि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

इसके साथ साथ जैसा कि कहा जाता है कि सूखे के निवारण के लिये लघु उद्योग योजना चलायी जाय।

हमारे यहां तेंदू की एक पत्ती होती है। यह बीड़ी बनाने के काम में आती है। वन विभाग उसका ठेका दे देता है, जिससे काश्तकारों को वह पत्ती नहीं मिल पाती है। अगर उस पत्ती को बाहर भेजने की सुविधा मिल जाये तो उससे बहुत फायदा हो सकता है।

मान्यवर, मेरे यहां का जो रामगढ़ क्षेत्र है वहां की जनता सेमल के पेड़ की पत्ती और फलों को खाकर जिन्दा रहती हैं। हमारे मंत्री जी तो जाते हैं और सड़कों से ही जीप से लौट आते हैं, वहां के लोगों पर क्या बीतती है, उसकी वास्तविक जानकारी उनको नहीं हो पाती। हमारे यहां इसके अलावा लोग महुये के फल खाते हैं। लेकिन जब से वहां पर कच्ची शराब की दूकान खोल दी गयी है, महुआ लोगों को खाने के लिये नहीं मिल रहा है। ७५ फीसदी लोग जो उसे खाकर जिन्दा रहते थे, आज वह महुआ तक उन लोगों को नसीब नहीं हो रहा है।

इसके अलावा मैं एक सुझाव अपने क्षेत्र के बारे में यह देना चाहता हूं कि हमारे यहां चोपन—कोटा—कोन—बिन्ढमगंज सड़क बहुत जरूरी है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उसको लिया गया था, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हुआ। अगर यह सड़क पूरी बना दी जाय तो इससे वहां के लोगों को बड़ी राहत पहुंचेगी। एक सड़क राबर्टसगंज—रामगढ़—जसौली होते हुये जाती है। यह मध्य प्रदेश से होकर बिहार की सीमा तक जाती है। अगर इस सड़क को बनवा दिया जाय तो उस क्षेत्र की जनता को बड़ा लाभ हो सकता है।

हमारे यहां कोई भी महिला अस्पताल नहीं है। इससे महिलाओं को बड़ी कठिनाई होती है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां एक महिला अस्पताल खोलने की कृपा की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो हमारे यहां टेस्ट वर्क चलाये जा रहे हैं वह भी अपर्याप्त हैं, वे बढ़ाये जाने चाहिये। उनमें जो मजदूरों को मजदूरी मिलती है वह भी बहुत कम मिलती है। उनकी मजदूरी भी बढ़ाई जानी चाहिये।

हमारे यहां पीने के पानी का स्थायी प्रबन्ध कर दिया जाय। उससे जनता का बड़ा कल्याण होगा।

हमारे यहां की जनता जो महुये की पत्ती आदि खाकर जी रही है, वह उसको मिलना चाहिये। पिछले वर्ष जो राहत कार्यों के लिये पैसा भारत सेवक समाज द्वारा बांटा गया था उसमें बड़ा गड़बड़ घुटाला हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

यदि माननीय सदस्यों की राय है तो मैं वक्ताओं का समय दस मिनट के स्थान पर सात ही मिनट कर दूं।

(श्री ए० सी० आइस का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उन सूखाग्रस्त जिलों के जो प्रतिनिधि यहां पर आये हुये हैं उन्हें बोलने का विशेषरूप से मौका दिया जाय। मैं नहीं चाहता कि ए० सी० आइस महोदय को बोलने का अवसर न दिया जाय किन्तु उन प्रतिनिधियों को समय अधिक दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मेरे लिये यह जानना सम्भव नहीं है कि कौन किस जिले का है। मैं आपके विचार के समय को अधिक नहीं लेना चाहता। मैं यह चाहता हूं कि समय में अधिक से अधिक वक्ता बोल सकें और अपने विचार प्रस्तुत कर सकें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

विरोधी दल के सदस्यों ने माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार का ध्यान दिलाने के लिये यह प्रस्ताव रक्खा है कि विरोधीदल के सरकारी पक्ष के सदस्य सरकार को अपने तरीके से अपनी पार्टी मीटिंग्स में मिल कर ध्यान दिला सकते हैं उन समस्याओं की ओर जिनके लिये यह प्रश्न आया है विरोधीदल के सदस्यों के पास दूसरा चारा नहीं है कि वे सरकार का ध्यान इस प्रश्न की ओर दिलायें और जनमत तैयार करें सरकार के विरुद्ध। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा समय विरोधी दल के सदस्यों को मिलना चाहिये, ट्रेजरी बेंचेज के लोगों को नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) सब माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री महीलाल—

इसके अतिरिक्त दूसरा प्रश्न यह है कि केवल उन जिलों के प्रतिनिधियों को ही मौका मिलना चाहिये जहां अकाल की स्थिति है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। अकाल की स्थिति का मुकाबिला पूरा देश और प्रदेश मिल कर करता है। जहां अकाल नहीं है वहां के लोग जो अकाल पीड़ितों की सहायता करते हैं और जो धन अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये खर्च होगा उसमें उन सदस्यों को भी उस पर बोलने का अधिकार है कि कैसे वह खर्च होना चाहिये जो अकाल पीड़ित क्षेत्र से नहीं आते। इसलिये उनका यह एतराज उपयुक्त नहीं है। मुझे आशा है कि मैंने आपका ध्यान जिस ओर दिलाया है उस बात का आप ध्यान रक्खेंगे।

*श्री ए० सी० प्राईस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैं कानपुर जिले से आता हूं और पूरी यू० पी० को रिप्रेजेन्ट करता हूं। यू० पी० के हर स्थान पर, हमारी एशोसियेशन्स हैं। जब मिर्जापुर में सूखा पड़ा था तो छः हफ्ते के लिये हमी गये थे मरने के लिये उनके साथ। हमने पांच पांच किचन्स चलाये, मिर्जापुर, दुद्धी और चुनार में। आप लोग यहां बैठे बातें करते हैं। मैं वहां खुद गया था किचन्स चलाने के लिये। आप कहते हैं कि जहां सूखा पड़ा हो उनको ही बोलने की जरूरत है, लेकिन जो मेहनत करने जाते हैं उनको भी तो पूछना चाहिये कि क्या हो रहा है। मेडिकल टीम कौन लाया वहां पर, मैं लाया। दुद्धी में मेडिकल टीम कभी नहीं गई थी। हमारे जरिये एक मेडिकल टीम वहां गई क्योंकि हमारी एसोसियेशन्स जो हैं वह उसमें नहीं हो सकता कि फ़लाने के लिये करो और फ़लाने के लिये न करो। मुसीबत जब जब पड़ी है तब तब हम लोग मुसीबत में पड़ने के लिये तैयार रहे हैं और जान देने के लिये तैयार हैं। इन्होंने कहा कि हम को मौका मिलेगा बोलने का। मिर्जापुर, दुद्धी, राबर्ट्सगंज में ३०-३५ कुएं खुदवाये, उन कुओं का क्या हुआ? मिर्जापुर वाले बतलाते हैं कि जब से कुएं खुदे उनमें बिजली ही नहीं पहुंची, क्यों नहीं बिजली पहुंची? जब यू० पी० रिलीफ़ कमेटी में बहस हो रही थी तो हमने कहा कि कुएं खुदवा देंगे। रिलीफ़ कमेटी से ड्रिलिंग मशीनें गईं, कुएं खुदे। मुझे रिपोर्ट नहीं आई आज तक कि कुएं चालू हुए या नहीं? हमने टेस्ट वर्क्स चलाये, हमने वहां पर कितने ही कच्चे हाउसेज बनाये, वह हाउसेज क्या हुए? आपके मिर्जापुर और ड्राट एरियाज में अक्सर ड्राट होता है तो यह नहीं है कि एम्बुलेन्स रख कर पहाड़ के नीचे और जो गिरता है वह गिरे। मेरा मतलब यह है कि आप ऐसा इन्तजाम करें कि कोई जाला आदि लगायें कि वह अगर गिरे तो वह मर न जाय। जब ड्राट सर पर पहुंच जाता है तब कहते हैं कि यह करो। जब बरसात हुई जाड़ा हुआ किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब देखा कि गरमी को एक महीना रह गया तो ड्राट की बात कहने लगे। आज मैंने अखबारों में देखा कि आलू की फसल ज्यादा है। जब मिर्जापुर में हमारी किचन चल रही थीं तो हमें आलू का बहुत ज्यादा दाम देना पड़ा था। गेहूं तो हमें सरकार ने दिया था। आलू प्याज वगैरा जिसके लिये हमने ज्यादा पैसा दिया, आज सस्ते हो गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि ड्राट रिलीफ कमेटी अभी से प्रारंभ की जाय। आप को उसी एरिया में सेंटर्स कायम करने चाहिये और वहीं पर इन चीजों का स्टोर करना चाहिये। क्योंकि मौके पर कोई मदद नहीं करता है। मुझे लखनऊ से बस में आलू ले जाना पड़ा, इलाहाबाद में भी नहीं मिला। जहां जहां भी आपको ड्राट होने का अंदेशा है वहां वहां आप को कोल्ड स्टोरेज कायम करने की आवश्यकता है। वहां आप गल्ला, आलू और प्याज स्टोर करें। सरकार के ऊपर भी पूरा विश्वास न रखें, आपको अपने पांवों पर भी खड़े होना चाहिये। जितना भी ईसाइयों की तरफ से किया जाता है वह तो जरूर ही किया जायगा, हम करने के लिये तैयार हैं।

*श्री राजितराम (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, यह तो आप की बड़ी मेहरबानी हुई जो सूखा पर हमको भी बोलने का मौका दिया। हमारे बहुत से साथियों ने यहां हमारे सामने सूखा की चर्चा किया है। अभी कुछ देर पहले हमारे कानपुर के भाई साहब ने फरमाया और उन्होंने शायद मिर्जापुर की बात कही, लेकिन जब मैं इस सदन में देखता हूं कि यहां सूखा का सवाल उठाया गया है। भला एसेम्बली में सूखा का क्या सवाल उठाया जा सकता है? सूखा का सवाल तो गांवों में जा कर देखो, उसको तो मजदूर के बीच में, किसानों के बीच में देखो, सूखा का अन्दाजा तो आप को वहां लग सकता है। हमारे भाई साहब तो यहां और कानपुर में नल का पानी पीते होंगे। लेकिन मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस क्षेत्र हंडिया से चुनकर आया हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आज पीने का पानी का भी कोई इन्तजाम नहीं है। २० साल मुल्क को आजाद हुये हो गये, इस बीच में बहुत सी योजनायें बनायी गयीं और उनको कार्यान्वित भी किया गया, लेकिन हमारे क्षेत्र का कोई इन्तजाम नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हंडिया तहसील, बर्तानिया के जमाने में आजादी की लड़ाई में सब से आगे रही है। यहां से कांग्रेसी ३०-३० हजार वोट से जीत कर के आये हैं, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी बड़ी योजनायें भी हंडिया के लिये कोई सहारा न बन सकीं। आप नोट करें वहां के गांवों को-बढ़ौली, अंसरौद, हरिहरपुर, दबला, दुम्बुमा, मखरार, गौरी, बिढ़ौली, । आज तक वहां के लोग दरिया और तालाब का पानी पी कर गुजर करते हैं, सरकार की तरफ से एक भी कुआं नहीं बनवाया गया है और उस तहसील की जो हालत है, हमारे भाई साहब ने बतलाया कि हमने मिर्जापुर में पानी के साधन जुटाये, इलाहाबाद में हमने इतनी योजनायें बनायीं, लेकिन मैं आप का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस गांव में आज तक कोई कुआं नहीं है, वहां के आदमी पानी पीने के लिये तरस रहे हैं। हंडिया तहसील के सम्बन्ध में वहां के जिलाधीश से कहा गया, अखबारों में भी निकलवाया गया, कि वहां के कुयें सूख गये हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। खाने की बात तो छोड़िये, पीने के पानी का यह मसला है। आपने बहुत-सी योजनायें बनायीं और उनको कार्यान्वित भी किया।

पिछले वर्ष भी सूखा पड़ा था तो सरकार की तरफ से योजनायें बनीं, भारत सेवक समाज की तरफ से योजनायें बनीं, ईसाई मजहब की तरफ से योजनायें बनीं, लेकिन चन्द लोगों द्वारा इन योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। गांव के गरीबों को उन योजनाओं से कोई फायदा नहीं मिल सका। उन योजनाओं का फायदा चन्द चालाक लोगों की जेबों में चला गया, चाहे वह कांग्रेस के रहबर रहे हों, चाहे भारत सेवक समाज के रहबर रहे हों। उनका फायदा गरीब किसानों को नहीं मिल पाया। मैं आप का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि अगर आप कोई टेस्ट वर्क खोलना चाहते हैं या कोई योजना चलाना चाहते हैं तो आप को सब की सुविधायें देखनी पड़ेंगी। नैनी की मिसाल मैं आपके सामने रख दूं कि वहां ईसाई मिशनरी द्वारा जो काम किया गया उसमें गरीबों का कोई खयाल नहीं किया गया। राम किशोर जी जो मेजा क्षेत्र से आये हैं वे स्वयं इंसाफ से, सचाई से और ईमानदारी से सदन में इस बात को बतलावें कि उनके यहां टेस्ट वर्क में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। वहां कितनी मदद गरीबों को मिली और कितना लोगों ने खाया है। मेरा खयाल है कि इस तरह की जो योजनायें आप चला रहे हैं उनसे गरीबों को कोई मदद नहीं मिलेगी, गरीब लोग मरेंगे।

मैं खासकर इलाहाबाद जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी हंडिया तहसील के कुछ ऐसे गांव हैं जहां ४-५ साल से सूखा चल रहा है। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पीने के लिये पानी का कोई साधन नहीं है। वहां गांव के आदमी भूखों मर रहे हैं। उनकी खेती में तो कुछ होता नहीं। वे पेड़ों की पत्ती व छाल तथा महुवा खा कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां आज तक पानी के कोई साधन नहीं हैं, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। जैसे-माखरा, बीबीपुर, मूसलपुर, हरिहरपुर, कोट, दक्षिणी, सराय। इन गांवों में दो साल से सूखा पड़ रहा है। एस० एस० पी० वालों ने जब इस बात को कहा कि वहां के लोग भूखों मर रहे हैं और कुछ लोग जेलों में जा रहे हैं तो वहां के अधिकारियों ने ७५ प्रतिशत नुकसान का नक्शा बनाया। जब उन्होंने नक्शे बना कर भेजे तो सरकार की तरफ से उन अधिकारियों पर दबाव डला गया, तहसीलदार पर दबाव डाला गया कि इन नक्शों को उनको गलत बना कर भेजो वर्ना लोगों की मालगुजारी माफी करनी होगी, लोगों को मदद देनी होगी। तहसीलदारों व डिप्टी कलेक्टरों पर दबाव डाला गया कि वे फिर से नक्शा बदल कर बनावें जिससे मदद न दी जा सके। इलाहाबाद के सम्बन्ध में आप को मैं बतलाऊं कि जमनापार, करछना, मेजा तथा इलाहाबाद के गंगापार इलाके के लोग पानी के लिये बहुत दिनों से तरस रहे हैं, इसलिये आप से मेरा निवेदन है कि सब से पहले आप इलाहाबाद के उन स्थानों पर पीने के पानी

[श्री राजित राम]

का इन्तजाम करें। लोग एक-एक मील से डेढ़-डेढ़ मील से पानी ला रहे हैं और पीने के पानी का उनको महान कष्ट है। अगर यही हालत रही तो लोग प्यासे मर जायंगे।

मैं चाहता हूं कि अगर वहां कोई टेस्ट वर्क खोले जायं तो वह हंडिया तहसील में गुरड़ी नाले के बांध के लिये खोले जांय। आज तक इस नाले के ऊपर सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अगर इस नाले पर यह काम हो जाय तो सिंचाई की भी सुविधा हो जायगी और लोगों को आसानी से पानी मिल सकेगा। इसके अलावा नलकूपों में बड़ा भ्रष्टाचार है, जहां भी यह कुएं हैं वहां बहुत भ्रष्टाचार है, वहां यह हो रहा है कि जो लठैत हैं उनको तो पानी मिलता है और गरीब पानी नहीं पाता, किसानों के खेत सूख जाते हैं और पानी नहीं मिलता, अमीर लोगों को पानी मिल जाता है, गरीब रह जाते हैं। यह जो २० रुपया एकड़ वाली उपपद्धति लागू हुई है उसको खत्म किया जाय और गरीबों के खेतों को पानी देने का प्रबन्ध किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने जिले की स्थिति आपके सामने रखता हूं।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान मिर्जापुर जिले के सूखे की भयंकरता की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे दोस्त मिर्जापुर के सूबेदार प्रसाद जी बोले और जो चित्रण उन्होंने उस जिले का किया है वह बिलकुल सही है। मैं अपने लिये तो यह कह सकता हूं कि हम तो सूखे में पैदा हुये हैं, सूखे में पले हैं और अब दुर्भाग्य से उसी सूखे के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सूखे को हम अब अप्रत्याशित नहीं कह सकते। हमारे यहां पहले सन् १९६७-६८ में भी सूखा पड़ा था जिस की भयंकरता के बारे में जिलाधिकारियों की रिपोर्टें सरकार के पास होंगी, लेकिन अब की बार का यह अकाल उससे भी कहीं अधिक भयंकर है क्योंकि उस वर्ष वहां १९ इंच वर्षा हुई और इस साल केवल १६ इंच ही हुई है। इसी से सूखे की भयंकरता की बात सिद्ध होती है। मैंने जैसा कि अभी बताया कि हम को सूखे का बहुत ही कटु अनुभव है, लेकिन आज मैं ज्यादा उसकी भयंकरता का दृश्य यहां न रख कर आप के माध्यम से केवल कुछ सुझाव ही देना चाहता हूं।

जब हम सुझाव देते हैं तो हमारे सामने दो प्रश्न आते हैं। एक तो तात्कालिक सुझाव यानी इमीजिएट रिलीफ और दूसरे स्थायी हल। आये दिन इस तरह के लोग सूखे से त्राहि-त्राहि करते हैं उसके तात्कालिक हल में मेरा सुझाव है कि जो टेस्ट वर्क हैं उनका विस्तार हो। जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि जो मजदूरी टेस्ट वर्क्स में दी जाती है वह बहुत कम है, जबकि यह हालात हैं तो मजदूरी कम करना नतिक दृष्टि से ठीक नहीं है, जब आप टेस्ट वर्क में मजदूरों से पूरा काम लेते हैं तो आप को मजदूरी के नियमों में परिवर्तन कर के उन को अच्छी मजदूरी देनी चाहिये। कुछ काम वहां स्थायी नेचर के होते हैं और मस्टर रोल पर वह काम होते हैं और निम्न-स्तर के अधिकारियों पर वह काम छोड़ा जाता है, वह गड़बड़ करते हैं। इसलिये वह काम किये जायं जिनका स्थायी लाभ हो।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा कि बाजार का भाव कंट्रोल से सस्ता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मिर्जापुर के जनपद १६ ब्लाक्स में फैले हैं और उनमें से कई क्षेत्र सूखे से ग्रस्त हैं। आप मिर्जापुर के इन्टीरियर के दुद्धी, म्योरपुर, बबनी, सांग, बांथ, परसोई, कन्हरा और कोटा आदि स्थानों को जा कर देखें तो आप पायेंगे कि वहां की स्थिति बड़ी ही भयावह है। श्रीमन्, आप के माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर मोटे गल्ले की व्यवस्था करें। हम लोग गेहूं नहीं चाहते, चावल नहीं खाना चाहते। जन जीवन का अस्तित्व कैसे रहे यह हमें देखना, चाहिए। यदि हम यह चाहते हैं कि वहां के रहने वालों के प्राणों की रक्षा हो तो मोटे गल्ले और

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सस्ते गल्ले की दुकानें वहां पर तुरन्त खोली जायं। आज जब कि आप टेस्ट वर्क पर मजदूरों को १००, ८५ या ८० पैसे प्रति मजदूर देते हैं तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि उस इलाके में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं और यदि सरकार उन दुकानों को खोले तो वे ३ मील से अधिक के फासले पर नहीं खुलनी चाहिए जिससे वहां पर कार्य करने वाले मजदूरों को राशन प्राप्त करने के लिये अधिक दूर न जाना पड़े।

दूसरा जो आवश्यक कार्य है मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी फीस माफ की जाय और सरकार ने जून से जो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, वह तुरन्त करे, इस में देरी न की जाय।

मैं, श्रीमन्, आप के माध्यम से यह भी चाहूंगा कि उस इलाके में जो भी एक्सपेन्शन के कार्य होने वाले हैं जैसे मोहनपुर में कारखाना बनाया जा रहा है, वे तत्काल आरम्भ किये जायं जिससे वहां पर कई हजार मजदूर, जो आज भूखे मर रहे हैं, काम पर लग जायं। यह इलाका ज्यादातर पहाड़ी, नदी नाले से भरा हुआ है। यहां पर इतने नाले हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में नसें होती हैं, उसी प्रकार इस इलाके में नदी और नाले हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे जो नाले हैं उनकी बन्दी करायी जाय तब वहां की कुछ समस्या हल हो सकती है।

वहां के लिए आज जब कोई इर्रीगेशन की योजना बनती है तो कहा जाता है कि यह एकोनामिकल नहीं है। जब वहां पर सूखा पड़ जाता है तो आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस इलाके के लिये सिंचाई की योजनाओं के जो नियम रखें उनमें ढिलाई की जाय ताकि वहां पर सिंचाई की सुविधा बढ़ायी जा सके।

एक बात वहां पर ऋण देने की बात कही गयी है कि वहां पर १ करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया जायगा, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इस इलाके के गरीब लोग ऋण नहीं ले पाते हैं क्योंकि ऋण लेने की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि कोई भी किसान इसको नहीं ले सकता है। मैं चाहूंगा कि इस इलाके के लिए कोई स्थायी हल निकालने के लिए जो भी नियम बनें हैं, उनमें परिवर्तन किया जाय।

दूसरे वहां पर काफी लोगों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। वे आज इन मुकदमों से परेशान हैं। एक ओर व सूखे स लड़ रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें इन मुकदमों से परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं चाहूंगा कि इन मुकदमों को स्थगित कर दिया जाय और मौके पर जाकर लगान निर्धारित करें।

श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि मिर्जापुर इतना बड़ा जिला है जिसके कारण इसके सारे इलाके की ओर पूरी तरह से देखभाल नहीं हो पाती है। मैं चाहूंगा कि बुद्धी को एक तहसील बना कर, एक सब डिवीजन बनायें। अगर यह सम्भव न हो तो उसको एक जिल का रूप दें। तभी इस इलाके का कल्याण हो सकता है। बड़ा जिला होने से वह गरीब क्षेत्र है और शोषण जोरों पर है।

वहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन स्थानीय आदमियों को नहीं रखा जाता है। क्योंकि वे योग्य नहीं हैं। फोर्थ क्लास के लोग चपरासी, बरकन्दाज, हेल्पर भी वहां के नहीं रखे जाते हैं, इसमें योग्यता का क्या प्रश्न होता है? जब आप उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं तो कुछ प्रतिशत वहां के लोगों को नौकरी अवश्य दी जानी चाहिये। टेक्निकल का बहाना ले कर भी नौकरी नहीं दी जाती है तो आप उन विषयों के टेक्निकल स्कूल वहां खोलिये जिन विषयों की इंडस्ट्रीज आप खोल रहे हैं ताकि वहां के लोगों को एम्प्लायमेंट मिल सके।

[श्री रामप्यारे—]

वहां पर २० प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स को वेतन नहीं मिला है। एरियर्स काफी दिन से बकाया है। जब सूखे से जनता पीड़ित है तो उनके परिवार को राहत मिलने के लिये जल्दी से उनको वेतन दिलाने की कृपा करें।

(अधिष्ठाता द्वारा श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं पानी के प्यासे क्षेत्र का नुमाइन्दा हूं लेकिन आप ने मुझ पर आज तक कृपादृष्टि नहीं की।

श्री अधिष्ठाता—

आप को समय मिलेगा, आप धैर्य रखें ।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने सूखे से उत्पन्न परिस्थिति का चित्रण किया है। यह हमारे प्रदेश के लिये शर्म की बात है कि जिस क्षेत्र ने देश को तीन-तीन प्रधान मन्त्री दिये, तीन योजनाओं की समाप्ति के बाद भी हमारे प्रदेश के उस क्षेत्र की गरीब जनता को शुद्ध पानी भी नहीं मिल सका है। इससे बदतर स्थिति और क्या हो सकती है? इससे साफ जाहिर है कि हमारी योजनायें गलत ढंग से चल रही हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार अपने पुराने रवैये को बदले और उत्तर प्रदेश की सरकार जो अफसरशाही का मोहरा बनी हुई है उससे त्राण पाये। बड़े वरिष्ठ सदस्य शिकायत करते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता और कह दिया जाता है कि सेक्रेटरी से मिल लो। सेक्रेटरी का काम कानूनी परामर्श देना है न कि यह कि वह डिक्टेशन दे और आप उसे मजबूर हो कर मानें लेकिन यह दयनीय स्थिति आज जनतंत्र की हो रही है उत्तर प्रदेश शासन में।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़ सूखे से त्रस्त हैं तब बलिया कैसे छूट गया? बलिया में मानसून कहां से उमड़ आया। क्या वहां नहरों तथा ट्यूबवेलों का जाल बिछ गया है जो बलिया सूखे से छूट गया? वाराणसी और गाजीपुर में सिंचाई का प्रतिशत बलिया से अधिक है। जब बलिया में सिंचाई का औसत कम है तो फिर वहां सूखे का असर क्यों नहीं हुआ? इसलिये नहीं हुआ कि हमारे बलिया के अधिकारी निद्रा में हैं या ऐसे अनुभवहीन रखे गये हैं जो अपनी सर्विसेज में कन्फर्म नहीं हैं। वे डरते हैं कि सही रिपोर्ट देने में ऊपर से सचिव, माल विभाग की डांट पड़े। वहां से सही रिपोर्ट इसलिये नहीं आती है क्योंकि वहां अधकचरे अधिकारी रखे जाते हैं जो सरकार के इशारे पर नाचा करते ह। म राजस्व मंत्री जी से कहता हूं कि मेरे साथ चलें और बलिया के पूर्वांचल को देखें। वहां जो मरली छपरा ब्लाक है वहां केवल तीन राजकीय नलकूप हैं और दूसरा कोई साधन सिंचाई का नहीं है। तो फिर उस विकास खंड में सूखे का असर नहीं हुआ होगा? क्या आप सामान्य बुद्धि से कोई निर्णय नहीं ले सकते? अगर नहीं ले सकते तो आप चलें और मौके का निरीक्षण करें। आपको मालूम हो जायगा कि आपके अधिकारी कितने निकम्मे हैं।

टेस्ट वर्क की बात जब मैं सुनता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह टेस्ट वर्क तब चले थे जब अंग्रेज यहां के शासक थे। उन्होंने टेस्ट वर्क जारी किया था यह जानने के लिये कि आया वहां परेशानी है या नहीं। लेकिन जब जनता के नुमायन्दे इसी सदन में मौजूद हैं, जनता के ही चुने हुये लोग जब मन्त्री हैं तो टेस्ट वर्क के मजाक की क्या बात है? मैं समझता हूं कि गुलामी की विरासत में जो कुछ भी मिला है उसमें एक टेस्ट वर्क का निजाम भी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उनकी सरकार टेस्ट वर्क के नियम को तत्काल रद्द करें। जानने की बात क्या है? आपके सारे लोग हैं, जनता के नुमायन्दे हैं जो स्वयं स्थिति को जानते हैं। क्या जनता के नुमाइन्दे गलत बयानी करते हैं। क्या आप को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है कि यहां परेशानी है या नहीं? टेस्ट वक गुलामी की निशानी है। इसको आप समाप्त करें और आप स्वयं अपने विवेक से चल कर निर्णय करें कि सूखा है या नहीं। अगर है तो जनता को हर प्रकार की राहत देनी चाहिये। आज जनता के चुने हुये नुमाइन्दे यहां बैठे हुये हैं लेकिन जब गांव की जनता की बात यहां आती है तो सरकार उधर ध्यान नहीं देती। तो मैं मंत्री जी से अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि बलिया को भी इसमें सम्मिलित करें और वहां जल्द से जल्द राहत के काम प्रारम्भ करें और टेस्ट वर्क के काले नियम को बदलें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और आजमगढ़ आदि सूखाग्रस्त जिले हैं, इसका जिक्र माननीय सदस्यों ने अपने यहां की स्थिति को जानकर ही सदन के समक्ष व्योरेवार पेश किया है। हमें कितने ही जोरदार शब्दों से इस सदन में अपनी व्यथा और करुणाजनक स्थिति कहें लेकिन उसका परिणाम यह है कि आज मुसलसल (लगातार) दस साल से इस प्रदेश के पूर्वी अंचल की स्थिति बिगड़ती जाय, यह एक विडम्बना की बात है।

आज पिछले कई वर्षों में मिर्जापुर में खासतौर से और इलाहाबाद में जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा है कि जिस जिले का प्रतिनिधित्व हमारे तीन तीन आदरणीय प्रधान मन्त्री महोदय कर चुके हों वहां के बसने वालों को शुद्ध हवा और पानी की शिकायत रहे तो यह बड़ी लज्जाजनक बात है। सोचना यह है कि आया टेस्ट वर्क के सहारे या थोड़ा बहुत गल्ला वितरण करने से हमारी सूखे की समस्या हल हो सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि अभी जो साहित्य बांटा गया है उसमें लिखित रकम से हमारा मतलब हल नहीं होता है। कुछ लाख रुपये पेय जल के वास्ते और कुछ अन्य मदों में जो कुल मिलाकर एक करोड़ की योजना है तो जब ६-६ जिले सूखा ग्रस्त हों तो काम नहीं चल सकता है। इन जिलों की हालत यह है कि वर्षा अनुकूल हो गई तो थोड़ी राहत मिल जाती है और यदि न हुई तो परेशानी का आलम बरपा हो जाता है। हमारी सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना होगा यदि पूर्वी अंचल साथ में रखना चाहते हैं तो क्या दयनीय स्थिति में रखेंगे, भूखे रह कर वहां के निवासी जिन्दगी बसर करें और अपनी औलाद को खाने पीने के लिये छटपटाता हुआ देखते रहेंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब केवल अधिकारियों के सहारे काम चलने वाला नहीं है। टेस्ट वर्क्स और अन्य प्रकार की सहायता फेमिन रिलीफ के कुछ कायदे कानून द्वारा जो बने हुए हैं, उनके सहारे से आप कदम नहीं उठा सकते हैं। अब तो कायदे-कानून के बीच मानव जीवन से खिलवाड़ करना कहां तक ठीक होगा, विचारणीय प्रश्न हो गया है।

राजस्व विभाग को आज जीवन मरण की इस सूखाग्रस्त लोगों की जटिल समस्या को हल करना है। मिर्जापुर, इलाहाबाद के हंडिया या मेजा वगैरा जगहों पर पीने का पानी तक नहीं मिलता है वहां इस तरह से या टोंस नदी में पाइप लगाने से त्रासित जनता की प्यास बुझाने का काम नहीं चल सकता है। झांसी की शिकायत अभी एक माननीय सदस्य ने की थी मेरा कहना यह है कि सरकार की इस साधारण योजना से काम चलने वाला नहीं है। कुछ हजार रुपया प्रधान मन्त्री के कोष से बांटा गया है। अब हमें इंतजार नहीं करना है। गाजीपुर के एक माननीय सदस्य ने पार्लियामेंट में भी यह प्रश्न उसी हुआ उठाया था कि पूर्वी अंचल के निवासी जो एक आने, दो आने प्रति दिवस मजदूरी पेकर जीवन निर्वाह करते हैं। यह एक स्वतंत्र देश के लिये कितनी उपहासजनक स्थिति है। अतः कोई कमेटी बनाकर योजना लाई जाय या केन्द्र के सामने इस समस्या को पेश करना होगा जिससे राहत मिल सके। अब हम बैठ नहीं सकते। केवल भाषण से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। भाषण में हमारे सब मित्र पारंगत हैं। अपने आप ही स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं और उसे व्यक्त कर सकते हैं लेकिन उन भावनाओं को

[श्री रामकुमार शास्त्री---]

केवल लिपिबद्ध कराने से क्या काम चलने वाला है ? मैं अपने हृदय के उद्गार और विचार को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री को पूर्वी जिलों की हकीकत की शायद जानकारी नहीं है। उस बानगंगा क्षेत्र का जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, नैपाल की सीमा से निकटस्थ है। न मालूम कितना धान हमारे यहां से स्मगलिंग हो कर आसाम होता हुआ प्रदेश से बाहर चला जाता है। एक तरफ हम सूखा और बाढ़ से पीडित हैं दूसरी तरफ स्मगलिंग से परेशान हैं। मेरा आदरणीय सदन के समक्ष परिस्थिति रखने का यह उद्देश्य है कि हम सरकार का ध्यान आकर्षित करें और अगर आवश्यकता हो तो हम सब लोग जोर लगा कर प्रधान मंत्री तक पहुंचे। ऐसे सुधार नहीं हो सकता है कि जिलाधीश महोदय परगना हाकिम को पैगाम पहुंचा दें और परगना हाकिम कानूनगो के पास पैगाम पहुंचा दें। माननीय राजस्व मंत्री जी, आप का कैम्प कुछ-कुछ दिनों के लिए विपत्तिग्रस्त जिलों में हो। हम सदस्यगण आपकी सेवा करेंगे, हम सहयोग देने को तैयार हैं। उद्देश्य की पूर्ति में अगर प्रधान मंत्री महोदया ने ५० हजार रुपया दे भी दिया है तो उससे एक गांव की मुसीबत भी दूर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इस चन्द लाख रुपये से काम चलने वाला नहीं है। राजस्व मंत्री जी, यह पांच महीने का जो बजट है वह तो एक साधारण खर्च के वास्ते ही है। अब बैसाख का महीना आने वाला है, प्यास भी काफी बढ़ती चली जा रही है, हमको सोचना पड़ेगा। माननीय राजस्व मंत्री, भी विचार कर लें। आखिरकार धन कहां से लाया जायगा। पानी आदि की व्यवस्था हेतु पिछली मर्तबा हमने देखा और वितरित साहित्य में लिखा हुआ है कि मिर्जापुर में फल-फूल पर निर्वाह करना होगा। बीसवीं सदी में फल-फूल, महुवे वगैरह अथवा तेंदू के फल से काम चलाया जाय यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। कष्ट निवारणार्थ काफी रुपये की व्यवस्था करनी चाहिये और कोई सुदृढ़ योजना तैयार करनी चाहिए ताकि बुंदेलियों जिले जो सूखाग्रस्त हैं, उनकी वह बुरी स्थिति दूर हो सके और वहां के निवासी आराम से रह सकें।

श्री कन्हैयालाल सोनकर---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दीवार तो हुआ मगर इंतजार के बाद। खैर, इंतजार कटा बोलने का अवसर मिला। मैं भी एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां पर सदैव सूखा पड़ा रहता है और दुर्भाग्य से उस क्षेत्र से कांग्रेस के लोग ही जीतते चले आये थे। जब भी इलेक्शन होता रहा तो सदैव वादा करते रहे इस बार वोट दे दो, अबकी हम ट्यूबवेल बनवा देंगे, नहर बनवा देंगे। लेकिन झूठे वादों को जनता ने पसन्द नहीं किया और मुझे भेजा है कि मैं आपके सामने वहां की सूखे की स्थिति को रखूं और सरकार से इस बात के लिये मांग करूं कि चायल क्षेत्र जो इलाहाबाद का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से जब से देश स्वतंत्र हुआ है बराबर लोक सभा में कांग्रेस के ही लोग पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने भी लोक सभा के अन्दर वहां की दयनीय स्थिति का वर्णन नहीं किया है। तो मैं आप के माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन्, चायल के अन्दर प्रति वर्ष सूखा पड़ता है। पिछली बार भी जब सूखा पड़ा था, जिसकी चर्चा आप की विधान सभा के अन्दर भी हुई थी और वहां पर टेस्ट वर्क चालू किया गया था और कुछ भारत सेवक समाज की ओर से और कुछ ईसाई मिशनरी की ओर से राहत का काम चालू किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत सेवकसमाज के अन्दर बैठे हुये कांग्रेसी नेताओं ने सारी की सारी सामग्री जो उनको मिली थी गरीब जनता को देने के लिये, ब्लैक में बेच दिया और उसमें से कुछ तो पकड़े भी गये थे और आज उस क्षेत्र के अन्दर पूर्ण सूखा पड़ गया है।

एक सदस्य---

माननीय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से पहले उसका सबूत भी देना चाहिये।

श्री कन्हैयालाल सोनकर---

मैं अभी वहां से दौरा करके आ रहा हूं। श्रीमन्, यह देखकर के कलेजा मुंह को आता है कि एक महीने के बाद उस क्षेत्र की जनता को पानी वहां से मिलेगा, उस क्षेत्र के जानवरों को

पानी कहां से मिलेगा ? जिस समय चुनाव हो रहा था, उस समय उस स्थान के अन्दर जितने भी तालाब थे, उन तालाबों से पम्पिंग सेट्स के द्वारा कांग्रेसी नेता लोगों ने सारा पानी खींच कर अपने खेतों में डाल लिया था। मैंने इस बात के लिये वहां के अधिकारियों से कहा था कि यदि तालाब से खेतों में पानी डाल दिया जाएगा तो जिस समय गरमी आएगी उस समय यहां के इंसानों और जानवरों की क्या बुरी दशा होगी। उस समय हमें यह जवाब मिला था कि जब आप एम० एल० ए० हो जाएंगे तब देखा जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा, आप करवा लेना। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात की जांच करायें और इसके लिये प्रबन्ध करायें कि आगामी एक महीने के बाद जो इस क्षेत्र के अन्दर पानी नहीं होगा, तो उसके लिए पानी का प्रबन्ध सरकार कहां से करेगी ? श्रीमन्, चायल के अन्दर एक नदी ससुर खदेरीहै। दुर्भाग्य से इस नदी के अन्दर भी एक बूंद भी पानी पूरी नदी में नहीं है। जबकि चायल के दोनों तरफ़ दक्षिण और उत्तर में गंगा और यमुना नदी हैं, जो बहुत गहरी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार गंगा नदी भी गांव को छोड़ कर २–४ मील चली गयी हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ जब गंगा जी भाग रही हैं, यमुना भी भाग रही हैं और दूसरी तरफ़ यह सरकार भी भाग रही है फ़िर काम कैसे चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार पानी के लिये वहां का प्रबन्ध करे तो उस क्षेत्र की जनता के प्रति बड़ा एहसान होगा। प्रयाग जिले में इस प्रान्त के मुख्य मन्त्री जी गये थे। तो वहां भी उनकी कृपा दृष्टि वहीं पर बनी जहां से कांग्रेसी विधायक चुन कर आया है। शायद वहीं पर ही पानी की कमी है और जिले के अन्य भागों में तो मानो पानी की कोई समस्या है ही नहीं और होना भी यही चाहिये, खाद्य मंत्री जी भी उसी क्षेत्र के हैं लेकिन वहां की हालत पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। यह हालत उस जिले की है जिसने इस देश को ३–३ प्रधान मन्त्री दिये हैं। इस देश के अन्दर उस जिले में पानी न हो तो इस सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिये। इस जिले को उन्होंने एक दम भूखा और प्यासा रखा।

श्रीमन् जी, शायद मेरी बात लोगों को कड़वी लगती हो, लेकिन आप को मालूम होना चाहिये कि कड़वी बात कहने के लिये मैं कई व्यक्ति इलाहाबाद से आ गये हैं। मैं इस समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिये जोरदार शब्दों में कहने के लिये तैयार हूं। हम अब ज्यादा धैर्य रखने वाले नहीं हैं, बहुत बार कहा है। यदि हमको पानी नहीं मिला तो याद रखिये आप को भी पानी नहीं मिलने पायेगा। आप के घरों में जो पानी रखा होगा उसे हम उठा लाएंगे। लेकिन अफ़सोस है कि इनके पास पानी है ही नहीं, हमें यह कहां से पानी देंगे। श्रीमन्, चायल के अन्दर नहर जब चलती है तो उसमें जो कांग्रेसी नेता हैं वह अपना हाथी बैठाल देते हैं और पानी रोक देते हैं। इस बात को तो दोआबा क्षेत्र के कांग्रेसी सदस्यों को माननीय मुख्य मन्त्री और राजस्व मंत्री जी से कहना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार चायल में जनता की रक्षा करें जहां नहरों को काटकर और हाथी बैठाल कर जो पानी ले लिया जाता है उससे राहत दिलाने के लिये उचित प्रबन्ध करें, नहर में पानी डलवावें। मेरा सुझाव है कि चायल में ट्यूबवेल्स अधिक से अधिक संख्या में लगाये जायं नहीं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक महीने के अन्दर ही चायल के क्षेत्र में इतने लोग भूख और प्यास से मर कर चले जायेंगे उसके लिये सरकार के पास इतने मन्त्री भी नहीं होंगे कि उनको उठाकर गंगा और जमुना में फेंकवा सकें। सरकारी पक्ष पर बैठने वाले तो सोच रहे होंगे कि मैं भाषण कर रहा हूं, श्रीमन्, मैं भाषण न कर के चायल क्षेत्र के लोगों की दयनीय दशा को आप के माध्यम से सरकार के सामने रखता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि चायल क्षेत्र के लोगों की दयनीय स्थिति पर विचार किया जाय। इलाहाबाद जिले को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि वह कौन सा स्थान है, दोआबा है, गंगा पार है, जमुना पार है या कौन-सा हिस्सा है जिसे वह सूखा क्षेत्र घोषित करेंगे ? दुख की बात है कि जहां गंगा और जमुना दो-दो नदियां बहती हों वहां का सारा पानी खत्म हो गया हो। इसलिये इलाहाबाद के पूरे जिले को सूखा क्षेत्र घोषित करना चाहिये। अभी जब एलेक्शन हो रहा था तब वहां की जनता भूख और प्यास से तड़प रही थी तो उस समय कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने यह कहा था कि इस बार यदि हम जीत जायेंगे तो हम ट्यूबवेल लगवा देंगे। अखबारों में भी यह वक्तव्य निकला था

[श्री कन्हैयालाल सोनकर—]

कि चायल में पाव-पाव भर के पत्थर गिरे और उसके कारण गेहूं और अरहर की खेती चली गयी है। आज तो कोई जावे और उन पत्थरों के दांत यहां वहां देखे जा सकते हैं लेकिन एलेक्शन के बाद भूल गये कि पत्थर भी पड़े थे, ओले भी पड़े थे और पाला भी पड़ा था। अभी राजस्व मंत्री जी ने अपने बयान में लिखा है कि इलाहाबाद जिले में हर प्रकार की वसूली स्थगित है और वसूलियों की उत्पीड़क कार्यवाही करने को मना कर दिया गया है। मैं आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि चायल के अन्दर इतनी बेरहमी के साथ वसूली की गयी है कि जो सज्जन वहां गये थे वसूली करने उन्होंने तो यहां तक कहा था कि आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, आपने तो जनसंघ और चरणसिंह जी की पार्टी को वोट दिये हैं लिहाजा आप उन्हीं से पैसा लेकर लगाइये। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिस जगह कांग्रेस के लोग जीत कर आये हैं वहीं लोगों को तकावी की माफ़ी होगी या जिन जगहों से कांग्रेसी जीत कर नहीं आये हैं उन जगहों के लोगों को भी छूट वगैरह मिल सकेगी ? मैं बड़े अदब से मुख्य मन्त्री जी से और राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह धोखाधड़ी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि वे इस बात की जांच करावें। मैंने इलाहाबाद के डी० एम० को भी लिखा है कि जिस अफसर ने जनता पर अत्याचार किये हैं वे दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेता भी हैं, यहां पर भी प्रार्थना करता हूं कि आप डी० एम० से कहें, वहां की जनता ने भी डी० एम० से लिख कर मांग की थी लेकिन उनकी बदली नहीं की गयी है। इसके लिये गौहानी कलां की जनता ने मांग भी की थी।

इतना कह कर मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि चायल को भी सूखा क्षेत्र घोषित किया जाय।

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस विवाद पर बोलने का अवसर दिया। हमारा बुन्देलखण्ड यानी बांदा और झांसी जिले का बहुत-सा हिस्सा सूखे पीड़ित है। श्रीमन्, सूखे के अवसर पर पानी की व्यवस्था करने से पहले हमें यह निश्चय करना आवश्यक है कि कौन से ऐसे भाग हैं जहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हमारी प्लानिंग में कहीं इस बात की खामी है जिसके कारण पीने के लिये पानी की रेलगाड़ी से या ट्रकों से व्यवस्था आज भी करनी पड़ रही है। पिछले वर्ष जब सूखा पड़ा था, तब नरैनी का इलाका और ललितपुर के पाठे इलाके में ट्रकों से पानी देना पड़ा था और लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ था।

(इस समय ४ बज कर २० मिनट पर, श्री अध्यक्ष ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

हमारे भाई माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस वालों के क्षेत्र में जाते हैं और दूसरी जगह नहीं जाते हैं। मैं अपने मित्र को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह वह क्षेत्र है कि जहां से अब की बार कांग्रेस का सदस्य चुनकर आया है, लेकिन पिछली बार आपके ही माननीय सदस्य जनसंघ के टिकट पर चुनकर आये थे। उन्होंने सूखे के नाम पर और ओले के नाम पर सरकार से छूट प्राप्त की थी। वह छूट उन्होंने अपने फ़ार्म के लिये ही प्राप्त की थी। छूट के नाम पर उन्होंने अपना निजी लाभ उठाया। बाकी सब काश्तकारों से लगान और तकावी वसूल हुई थी। जहां तक छूट देने का प्रश्न है और तकावी रोकने का प्रश्न है आज वह वसूल हो चुकी है, तो अब वसूली रोकने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मुस्तकिल प्रबन्ध करें जिससे वहां पर कुओं में पानी लोगों को प्राप्त होता रहे। वहां पर पानी के बिना कुयें भी सूख गये हैं। ललितपुर का बांध इस वर्ष ३८ फ़ीसदी भरा था। किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता है। सूखे के कारण किसानों की फसल नष्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गई है। सिंचाई का लगान और तकावी लोगों से वसूल हो रहा है। जो कदम यह सरकार उठाने वाली है वह उठाये, लेकिन इसके साथ साथ मेरी यह प्रार्थना है कि आप वहां की पानी पीने की व्यवस्था के लिये कुओं को गहरा कराने की व्यवस्था करें। साथ ही और अधिक कुयें वहां पर बनवाने की भी व्यवस्था करें। वहां पर पत्थर हैं। बहुत गहराई तक, वे किसान नहीं खोद सकते हैं। रिगमशीन ही उस कार्य को कर सकती है। जब तक गहराई तक उन कुओं को खोदा नहीं जायगा तो पानी की कठिनाई सदा बनी रहेगी। करवी के क्षेत्र में यह देखा गया है कि पीने का पानी लोग १५, १५ और २०, २० मील से लाते हैं। पिछली बर्फ़ भी वहां पर झांसी और माताटीला से पानी लाने की व्यवस्था की गई थी।

राजस्व मंत्री जी ने कहा कि टेस्ट वर्क झांसी जिले में अभी नहीं है, लेकिन वहां पर यदि मजदूरी ९० पैसे ही दिये गये तो मजदूर नहीं मिल सकते हैं। इतनी कम मजदूरी अगर सरकार कर देगी तो उनको मजदूर नहीं मिल सकते हैं। वैसे आज कल तो फ़सल काटने के लिये दूसरे स्थान को लोग चले गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर मजदूरों और किसानों की मजबूरी का सरकार शोषण न करे। उनको कम पैसा देकर उनके परिश्रम का शोषण सरकार न करे। वहां के गरीब काम करना चाहते हैं। यदि सरकार उनकी मदद करना चाहती है तो उनके लिये ९० पैसा बहुत कम है इतने कम पैसे पर आज कल मजदूर मिल नहीं सकता है। यदि सरकार सेवा करना चाहती है तो उनको ९० पैसा देकर उनके श्रम का शोषण करने की प्रथा को बन्द करे। उनके पैसे को बढ़ाये ताकि सूखे के नाम पर कुछ काम हो सके। उनको रोटी मिल सके। चाहे उनको कुवां खोदने में लगायें या राहत के और कार्य में, लेकिन उनको टेस्ट वर्क की मजदूरी आप बढ़ाने की कृपा करें। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता था।

*श्री महीलाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुखी और पीड़ित जनता की सेवा का जहां तक सम्बन्ध है इसमें पक्ष और विपक्ष के रूप को समाप्त कर के हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। विरोधीपक्ष से जो रचनात्मक सुझाव आ यें शासक दल के साथियों को और शासन को उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। नेता विरोधी दल ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार प्रकट करते हुए यह कहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब मिर्जापुर गये थे और वहां ऐसे क्षेत्र के लोग जहां संयोग से विरोधीपक्ष के सदस्य जीतकर आये तो उस क्षेत्र के लोगों को माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया कि टेस्ट वर्क के लिए आप जनसंघ या बी० के० डी० के पास जाइये। माननीय मुख्य मन्त्री ने जब कल उत्तर दिया तो उस प्रश्न को नहीं छुआ। मैं आप के द्वारा मुख्य मन्त्री और उनके सहयोगियों से यह निवेदन करूंगा कि वह दुखी और पीड़ित जनता का प्रश्न है, इसको हल करते समय, इसके लिए फ़ैसला लेते समय उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं रहना चाहिए और बिना इस भेद के कि उस क्षेत्र से कौन जीत कर आया है, कौन नहीं, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए।

मान्यवर, जो सहायता के साधन अकाल पीड़ित लोगों के लिए और दुखी मानवता के प्रति हृदय में जिनका प्रेम होता है और वह सहायता के रूप में जो साधन भेजते हैं, अब तक का अनुभव यह बताता है कि उनका उपयोग सही नहीं होता। उदाहरण के लिए अभी ३–४ दिन हुए किसी अखबार में पढ़ा कि जो सूखा दूध सैकड़ों क्विंटल दुखी लोगों के लिए दानी लोगों ने भेजा वह शासन के भंडारों में ऊपर ऊपर से ही पहुंच गया और उसका वितरण नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि इसके आगे यह भी है कि ड्राई मिल्क जो आया वह बाजारों में बिका, दुखी लोगों तक नहीं पहुंचा। माननीय अध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं यह भी अनुभव है कि दुखी लोगों के लिए जो बाहर से दान-स्वरूप मुफ्त बांटने के लिए या सही रेट पर देने के लिए अनाज आया वह ब्लैक में बेचा गया, वह दुखी और भूखे लोगों तक नहीं पहुंचा। तो शासन का यह कर्त्तव्य है कि उन गलतियों पर जो अब तक होती रही हैं, दुखी लोगों के जीवन से लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महीलाल---]

ने जो कमाने की चेष्टा की है, शासन उसकी ओर मुख्य रूप से ध्यान दे और जो साधन शासन के पास हैं या जनता दुखी लोगों की सहायता से प्रेरित होकर अपनी आय में से जो चीजें भेजती है उनका सही रूप से वितरण हो, यह भी शासन की जिम्मेदारी है और उसे देखना चाहिए। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि इससे ज्यादा कि वह वहां टेस्ट वर्क खोले ज्यादा जरूरी यह है कि जो सहायता उन लोगों के लिए जुटाई जाय उसका सही उपयोग हो। मैं ही नहीं कहता जो विरोध में बैठा हूं, बल्कि उधर के ही एक माननीय सदस्य राम प्यारे जी जो शायद मिर्जापुर से आते हैं, उन्होंने स्वयं आप के सामने वह उदाहरण बताये हैं कि किस तरीके से दुखी लोगों की सहायता से धन पैदा करने की लोग चेष्टा करते हैं और शासन के सहयोग से वह रुपया कमाते हैं।

तो, मैं, मान्यवर, आप के द्वारा राजस्व मंत्री और मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि एक तो तत्कालीन संकट में सहायता का प्रश्न है, उसके लिए टेस्ट वर्क खोलें, लोगों को काम दें--वह जरूरी और आवश्यक है, साथ ही जो राजकीय ऋणोंपर तकावी आती है, मालगुजारी है उसकी वसूलयाबी भी स्थगित करें और यह भी जरूरी है कि आप दूरगामी योजनाओं पर विचार करें जिससे इस प्रदेश को प्रति वर्ष सूखे का मुकाबला न करना पड़े। कल मुख्य मन्त्री जी ने जहां हरिजनों के बारे में बहुत बड़ी सहानुभूति प्रकट की है, वह मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ज्यादातर लोग जो भूख के शिकार हुये हैं वे हरिजन ही हैं। उनके लिये माननीय मुख्य मंत्री ने ही नहीं, कई माननीय सदस्यों ने आंसू बहाये हैं, लेकिन वे, मैं समझता हूं घड़ियाली आंसू ही हैं, क्योंकि जब २० सालों में पीने के पानी की व्यवस्था तक यह सरकार नहीं कर पायी तो क्या कहा जाय।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

आपने तो अपने समय में जो ग्रांट हरिजनों को इनके लिये मिलती थी, वह तक बन्द कर दी थी। आपने उनके लिये क्या किया ?

श्री महीलाल---

जो कुछ हरिजनों के लिये यह सरकार करती है वह केवल दिखावा होता मनुष्य के लिये उसकी मौलिक आवश्यकता खाना, कपड़ा और मकान की होती है। मकानों के लिये रुपया रखा जाता है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। २,२३६ गांव ऐसे हैं जहां स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। ४,११५ गांव ऐसे हैं जहां अधूरी पानी की व्यवस्था है। ६,३५८ गांव ऐसे हैं जहां तालाबों आदि से लोग पानी पीते हैं। आप मकानों के लिये जो अनुदान देते हैं, कभी आपने यह अन्दाजा लगाया जाय कि उससे कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित होंगे ? आज हरिजन कहे जाने वाले लोगों की संख्या समाज में २०प्रतिशत है। उनमें से २ प्रतिशत के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पक्के मकान हैं। अब शेष कितने रह जाते हैं ? ५ आदमियों का एक परिवार अगर लगायें तो कितने धन की आपको जरूरत पड़ेगी ? इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो धन इसके लिये रखा गया है वह केवल दिखावा है। इसको बन्द कीजिये। जो मेहनतकश और गरीब हैं उनको स्वावलम्बी बनाने के लिये आप कोई योजना बनाइये ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। केवल हरिजनों का नाम लेने से उस समाज का हित होने वाला नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां गंगा और यमुना की धारा है, लेकिन लोग आज भूख और प्यास का संगम हो रहा है। आकाश सूखा रहा है, धरती सूखती रहती है और उसके साथ ही किसान का तन और मन भी सूखता रहा है। जहां पर हरे खेत होने चाहिये थे, वहां पर आज धूल उड़ रही है, वहां की धरती की छाती आज फटी जा रही है। फिर भी आज

इस विषम परिस्थिति में भी मेरा विश्वास है कि जो चीज देवता नहीं दे सकते हैं, वह मां दे सकती है, "धरती मां" दे सकती है। यदि वहां ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाय तो, धरती का स्नेह जल धरती पुत्रों के लिये मिल सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि सोरांव निर्वाचन क्षेत्र में जो फूलपुर तहसील का हिस्सा पड़ता है उसमें बिजली का साधन हो। बीस वर्ष हो गये। आज वहां न बिजली का साधन है, और न ही ट्यूबवैल का। जहां पर नहर भी है, वह नहरी इलाका केवल नक्शे पर ही है, बहुत सा कमान्ड एरिया नक्शे पर दिखाया गया है, लेकिन उसमें पानी आने का कोई इन्तजाम नहीं होता है। यह उस इलाके का दोहरा अभाग्य है। हमें आज नक्शे की नहर नहीं चाहिये, हमको धरती की नहर चाहिये। जैसे शरीर में रक्त का प्रवाह चाहिये, उसी तरह नहरों में पानी का प्रवाह होना चाहिये। हमारे क्षेत्र में पच्चीस प्रतिशत तक लोग हरिजन हैं। जब भी सूखा पड़ता है तब यही वर्ग होता है जिसको कोई भी काम करने को नहीं मिलता है। दूसरे क्षेत्रों में टेस्ट वर्क से तालाब वगैरह की व्यवस्था होती है लेकिन गंगापार ऐसी जगह में तालाब भी नहीं हो सकता है। यहां की सड़कों का मैं क्या बयान करूं। अगर कोई इक्का जाता है तो मालम होता है कि वहां कोई महाभारत का रथ जा रहा है। वहां वह सड़क कही जाती है जिस लीक पर एक फूट ऊंची धूल जमी हो। सोरांव से कल्याणपुर, दूसरे तथा चालीस नम्बर की गुमटी से बहरिया होती हुई रानीगंज की ओर जो सड़क जाती है, उन पर अगर कार्य लग जांय तो हरिजनों को वहां मौका मिले कि वे अपना पेट पाल सकें।

साथ ही साथ जो मुल्तबियां हुई हैं उस संबंध में हमारा खयाल है कि रेवेन्यू ऐक्ट में तबदीली नहीं हुई हैं, कि तीन साल की कोई मुल्तवी हुई हो तो उस पर छूट हो जाती है। हमारा निवेदन है कि उस नियम का पालन होना चाहिये। जो मुल्तबियां अब इस प्रकार लगती जा रही हैं उससे गरीबों के ऊपर बोझ पड़ता ही जा रहा है। उसकी छूट का एलान करें हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ बातें ऐसी कहीं जैसा कि सोनकर साहब ने कहा कि सूखा वहीं आता है, पानी वहीं नहीं बरसता है, जहां कोई कांग्रेस का विधायक हो। अगर बादल से पानी बरसाने का कोई ढंग हो और कोई भी पानी बरसा दे तो हर एक विधायक उनको समर्थन करेंगे लेकिन दुःख है कि यह धरती का है इन्द्र भगवान का नहीं है। इस पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हमको बलगत चीजों को नहीं उठाना है। हमें गरीबों के भूख का उपहास नहीं करना है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि पिछड़े हुये क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था के लिये उन्होंने बड़ी स्कीम की मंजूरी की है। हर चीज में समय लगता है। अन्त में मैं जरूर कहूंगा कि सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित हो और एक दिन वह देखने में आये कि धरती का कण कण सरसब्ज हो।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों का हवाला दे कर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है उन समस्याओं की ओर.....

श्री श्याम सूरत (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले इलाहाबाद की सूखे की स्थिति के विषय में आप से केवल दो मिनट चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही ५ बजकर २० मिनट तक चलेगी।

श्री धर्मवीर—

अध्यक्ष महोदय, जिन जिलों में सूखा है, उन जिलों के लोगों ने इसका नोटिस दिया था, कृपा करके उन जिलों के लोगों को ही अधिक मौका अपने विचार प्रकट करने का दिया जाय, बाद में और जिलों के लोगों को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके मेरे पास ऐसी एक लिस्ट भेज दें तो अच्छा होगा ।

*श्री श्याम सूरत—

अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद जिले के उस क्षेत्र से आता हूं जहां सूखा का प्रकोप है । खासतौर से मेजा, करछना तहसील की हालत बहुत खराब है बदकिस्मती से गंगापार के इलाके से अधिकांश कांग्रेस विधायक ही जीत कर आते रहे, वहां की पार्लियामेंट की सीट स्वर्गीय नेहरू जी के बाद श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को मिली, लेकिन गंगापार के बारे में कहीं भी कोई आवाज नहीं उठायी गयी । इस बार जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक नसीहत दी और गंगापार की लोक सभा और विधान सभा की सीटें सोशलिस्ट पार्टी के हाथ लगी और कांग्रेस के लोग हारे । अब कांग्रेस को गंगापार के लिये यह सोचने का अवसर मिला है कि उसकी वहां ऐसी हालत क्यों हुई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री, माननीय गुप्ता जी जब इलाहाबाद गये तो गंगापार न जाकर, जमुनापार के इलाके, जहां से कांग्रेसी जीत कर आये थे, वहीं का दौरा करते रहे । माननीय गुप्ता जी के बाद माननीय माल मंत्री जी भी जब इलाहाबाद गये तो उनको भी गंगापार जाने में शर्म मालूम हुई क्योंकि उनके हाथ वहां की कोई सीट ही नहीं लगी थी ।

मैं कानपुर के बारे में बताना चाहता हूं कि हंडिया फूलपुर के उत्तरी भाग की हालत बहुत ही खराब है । वहां न तो कोई नहर है और न कोई ट्यूबवैल ही लगे हैं, न सरकार की ओर से वहां कोई अनुदान ही दिया गया है । फूलपुर के उत्तरी इलाके में लोग अपने निजी ट्यूबवैल लगाना चाहते थे, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा वहां लाइन न ले जाने के कारण वह भी नहीं लगा सके, उसके लिये बड़ी दिक्कत मालूम हो रही है । वहां पर एक लाइन फूलपुर से हंडिया, मुबारक होती हुई डाल दी जाय तो कम से कम ५० पंपिंग सेट लग जायेंगे । हंडिया तहसील में खासतौर से प्रतापपुर की हालत अत्यन्त ही शोचनीय है । प्रतापपुर ब्लाक में मुश्किल से चार आना भर कुओं से सिंचित भूमि में फसल हो सकती है । बाकी १२ आना फसल बरबाद हो गयी है । इसके लिये सदन में मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं । जिस प्रकार से पूर्वी जिलों के लिये एक पटेल आयोग कायम किया गया था उसी प्रकार से सारे जिलों और खासतौर से सूखे आदि से त्रस्त जिलों के लिये एक आयोग की स्थापना की जाय जो हर जिले का निरीक्षण करके रिपोर्ट दे कि फलां फलां जिले ऐसे हैं जहां अक्सर सूखा पड़ जाया करता है तथा वह यह भी रिपोर्ट दे कि उस जिले में कौन सी योजना लागू की जा सकती है और वह योजना कितने दिनों में पूरी हो सकती है । यह भी देखा जाय कि किस इलाके में नहर की जरूरत है और किस इलाके में ट्यूबवैल की जरूरत है । आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार को उन स्थानों को ठीक करने की ओर कदम उठाना चाहिये । और जो पहाड़ी इलाका है उसमें बावली खोद दी जाय जिनमें ऊपर का पानी आ कर, छनकर इकट्ठा हो जाय । उस से उस पानी को जानवर भी पी सकेंगे और जनता भी उससे लाभ उठा सकेगी । दुर्भाग्य से रूस और अमेरिका के लोग चन्द्र लोक तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां अभी तक ऐसी रिग मशीन भी नहीं बन पायी है जिन से पहाड़ी क्षेत्रों में बोरिंग की जा सके और नलकूप लगाये जा सकें । मेजा वा करछना क्षेत्र में अगर इस तरह की रिग मशीनों द्वारा बोरिंग करा कर ट्यूबवैल बनाये जायं तभी वहां कुछ सफलता हासिल हो सकती है । जो कुवें का अनुदान दिया जाता है और गल्ले की बात की जाती है, उस से जनता को राहत नहीं मिलती । हर जिले के लिये और खासतौर से इलाहाबाद जिले के लिये एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार होना चाहिये कि किस जिले में ट्यूबवैल लगें, कहां नहरें खोली जायं, और कहां रिग मशीनों द्वारा बोरिंग करके बड़े-बड़े ट्यूबवैल बनाये जायं । इलाहाबाद जिले में जो लगान की मुल्तवी हुयी है उस से इलाहाबाद की जनता को कोई राहत नहीं मिली । अगर लगान आप माफ कर देते तब तो उनका हित होता, वरना दो तीन साल से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगान की मुल्तवी होती चली आ रही है और उनके ऊपर लगान का भार बढ़ता चला जा रहा है और पैदावार कुछ नहीं हो रही है ।

दूसरी बात यह है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के हाई स्कूल, बी० ए०, एम०ए० के विद्यार्थियों को फीस देने में इस वक्त अत्यन्त कठिनाई है। एक्जामिनेशन भी नजदीक हैं, उनको एक्जामिनेशन की भी फीस देनी पड़ेगी । इसलिये मैं माननीय गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि इलाहाबाद के सूखाग्रस्त विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिये अपना आदेश वहां भेज दें क्योंकि वे इस समय अत्यन्त ही कष्ट में हैं ।

श्री धर्मवीर—

अध्यक्ष महोदय .....

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष की तरफ से ही यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है इसलिये विरोधी दल के सदस्यों को ही अधिक अवसर बोलने का देना चाहिये ताकि वे कम से कम सरकार का ध्यान तो उधर आकृष्ट कर सकें ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, जौनपुर जिला भी सूखे से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिये वहां के सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मौका दिया जायगा ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि आप पुराने लोगों को ही बोलने का मौका देते हैं, नये लोगों को अभी तक मौका नहीं दिया गया है।

*श्री धर्मवीर—

अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, झांसी तथा रायबरेली जिले के नाम दिये गये हैं जिनके विषय में उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही गयी है। इन जिलों में इस वर्ष ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से पूरे के पूरे इलाके में पानी नहीं बरसा जिस से वहां सूखा पड़ गया और वहां के किसानों की हालत बड़ी दयनीय रही । हमारे इलाहाबाद जिले से आने वाले नौजवान साथी ने बतलाया कि माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त जब मिर्जापुर और इलाहाबाद गये तो वे उनके क्षेत्र गंगापार जाने के बजाय जमुना पार चले गये । एस० एस० पी० के सदस्यों की तरफ से बराबर यह आवाज उठती रही है कि जमना पार के क्षेत्र में भयंकर सूखा है इसलिये गुप्ता जी जब इलाहाबाद गये तो सब लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि वे वहां जरूर जांय । वे उन लोगों के शोर मचाने पर ही वहां तथा मिर्जापुर के क्षेत्र में गये। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया कि वहां का क्षेत्र पहाड़ी है जहां लगातार ५–७ साल से इस तरह की घटना होती आ रही है। तथा वहां के लोग बहुत पिछड़े हुये हैं । ऐसे क्षेत्र का खयाल तो अवश्य होना ही चाहिये । माननीय सदस्य जिस गंगापार क्षेत्र से आये हैं वह वह क्षेत्र है जहां के ही हमेशा प्रधान मंत्री ही होते रहे हैं । आज भी जो प्रधान मंत्री हैं उसी क्षेत्र की हैं। वहां के जिला अधिकारियों ने गंगापार के विषय में किसी विशेष कठिनाई के ऊपर सरकार पर जोर ही नहीं दिया है। लेकिन जो सबसे अधिक नेगलेक्टेड क्षेत्र है गंगा जमुना के बीच का वह बहुत ही मुसीबतजदा क्षेत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धर्मवीर—]

है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व माननीय प्रधान मंत्री जी करती हैं, लेकिन यह गंगा जमुना के बीच का इलाका चायल, मंझनपुर, सिराथू से लेकर मिर्जापुर तक का एक दुर्भाग्यपूर्ण इलाका है लेकिन मुझे दुख है कि न तो केन्द्रीय सरकार का और न यहां के इंजीनियरों का उस तरफ ध्यान गया है। यह दो नदियों के बीच का इलाका अधिकतर सूखाग्रस्त रहता है और कोई प्रबन्ध नहीं किया गया, यह बहुत ही दुख की बात है। पीने को उस इलाके में पानी नहीं कि जहां दो गंगा और जमुना जैसी नदियां बहती हैं जो इलाका दोआबा कहलाता है, जहां के किसान त्रसित हैं और जिनके लिये आज तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। यह देश का या यहां के इंजीनियर्स का दुर्भाग्य कहा जा सकता है। हमारे यहां भरवारी में सन् ६२ में श्री कामराज जी गये थे, उन्होंने वहां के सूखे की हालत को देख कर कहा था कि इलाहाबाद में जहां गंगा और जमुना नदियां बहती हैं वहां यह हालत है और यहां के अधिकारियों को यहां सूखे के विषय में ध्यान देना चाहिये, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया इसका हमें दुःख है।

माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी चुनाव के पहले ही नवम्बर, दिसम्बर में माननीय प्रधान मंत्री जी इलाहाबाद सूखे के दौरे के लिये आई थीं और समाजवादी दल के सदस्य जो अभी बोल रहे थे मौजूद थे, उस समय वह गंगापार गयीं थीं और उन्होंने कहा था कि सूखे के मुकाबले के लिये हमें स्थायी योजना यहां के लिये बनाना होगा और इस तरह का प्रबन्ध करना होगा कि हम अधिक प्रकृति के भरोसे न रहें। यहां के लिये ऐसा इन्तजाम करना चाहिये कि अगर लगातार बारिश न हो तब भी हम पानी लेकर उस क्षेत्र में अनाज पैदा कर सकें और भूमिहीन किसानों को जीवन के साधन उपलब्ध करा सकें। उन्होंने जिक्र किया था कि गंगा और जमुना में इस तरह की मशीन लगायी जायं ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिस से पानी लिफ्ट करके नहरों में डाला जाय, जिसे लिफ्ट इर्रीगेशन सिस्टम कहते हैं। नहरें वहां हैं लेकिन उनमें हरिद्वार से पानी नहीं पहुंच पाता। अगर यह किया जाय तो मंझनपुर, सिराथू और चायल क्षेत्र की कठिनाई दूर हो सकती है और किसानों को राहत मिल सकती है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जहां तक टेस्ट वर्क का संबंध है पिछले साल उन पर लाखों रुपया व्यय किया गया, लेकिन जो राहत का काम मजदूरी देकर किसानों से कराया जाता है उनका कोई फल नहीं होता और सारा बना हुआ काम बाद में खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जब सरकार का पैसा व्यय ही होता है तो काम ऐसे बनाये जायं कि उसका सदुपयोग हो, जैसे तालाब या सड़क ऐसे बने कि जिन से लाभ हो और काम में आ सकें। अगर कोई सड़क टेस्ट वर्क में बने तो बाद में उसको पी० डब्लू० डी० विभाग ले ले और उसको बना दे। इस से सड़क भी बन जायगी और उस इलाके के गरीबों को राहत भी मिलेगी। हमारे महीलाल जी ने हरिजनों की वकालत बड़े जोरदार शब्दों में की लेकिन जब वह संविद सरकार में उपमंत्री थे तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी सरकार क्यों यह कुओं के अनुदान और पानी के पीने की सुविधा को खत्म कर रही है और क्यों हरिजनों के अनुदान समाप्त किये जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने एक शब्द भी हरिजनों की सुविधाओं के बारे में नहीं कहा और आज वह उनकी हिमायत करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरिजनों के लिये जो कुछ भी अभी तक थोड़ा बहुत किया है वह कांग्रेस ने ही किया है, जितना होना चाहिये उतना नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिये जो कुछ हुआ है वह कांग्रेस के द्वारा ही प्रयत्न हुआ है। ठोस कदम उनके लिये उठाने का सारा श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। अन्त में मैं कहूंगा कि लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा उन नदियों का पानी उठा कर नहरों में पानी डाला जाय (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी अधिकारियों पर जोर देकर यह काम करायें और वहां के लोगों को राहत दें।

*श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, जब से सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित हुआ था तब से बोलने का प्रयास कर रहा हूं परन्तु मुझे समय नहीं दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

में आज अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज सूखे के संबंध में जो भी चर्चा हुयी वह सारी की सारी इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर के बारे में हुयी और सरकार ने भी जो सहायता दी है वह इन्हीं जिलों को अधिकतर सहायता दी है। मेरे जिले के ४ कांग्रेस के सदस्य हैं। वे पूरे क्षेत्र का दौरा किये हैं अगर वे मेरी बात को झूठी साबित कर दें कि जौनपुर भी सूखे से उतना ही प्रभावित नहीं है तो मैं सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। मेरे क्षेत्र में बहुत-सी ऐसी ग्राम सभायें हैं जिनमें फसल जमी ही नहीं और जमी भी तो वह खलिहानों तक पहुंचने योग्य नहीं है। उस इलाके में कोई भी सड़क नहीं है इसलिये उस इलाके में न कोई अधिकारी ही पहुंच पाता है और न मंत्रिगण ही पहुंच पाते हैं। न वहां पर कोई ट्यूबवेल है न नहरें हैं, न वहां पर पंपिंग सेट्स हैं। सड़कों के किनारे किनारे कुछ ट्यूबवेल अवश्य लगाये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि जिन बातों की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है उनकी ओर हमारे मुख्य मंत्री जी ध्यान दें। इस इलाके में २ इलाके ऐसे हैं जो कि यद्यपि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र हैं, एक मछली शहर और दूसरा मड़यायं हैं, वहां पर एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा है।

अन्त में मैं चाहूंगा कि हमारे इलाके में लगान माफ किया जाय, पंपिंग सेट्स के लिये कनेक्शन दिये जायं और माननीय सदस्यों की एक समिति बनायी जाय तो वहां पर जाकर सही सही वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करें क्योंकि माननीय मंत्रियों के जाने से वहां की सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है चाहे उस समिति में कांग्रेस के सदस्य ही क्यों न हों। इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में बहुत सी बातें यहां पर कहीं, ब्योरे से तो उनका उत्तर, राजस्व मंत्री देंगे। मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भी सुझाव देना चाहते हैं, यहां यदि समय नहीं मिल पा रहा है तो वे मेरे पास आ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। मैं इस समय इनको इतना ही आश्वासन दे सकता हूं।

सूखाग्रस्त क्षेत्र में सरकार जितनी मदद पहुंचा सकती है, पूरी मात्रा में पहुंचायेगी और किसी भी प्राणी को, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहता हो, मरने नहीं दिया जायगा। यह सही है कि मैं सारे क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास केवल दो दिन का समय था। उस समय मैं गया तो तीन जिलों में लेकिन इत्तिफाक से सड़कों पर ही उन क्षेत्रों में जा सका जहां मैं आसानी से पहुंच सकता था। मैं जाना चाहता था अन्दर के क्षेत्रों में और अब जब समय मिलेगा वहां जाऊंगा भी। यह कहना सही नहीं है कि मैं केवल उन क्षेत्रों में गया जहां से कांग्रेस के सदस्य चुन कर आये हैं। मुझे दूसरे क्षेत्रों में जाने में तनिक भी आपत्ति नहीं है और मैं यह समझता हूं कि यह बात ऐसी है जो इस सदन के सदस्यों को कभी नहीं कहनी चाहिये। हम अगर यहां बैठे हैं तो हम दुःखित जनता की सेवा करने के लिये बैठे हैं, हम किसी के प्रति पक्षपात करने के लिये यहां नहीं बैठे हैं, हम किसी सदस्य को ज्यादा पापुलर देखने के लिये यहां नहीं बैठे हैं। जहां-जहां भी हमारे प्रदेश के लोग दुखों में अपना जीवन बिता रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके दुखों को दूर करें और हमारे अधिकारीगण, मुझे विश्वास है, हमारे आदेशों के अन्तर्गत उन तकलीफों को रफा करने की चेष्टा करेंगे। बहुत से प्रश्न आपने किये हैं उनके बारे में राजस्व मंत्री जवाब देंगे, लेकिन मुझे जो कुछ सूचना देनी हो वह लिखकर मुझे पहुंचा दें और मुझसे मिल लें और जाने के लिये जब मैं सुविधा निकाल सकूंगा उसके लिये उद्यत हूं।

*श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले से आया हूं जिसका नाम फतेहपुर है। तीन योजनाओं के बाद भी हमारा फतेहपुर वैसा ही पड़ा हुआ है। पूर्वी जिलों की बात चलती है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमाकांत बाजपेयी—]

तो उनकी हवा इलाहाबाद में आकर रुक जाती है। पश्चिमी जिलों की हवा कानपुर में आकर रुक जाती है। बुन्देलखंड की हवा जमुना के उस पार रुक जाती है। उत्तरी क्षेत्र केवल रायबरेली तक आ पाते हैं और फतेहपुर बीच में ही पड़ा रह जाता है और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। मेरे जिले से जो विधायक आये हैं वे अन्य पार्टियों के हैं लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने जिले की उन्नति के लिये जो कि सूखाग्रस्त पड़ा हुआ है, लोग जहां भूखे मर रहे हैं और जहां अनाज का दाना पैदा नहीं हुआ है वे मुख्य मंत्री जी से, चतुर्भुज शर्मा जी से इस का निवेदन करें कि वे चलकर वहां की स्थिति को देखें। तीन साल पहले वहां पर १०० ट्यूबवेल लगाने की बात कही गयी थी लेकिन १०० के स्थान पर एक भी ट्यूबवेल नहीं लग सका। लगभग दस वर्ष पहले रामगंगा की नहर खोदी गयी, लाखों एकड़ जमीन उस नहर में चली गयी, लेकिन वहां की जनता रामगंगा नहर के एक बूंद पानी के लिये तरस रही है। बहुत से स्थान कागज में सिंचित दिखाये गये हैं, लेकिन उन स्थानों को पानी नहीं मिल पाता है।

चतुर्भुज शर्मा जी ने यह कहा था कि हम जहां टेस्ट वर्क्स लगाते हैं वहां ५ आदमी भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मैं मंत्री जी की चुनौती स्वीकार करता हूं कि वे मेरे जिले में आकर टेस्ट वर्क करायें, उन्हें ५ हजार आदमी मिलेंगे क्योंकि आदमी को वहां काम नहीं मिलता है वहां प्लानिंग जो बनती है वह केवल कागजात पर बन कर रह जाती है। १०० की जगह ५० ही ट्यूबवेल मेरे जिले में बन जायं, रामगंगा कैनाल पानी देने लगे तो मेरे जिले की उन्नति हो सकती है। मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, शायद पिछले विधायक मेरे जिले के सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट नहीं कर सके जिस से वह पिछड़ा रह गया।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में यहां ध्यान आकर्षित किया और खासतौर से जिन जिलों में सूखा की स्थिति पैदा हो गई उसके बारे में कहा। सूखा से दो मुख्य समस्यायें तो आ ही जाती हैं। एक तो खाने की और दूसरी पानी की। इस वक्त इत्तफाक से ८ ही जिले ऐसे हैं जिनको सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और कुछ ऐसे जिले जैसे अभी माननीय सदस्य, फतेहपुर के बोल रहे थे वहां कितना सूखा है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल, अधिकारियों ने अभी तक कोई रिपोर्ट वहां सूखा के बारे में नहीं दी है। इसी तरह से कुछ ऐसे जिले जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। मेरे पास इत्तफाक से जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार वह सूखाग्रस्त नहीं माने जा रहे हैं। बलिया के श्री मैनेजर सिंह ने वहां की बात बतलायी। यह वाक्या है कि बनारस जिले के सारे जिले सूखाग्रस्त हैं बलिया को छोड़कर। वहां की बात यह हुई कि पहले बलिया भी शामिल किया गया था लेकिन बाद में वहां पानी बरस गया इसलिये वहां के आयुक्त ने यह रिपोर्ट दी कि वहां पानी हो गया है इसलिये अब उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में न रखा जाय। जो १९६८ की रिपोर्ट है बलिया की उससे भी जाहिर होता है कि जून में नार्मल बारिश वहां ११०.६ मिलीमीटर होती है जबकि १७४.७ हुई। जुलाई में वहां की नार्मल बारिश २८९.३ मिलीमीटर है जब कि ३२९.६२ हुई। अगस्त में २९४.५ नार्मल बारिश हुआ करती थी, उसके स्थान पर ३०९.९ हुई। सितम्बर में जरूर वहां बहुत कम वर्षा हुई, यानि २०७.८ के स्थान पर केवल ५९.५ ही हुई। लेकिन कुल मिला कर ८९२.२ के स्थान पर ८७३.७२ वर्षा वहां हुई। इसलिये करीब-करीब नार्मल वर्षा वहां हुई। लेकिन फिर भी अगर माननीय मैनेजर सिंह और दूसरे माननीय सदस्य कहेंगे तो फिर वहां की रिपोर्ट मंगा ली जायगी। कोई भी जिला हो, इस समस्या का हम और आप सबको मिलकर मुकाबला करना है और जिस मात्रा में जहां समस्या है उसी मात्रा में वहां सहायता देना है। अगर जहां समस्या कम हो और सहायता के साधन ज्यादा जुटायें जायं तो वहां ज्यादा भयानक समस्या है वहां कम साधन दे सकेंगे क्योंकि साधन सीमित हैं।

सबसे पहले तो खाने के लिये गल्ले का प्रबन्ध किया जाता है। उसके लिए परीक्षण कार्य खोले जाते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि परीक्षण कार्य में मजदूरी कम मिलती है,

लेकिन यह मजदूरी वह नहीं है जो पहले थी । पहले से अब वह बढ़ गयी है । सन् १९६६ में मजदूरी की दरें रिवाइज की गयी थीं और पिछला सूखा जो १९६७ में पड़ा था उस समय अनाज के भाव १९६६ के मुकाबले सस्ते थे ।

१९६७ में जो सूखा पड़ा था उस समय भी यही वर रही जब कि संविद सरकार थी । उस समय इन दरों को रिवाइज करने के लिये मांग उठी थी, लेकिन संविद सरकार ने उसको नहीं माना । इसका कारण यह है जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा इन टेस्ट वर्क्स में ऐसे काम हों जो स्थायी हों और उनसे लोगों को आगे चलकर राहत मिल सके । इसीलिये आजकल अधिकतर काम तालाबों को गहरा करने, बंदियां बनाने या सड़क बनाने का टेस्ट वर्क्स द्वारा कराया जाता है । मजदूरों को, खोदने वालों को एक रुपया, ढोने वालों को जो औरतें होती हैं ८५ पैसे तथा बच्चों को ६० पैसे मजदूरी दी जाती है । इसमें एक आदमी काफी अच्छी तरह खाना खा सकता है और कुछ थोड़ा बहुत बचा भी सकता है । लेकिन एक बात है कि जो हम पैसा देते हैं उसके मुकाबले में काम बहुत कम होता है । मैं मिर्जापुर दौरे पर गया था वहां मैंने हिसाब लगवाया तो मालूम हुआ कि पी० डब्लू० डी० के मुकाबिले में दुगना पैसा देना पड़ता है और काम आधा होता है । इसका कारण यह है कि लोग कमजोर होते हैं, कुछ काम कम करने वाले होते हैं और यह भी काम लेने वाले कर्मचारी भी ठीक से काम नहीं ले पाते जैसे कि पी० डब्लू० डी० काम लेता है । यह दरें मुनासिब मालूम होती हैं ।

दूसरी चीज यह है कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि टेस्ट वर्क्स पर सस्ते गल्ले की दूकानें दी जायं । लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जिस भाव पर सस्ते गल्ले की दूकान पर गल्ला मिलता है उस से कम भाव पर खुले बाजार में गल्ला मिलता है । इसलिये लोग सस्ते गल्ले की दूकान से गल्ला खरीदने के लिये तैयार नहीं होते हैं । दूसरे जहां टेस्ट वर्क्स होते हैं वहां व्यापारी लोग काफी गल्ला लेकर पहुंच जाते हैं । मैंने खाद्य विभाग को लिखा है कि अगर मोटे गल्ले की दूकानें वहां खोली जा सकें तो खुलवा दी जायं । अगर भाव ऐसे हों कि लोग वहां से गल्ला लेने के लिये तैयार हो, वैसे जहां भी जरूरत होगी वहां इन्तजाम किया जायेगा ।

जहां टेस्ट वर्क्स नहीं हो रहे हैं वहां के लिये टेस्ट वर्क्स खोलने के लिये कहा गया है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मैंने कहा था कि जहां ५ आदमी मिल जायेंगे वहां टेस्ट वर्क खोल दिया जायगा । ऐसा मैंने नहीं कहा था । मैंने कहा था कि जहां ५०० आदमी मिल जायेंगे वहां टेस्ट वर्क खोल दिया जायेगा । इसमें चुनौती का कोई सवाल नहीं है । यह तो हमारे सारे प्रदेश की एक समस्या है । अगर जरूरत हो तो माननीय सदस्यों को और हमको लोगों को काम दिलाने के लिये, उनको जिन्दा रखने के लिये कुछ न कुछ प्रबन्ध करना होगा । यदि कहीं सरकारी कर्मचारियों को गल्ले से सही रिपोर्ट न मिली हो तो जहां के लिये आप सूचना देंगे और जहां ५०० आदमी मिल सकते हैं वहां टेस्ट वर्क खोल दिया जायेगा । टेस्ट वर्क्स में काफी गड़बड़ी हो सकती है । मैंने देखने की कोशिश की की । क्योंकि मेरी आदत है कि जिस काम से जनता का सीधा ताल्लुक होता है उसमें कैसा काम हो रहा है उसको मैं देखता हूं । गड़बड़ी होने की गुंजाइश रहती है और होती है । लेकिन उसको मिटाने के भी तरीके हैं । जहां मैंने पाया कि यहां गड़बड़ियां हैं वहां लोगों को उसी तरह से हिदायतें दीं और काम कराया । मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम माननीय सदस्यों का सहयोग इस काम के लिये चाहते हैं और भी जो गैर सरकारी जनता में काम करने वाले हैं वह अपने सुझाव दें । जहां जहां टेस्ट वर्क हो रहे हैं वहां माननीय सदस्य देख ही सकते हैं । मैं उनको न्योता देता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि जहां-जहां उनके जिले में टेस्ट वर्क चल रहे हों वह जा कर निरीक्षण करें और मेरे पास रिपोर्ट भेजें । उनकी रिपोर्ट पर आफिसर्स की रिपोर्ट

[श्री चतुर्भुज शर्मा---]

से ज्यादा ध्यान दिया जायगा और ज्यादा विश्वास किया जायेगा। अभी माननीय कृष्णचन्द्र शर्मा ने कहा कि शायद झांसी जिले में कुछ ऐसी रिपोर्ट दी कि जहां ७५ फीसदी से ज्यादा, १०० फीसदी या ८० फीसदी क्षति हुई वहां ७४ फीसदी दिखलाया ताकि छूट पूरी न हो सके। अगर यह वाकया है तो दोबारा जांच करवा ली जायगी और देख लिया जायगा। वाकई में ७४ फीसदी और ७५ फीसदी में कोई फर्क नहीं होता। रकम से कोई तौलता थोड़े ही है। इस तरह से कंजूसी करने की बात नहीं है। वाकई में जहां नुकशान हुआ है पूरी रिपोर्ट होनी चाहिये। इसकी जांच करवा ली जायगी।

श्रीमन्, दो जिलों की ज्यादा चर्चा हुई एक मिर्जापुर की और दूसरे इलाहाबाद की। मिर्जापुर में वाकई सबसे ज्यादा सूखे का प्रभाव है। पिछली बार जो सूखा पड़ा था उसमें भी मिर्जापुर को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी। कुछ इलाकों को छोड़कर इस बार भी मिर्जापुर में सूखे का प्रकोप हुआ। मैं आपकी आज्ञा से मिर्जापुर में और इलाहाबाद में कितनी कितनी इमदाद दी गई वह बतला देना चाहता हूं। इलाहाबाद में आपातकालीन तकावी के सिलसिले में २० लाख ९० हजार रुपये स्वीकृत किये गये। अहेतुक सहायता और अन्य क्रियायों के लिये ६६ हजार, टेस्ट वर्क्स के लिये २ लाख ८० हजार, पेय जल योजना के लिये ५ लाख दिया गया। इसी तरह से मिर्जापुर में आपातकालीन तकावी के लिये ३ लाख २० हजार रुपये स्वीकृत किये गये। अहेतुक सहायता तथा अन्य क्रियायों के लिये १ लाख ८४ हजार, टेस्ट वर्क के लिये १४ लाख और पेय जल योजना के लिये ६ लाख दिया गया। और भी जिलों के आंकड़े हैं मैं देना नहीं चाहता। इन दो जिलों की खास तौर से चर्चा किया गया।

श्री बिजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। १९६६-६७ में जब मिर्जापुर में सूखा पड़ा था, उससे १९६८-६९ में अधिक सूखा पड़ा है। और जो सरकार के पास रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार ज्यादा हालत खराब है या कम हालत खराब है और जो १९६६-६७ में सहायता दी गयी उससे अधिक १९६८-६९ में देने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैंने तो श्रीमन्, सदन के सामने यह स्वीकार किया है कि अभी इतनी सहायता दी गयी है। और अर्ज करता हूं कि अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी और सहायता के लिये तो उसका भी प्रबन्ध किया जायेगा। पैसे की कमी के कारण अभी इतना ही हुआ है। लेकिन जैसा मुख्य मंत्री ने कहा, किसी आदमी को भूखों नहीं मरने दिया जायेगा और न प्यासे किसी को रहने दिया जायेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि इलाहाबाद जिले में खासतौर से माननीय सदस्यों ने ज्यादातर ध्यान दिलाया है और खासकर उस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिलाया है जहां से स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हंडिया तहसील में अभी अभी ५० हजार रुपया विशेष दान के लिये रखा गया है, अभियन्ता के पास कि वह पेय जल का प्रबन्ध करे। आपने जो ध्यान दिलाया है, उन बातों पर भी हम विचार करेंगे। माननीय सदस्यों ने जो जो बातें उठाई हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उनको साधारण रूप से छोड़ नहीं दिया जायेगा, बल्कि उसके ऊपर पूरा-पूरा विचार होगा और जहां सहायता संभव होगी सहायता की जायगी। श्रीमन्, जो सूखा से संबंध रखने वाले जिले हैं हर जिले में छोटे मोटे काम जैसे मालगुजारी मुल्तवी करना हो सकते हैं, जहां जैसी परिस्थिति है.....

श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)---

मैं श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं प्रतापगढ़ जनपद के संबंध में कि उसके बारे में माननीय मंत्री जी की डायरी में क्या लिखा है सूखे के संबंध में। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि यह भी जनपद सूखाग्रस्त है और कई बार मैं खड़ा हुआ बोलने के लिये लेकिन आपने

अवसर नहीं दिया । इसलिये मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रतापगढ़ जनपद भी सूखाग्रस्त जिलों में है ? और यदि हां, तो उसको क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हां, वह भी है । उसको आप तत्कालीन तकावी के लिये ६ लाख २० हजार रुपया, अहेतुक सहायता के लिये ५१ हजार रुपया स्वीकार किया गया है । टेस्ट वर्क की वहां पर रिपोर्ट के अनुसार आवश्यकता नहीं है । एक तरफ से आपका प्रतापगढ़ इस लिस्ट में है । जो जिले इसमें हों या न हों और जो जिले हैं उनमें खासतौर से आप से प्रार्थना करता हूं कि जितना रुपया इन जिलों में हम खर्च करें, हमारी आपकी कोशिश यह होनी चाहिये कि वह पैसा सही तरीके से खर्च हो, उनके पास पहुंचे जिनके लिये वह दिया गया है । खाली पैसा खर्च करने से ही काम नहीं चलेगा । दूसरे उस पैसे से जो काम हो वह स्थायी हो, जहां तक हो सके । छोटी-छोटी गल्तियां होती हैं जैसे रूल्स की बात मैनेजर सिंह जी ने उठाई । हम उनको वैसा नहीं मानते, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं । कच्ची मिट्टी से कोई भी पक्का काम नहीं किया जा सकता है । कच्ची गली में ह्यूम पाइप नहीं डलवाया जा सकता है । रूल्स वगैरह बाधक जब होते हैं जब कार्य करने का इरादा नहीं होता । जब कार्य करने का इरादा है, सहायता देना हम चाहते हैं, तो उसमें रूल्स की कोई रुकावट नहीं है । पी० डब्लू० डी० से दुगना खर्च सिर्फ खुदाई वर्क का हमारा हो रहा है । काम आपत्तिकालीन है । इसलिये उस तरह से तो काम नहीं होगा, लेकिन अगर इस से आधा भी काम हो जाय तो समझो कि इस से दोनों काम हो जायेंगे । लोगों को काम भी मिल जायेगा और वह जो सिंचाई वगैरह का काम है वह भी पूरा हो जायगा । सूखे का प्राबलम ऐसा है जो शायद जल्दी खत्म होने वाला नहीं है । वह हमेशा आता जाता रहता है । इसलिये उसके लिये कोई दीर्घकालीन व्यवस्था हो इसके लिये विचार हो रहा है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी विचार कर रही है और विशेष कर उन जिलों में, उन क्षेत्रों में जहां सूखा आता ही है उनके लिये विशेष योजना बनायी जायगी जिस से हम इस आपत्ति का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकें । मैं आप सब का पुनः आभार प्रकट करता हूं ।

## उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९) का द्वितीय (अनुपूरक) विधेयक, १९६९

श्री अध्यक्ष—

अब एक घोषणा सचिव, विधान सभा करेंगे ।

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (विनियोग, १९६८-६९) द्वितीय अनुपूरक विधेयक, १९६९, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने १९ मार्च, १९६९ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २१ मार्च, १९६९ को वापस प्राप्त हो गया था राज्यपाल महोदय की अनुमति २३ मार्च, १९६९ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६९ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया । )

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२५ मार्च, १९६९ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १० एल० ए०—१९६९—८७० ।